खण्ड-225, अंक-2
मंगलवार, 10 श्रावण, शक संवत् 1883
(1 अगस्त, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 225 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १ अगस्त, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३४२

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र ,श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदोरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकरराय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री

चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजाबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास दासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बजबासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री

बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद ,श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे ,राजा
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामआधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक ,श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन ,श्री

रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूर्मासिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन ,श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिव प्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शीतला प्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी, वित्त मंत्री, श्री हरगोविंदसिंह, स्वायत्त शासन राज्य मंत्री, श्री चतुर्भुज शर्मा तथा वन राज्य मंत्री, श्री अलगू राय शास्त्री भी उपस्थित थे

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १ अगस्त, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कानपुर जिले में श्री नर्वदा प्रसाद व श्री चन्द्रशेखर तिवारी की हत्या

**१—श्री झारखंडेराय (जिला आजमढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत १० जून को कानपुर जिले के दो प्रमुख कांग्रेसी तथा सोशलिस्ट कार्यकर्त्ताओं की निर्मम हत्या किन्हीं व्यक्तियों ने कर दी है?

गृह उप मंत्री (श्री नवलकिशोर)—दिनांक ७-६-६१ को कांग्रेसी कार्यकर्त्ता श्री नर्वदा प्रसाद व ८-६-६१ को सोशलिस्ट कार्यकर्त्ता श्री चन्द्र शेखर तिवारी की हत्या की गई।

**२—श्री झारखंडेराय—क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि वह इस विषय में क्या कर रहे हैं?

श्री नवलकिशोर—पहला मामला धारा १४८/२०३/३८० भा० द० वि० के अन्तर्गत दर्ज किया गया और इसकी तफतीश की जा रही है। दूसरे मामले में धारा १४७/१४८/१४९/३०२ भा० दं० वि० का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ये २ हत्यायें अलग-अलग किन परिस्थितियों में की गयीं? उनका विवरण बताने की कृपा करेंगे?

श्री नवलकिशोर—पहली हत्या जो कांग्रेसी कार्यकर्त्ता नर्वदा प्रसाद जी की हुई उसका विवरण इस प्रकार है। ७-६-६१ को करीब ८ बजे रात के वह अपने मकान में खाना खा रहे थे। कुछ लोगों ने उन्हें आवाज दी। उन्होंने पूछा कि कौन साहब हैं तो बतलाया गया कि उनका नौकर जिसका नाम हुब्बा है वह है। तब दरवाजा खोल दिया गया और ८,१० आदमी कांते और लाठी के साथ अन्दर घुसे और उन पर हमला किया। बाबू नाम के नाई ने तमन्चा भी इस्तेमाल किया।

चन्द्रशेखर तिवारी अपने गांव से डेरापुर की तरफ जा रहे थे यह देखने के लिये कि अन्तरिम जिला परिषद् में कौन जीता। वहां १ या १ १/२ मील की दूरी पर पुलिया के नीचे ७, ८ आदमी छिपे बैठे थे और उन्होंने उन पर हमला कर दिया और उनको वहीं मार दिया।

श्री झारखंडे राय—अभी तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इस बात को देखते हुए कि दोनों हत्यायें एक ही दिन की गयीं, उनके पीछे किसी साजिश की भी सूचना सरकार को मिली है?

श्री नवल किशोर—जो सूचनायें मेरे पास हैं उनसे यह स्पष्ट है कि इन हत्याओं के पीछे आपसी दलबन्दी और रंजिश है। जहां तक हमको मालूम हुआ है, कोई दूसरा कारण नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—चन्द्रशेखर तिवारी का कत्ल करीब ८ बजे दिन को हुआ, उसकी जांच सब-इंस्पेक्टर ने किस समय की और उसकी रिपोर्ट एस० पी० के पास किस समय आई?

श्री नवल किशोर--मान्यवर, इनकी मृत्यु की रिपोर्ट इनके लड़के ने करीब साढ़े ग्यारह बजे थाने में दी। उसके बाद क्या हुआ, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि चन्द्रशेखर तिवारी के मामले में कितने मुलजिम जेल में हैं और अभी तक क्या कार्यवाही हो चुकी है ?

श्री नवलकिशोर--सात आदमियों ने उन पर हमला किया था। धारा १४७, १४८, १४९ और ३०२ में मुकदमा दर्ज करके सातों का चालान कर दिया गया है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या इन दोनों मृत व्यक्तियों में से किसी ने अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले पुलिस अधिकारियों को सूचना दी थी कि मेरी हत्या होने का भय है ?

श्री नवलकिशोर--इस तरह की कोई सूचना नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी पता लगावेंगे कि चन्द्र शेखर तिवारी का कत्ल दिन के ८ बजे होता है और सब-इंस्पेक्टर को इत्तला होने पर वह अपने चौकीदार को भेज देता है और स्वतः दोपहर के २ बजे जांच के लिये आता है और एस० पी० के पास १२ घंटे के बाद खबर पहुंचती है ?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने कहा कि मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--रिपोर्ट के कितने घंटे बाद थानेदार पहुंचे, इसमें कोर्ट की कोई बात नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--है। अगर पुलिस पर आप शक पैदा कर देते हैं तो उसका बेनिफिट मुलजिमों को मिलेगा कि पुलिस ने झूठा मुकदमा लगाया। आप इस तरह से उसमें हैल्पफुल हो जाते हैं।

श्री झारखंडेराय--इन दोनों मामलों में अभी तक अलग-अलग कितने आदमी गिरफ्तार किये जा चुके हैं ?

श्री नवलकिशोर--इसमें सात आदमियों का चालान कर दिया गया है। पहली हत्या के बारे में ३ आदमी गिरफ्तार किये गये, २ ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया और ४ आदमियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है।

श्री झारखंडेराय--अभी तक जो सूचना मंत्री जी के पास है उसके आधार पर बिना सन्देह क्या वह हाउस में कह सकते हैं कि इन हत्याओं के पीछे कोई पोलिटिकल मोटिव नहीं है ?

श्री नवलकिशोर--जो सूचनायें हमारे पास हैं उनसे हम कतई कह सकते हैं कि इन हत्याओं के पीछे कोई राजनीतिक हाथ नहीं था।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या मंत्री जी इस बात को सूचना मानकर कि श्री जगदीश अवस्थी, एम० पी०, और मैंने वहां के जिलाधीश और एस० एस० पी० तथा एस० पी० आर० ए० से कहा था कि चन्द्रशेखर तिवारी की हत्या का प्रबन्ध हो रहा है और उसमें राजनीतिक चक्कर है, उसके बावजूद भी उनकी रक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया, इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री नवल किशोर--माननीय वर्मा जी ने क्या और कब कहा इसकी इत्तला मेरे पास नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार को जानकारी है कि ८ बजे दिन को यह घटना घटी, उसके बाद जब मैं स्वतः जानकारी हासिल करने के लिये गया तो वहां के एस० एस० पी० और अन्य अधिकारियों से जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि चन्द्र-शेखर तिवारी की हत्या और उससे पूर्व किसी कांग्रेसी की हत्या हुई इनसे आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है? जब यह बात थी तो आज कैसे सरकार कहती है कि इन दोनों घटनाओं से सम्बन्ध है?

श्री नवलकिशोर---मैंने नहीं कहा कि दोनों का सम्बन्ध है।

श्री राजनारायण---उन्होंने कहा कि दोनों घटनाओं का आपस का अलग-अलग सम्बन्ध है।

श्री अध्यक्ष---नहीं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---एक दिन के अन्दर ये दोनों हत्यायें हुई हैं तो क्या सरकार को ऐसी कोई सूचना है कि किसी दलबन्दी के कारण ये हत्यायें हुई हैं या एक के बदले में दूसरी हत्या हुई है? क्या इस प्रकार का कोई कारण उसमें है?

श्री नवलकिशोर---जी नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या सरकार को ऐसी कोई सूचना है कि नर्वदा प्रसाद और चन्द्रशेखर तिवारी में राजनीतिक विरोध के अलावा कोई व्यक्तिगत खिचाव भी चल रहा था?

श्री नवलकिशोर---ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब सरकार को इन दोनों कत्लों की सूचना मिली तो उसके बाद सरकार ने क्या कार्यवाही की और उसके कारण ढूंढने के लिये किसको यह काम सौंपा?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर जैसे ही इसकी इत्तला मिली एक सर्किल इंस्पेक्टर को उसकी जांच करने के लिये तैनात किया गया।

पीपलकोटी तथा रुद्रप्रयाग के निकट बस दुर्घटनाओं में हताहत बद्रीनाथ यात्री

**३---श्री झारखंडेराय, श्री मदन पांडेय, श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी) तथा श्री ऊदल (जिला वाराणसी) ---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तराखंड के चमोली जिले के अन्तर्गत पीपलकोटी नामक स्थान के निकट बद्रीनाथ यात्रियों से भरी कोई बस दुर्घटना ग्रस्त हो गई जिसमें २९ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)---जी हां।

**४---श्री झारखंडेराय, श्री मदन पांडेय, श्री कल्याणचन्द मोहिले, श्री लक्ष्मणराव कदम तथा श्री ऊदल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इसके अतिरिक्त कोई अन्य बस भी रुद्रप्रयाग में, बद्रीनाथ यात्रियों से भरी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और अनेक यात्री मर गये?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां।

**५---श्री झारखंडे राय, श्री मदन पांडेय, श्री कल्याणचन्द मोहिले, श्री लक्ष्मण राव कदम तथा श्री ऊदल---क्या सरकार इन दोनों भीषण मोटर दुर्घटनाओं का विवरण सदन को देने की कृपा करेगी?

श्री मुजफ्फर हसन---प्रश्न १ से सम्बन्धित दुर्घटना में १३-६-६१ को प्राइवेट बस संख्या यू० पी० वाई० ४३० रुद्र प्रयाग (चमोली) पीपलकोटी मार्ग पर चमोली से एक मील दूर खड्ड में गिर गई जिसके फलस्वरूप २९ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। ड्राइवर तथा कन्डक्टर बस के गिरने से पहले कूद गये और इस प्रकार वे बच गये।

दूसरी दुर्घटना १०-६-६१ को प्राइवेट बस संख्या यू० पी० वाई० ४८६ द्वारा हुई। इसमें ९ व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा अन्य २२६ व्यक्ति घायल हुए।

श्री झारखंडेराय---मान्यवर, इसके आगे दो सवाल और हैं उनको भी साथ ही ले लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष---वे अलाहिदा हैं।

श्री मदन पांडेय---क्या यह सत्य है कि माननीय मंत्री जी इन दुर्घटनाओं की जांच के लिये गये थे, तो माननीय मंत्री जी की जांच का जो परिणाम निकला उसको सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---इसके बारे में मैंने एक कामरोको प्रस्ताव स्वीकार किया है, उस वक्त वे उन तमाम चीजों को कह सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत समय लगेगा। आप इस वक्त एक-एक सवाल पूछ लीजिये।

श्री मदन पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अभी वे जो जांच करने के लिये गये थे उसमें उन्हें क्या-क्या खास कारण ज्ञात हुए जिनकी वजह से ये दुर्घटनाएं हुईं ?

श्री मुजफ्फर हसन---तफसील से तो मैं शाम को अर्ज कर सकूंगा, लेकिन खास कारण यह था कि सड़क दुरुस्त की जा रही थी और उसी जमाने में यह यात्रा का मौसम आ गया। इस साल बरसात भी वक्त से कुछ पहले आ गयी, इस वजह से ये दुर्घटनायें हुईं।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि पहली बस दुर्घटना में एक भी यात्री नहीं बचा ?

श्री मुजफ्फर हसन---पहले सवाल में जिस बस दुर्घटना का जिक्र किया गया है, उसमें कोई नहीं बचा।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उक्त मार्ग पर कुल कितनी बस दुर्घटनायें हुईं और उनमें कितने आदमी मरे, कितने जख्मी हुए और कितने लापता हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---कुल ५ दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें १०१ आदमी मरे हैं और कुछ घायल हुए हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---जब वह सड़क मोटर ट्रैफिक के लिये अनफिट थी तो इतनी जल्दी मोटर ट्रैफिक चलाने का क्या कारण था ?

श्री मुजफ्फर हसन---अनफिट तो मैंने कहा नहीं, लेकिन हां उस पर काम हो रहा था। यह यात्रा का मौसम है और इसी मौसम में काम भी लगाया जा सकता है। इसलिये यह दिक्कत पैदा हुई। यह धार्मिक चीज थी जिसको यकायक बन्द नहीं किया जा सकता था। अगर उसको यकायक बन्द कर दिया जाता तो पैनिक फैल सकता था इसलिये कि उसका ताल्लुक सरहदी इलाके से है।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि पहली और दूसरी दुर्घटना की इत्तला अधिकारियों को दुर्घटना के कितनी देर बाद मिली और वहां पर किस प्रकार की सहायता कितनी देर बाद पहुंचाई गयी ?

श्री मुजफ्फर हसन---पहली दुर्घटना तो ऐसी हुई कि पूरी की पूरी बस अलखनन्दा में चली गयी और उसमें कोई आदमी बाकी नहीं बचा। इसलिये सहायता का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस नयी सड़क का निर्माण हो रहा है वह जोशीमठ और बद्रीनाथ के बीच की है लेकिन इस सड़क के टुकड़े पर कोई दुर्घटना नहीं हुई ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी नहीं, यह सही नहीं है। ऋषिकेश और जोशीमठ के बीच सड़क बन रही है।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब दुर्घटनाएं हुई तो एक हफ्ते के लिये सड़क बन्द कर दी गयी थी ? इसके बाद क्या सुरक्षात्मक कार्यवाही की गयी जिसके कारण इसको पुनः चालू कर दिया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन---कुछ स्थानों पर लैन्ड स्लाइड्स हुए थे, वहां सफाई वगैरा बहुत सी चीजें की गयीं।

श्री राजनारायण---क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि इस साल बद्रीनाथ यात्रा बन्द कर दी जाय, इस संबंध में प्रान्तीय सरकार और केन्द्रीय सरकार की कोई लिखा पढ़ी चली थी ? यदि हां, तो वह क्या थी ?

श्री मुजफ्फर हसन---मुझे इसकी इत्तला नहीं है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो मोटर दुर्घटनाग्रस्त हुई उनके चालक नशे में थे ?

श्री मुजफ्फर हसन---इसकी कोई इत्तला नहीं है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार इसको स्पष्ट करेगी कि जब बद्रीनाथ कमेटी ने और मैंने स्वयं वहां जाकर और रास्ते की कठिनाई को देखकर अखबारों में बयान दिया था और सरकार के पास भी लिखकर भेजा था कि चौथी सड़क खराब है यात्रा बन्द कर दी जाय, तो सरकार ने उस पर विचार करके क्या कार्यवाही की ?

श्री मुजफ्फर हसन---मेरे पास आपकी ऐसी कोई चीज लिखी हुई नहीं आयी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बस दुर्घटनाओं में मरने वाले १०१ व्यक्तियों के परिवार वालों को मुआवजा देने की कृपा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन---यह कोर्ट की कार्यवाही है, बाद को देखा जायगा कि क्या कार्यवाही की जाय, इस वक्त तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस स्थान पर, जिस सड़क पर यह दुर्घटनायें हुई वहां मुंडेर थी या नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन---कुछ स्थानों पर मुडेर है और कुछ स्थानों पर नहीं है।

श्री झारखंडे राय---दूसरी दुर्घटना १०-६-६१ की है जिसमें ९ व्यक्ति मरे और २६ घायल हुए, उसमें किस प्रकार से सहायता पहुंचाई गयी और दुर्घटना के कितने समय के बाद ?

श्री मुजफ्फर हसन---एक डेढ़ घंटे के बाद सहायता पहुंची।

ऋषिकेश के निकट बस दुर्घटना में हताहत बद्रीनाथ यात्री

**६--श्री झारखंडेराय, श्री मदन पांडेय, श्री कल्याणचन्द मोहिले, श्री लक्ष्मणराव कदम तथा श्री ऊदल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ऋषिकेश के पास कोई तीसरी मोटर दुर्घटना यात्रियों से भरी बस की हो गई है, जिसमें प्रायः ३० यात्री मर गये ?

श्री मुजफ्फर हसन--२४ जून सन्, १९६१ को एक अन्य दुर्घटना हुई जिसमें ३२ आदमी मरे ।

**७--श्री झारखंडेराय, श्री मदन पांडेय, श्री कल्याणचन्द मोहिले, श्री लक्ष्मणराव कदम तथा श्री ऊदल--यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

श्री मुजफ्फर हसन--सरकार ने इस दुर्घटना तथा इस मार्ग पर हुई अन्य सभी दुर्घटनाओं की जांच के लिये एक कमेटी नियुक्त की है ।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि २४ जून को जो दुर्घटना हुई जिसमें ३२ आदमी मर गये, उस बस के यात्रियों में से कोई बचा भी या सब के सब मर गये ?

श्री मुजफ्फर हसन--इसमें कुछ आदमी बचे हैं ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि १८ मई को १२ बजे रात्रि में एक मिलिटरी की लारी पूरी की पूरी नदी में गिर पड़ी और उसमें भी एक आदमी नहीं बचा, तो क्या वह संख्या भी इसमें शामिल है ?

श्री मुजफ्फर हसन--मुझे उसकी कोई इत्तला नहीं है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि इन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण यह था कि ड्राइवर लोग शराब पिये हुए थे ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--मुझे तो कम से कम दो ऐसे व्यक्ति मिले जो कि बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं । मुझे उनसे बात करने का अवसर प्राप्त हुआ और उन दुर्घटनाओं के समय वे उन गाड़ियों में थे । उन्होंने मुझे साफ तौर पर बतलाया कि ड्राइवर्स शराब नहीं पीये हुए थे बल्कि वे गाड़ियों को तेज चला रहे थे ।

श्री गौरीशंकर राय--माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस साल इन सड़कों की मरम्मत और सफाई का काम बहुत देर में शुरू हुआ जबकि इसे और बहुत पहले ही हो जाना चाहिये था ?

श्री मुजफ्फर हसन--जी नहीं, इन सड़कों के सुधार और आगे तक बढ़ाने के काम की तो तीन वर्ष की योजना है, उसका तो अभी यह दूसरा ही साल है, वह काम तो बराबर हो रहा है ।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो कमेटी जांच के लिये बनायी गयी है उसमें कौन-कौन व्यक्ति हैं और कितने दिनों में वह अपनी जांच की रिपोर्ट दे देगी ?

श्री मुजफ्फर हसन--उस कमेटी में कौन-कौन तथा कितने आदमी हैं, वह तो छप चुका है। तीन महीने में इसकी जांच रिपोर्ट आनी चाहिये ।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह कमेटी किन-किन चीजों के बारे में जांच करेगी और किन किन चीजों के बारे में सुझाव देगी ?

श्री मुजफ्फर हसन--इन दुर्घटनाओं के क्या वजूहात हैं और उनको किस तरह से रोका जाय, इसके बारे में वह कमेटी सुझाव देगी ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस जांच कमेटी की कोई बैठक अभी तक हुई है या नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन--उसकी एक बैठक २९ तारीख को हो चुकी है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि गाड़ियां तेजी से चलायी गयीं । साधारणतः पहाड़ पर रोडवेज विभाग की जो बसेज चलती हैं उनके लिये एक लिमिटेड स्पीड है जिससे ज्यादा नहीं होनी चाहिये । वह स्पीड २०-२५ मील फी घंटा के बीच में रहती है, तो क्या इन गाड़ियों में गवर्नर्स नहीं लगाये गये थे जिससे अधिक स्पीड न हो सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--ये गाड़ियां रोडवेज विभाग की नहीं हैं इसलिये उनमें गवर्नर्स लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है । दूसरे पहाड़ पर कभी चढ़ाई होती है और कभी उतराई होती है तो वहां गवर्नर्स ठीक से कार्य नहीं कर सकते हैं ।

हरिजन कालोनी कुसमी का गोली काण्ड

**८--श्री त्रिलोकीसिंह--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना गोला गोकरण-नाथ, जिला खीरी की हरिजन कालोनी कुसमी में ३१ मई, १९६१ को कुछ सरकारी कर्म-चारियों द्वारा गोली चलाई गई ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उसका क्या कारण था और उस गोली से कितनी जानें गईं अथवा चोटें आईं ?

श्री नवलकिशोर--जी हां, दिनांक १३-५-६१ को जब आबकारी तथा पुलिस के कर्मचारी कुसमी की हरिजन कालोनी से अवैध शराब, भांग आदि बरामद करके अपराधियों को गोला थाना ले जाने की कोशिश कर रहे थे तो उन पर एक जन-समूह ने ईंटें, पत्थरों तथा लाठियों से हमला किया और गोली भी चलाई । जन-समूह के इस उग्र हमले के कारण आब-कारी तथा पुलिस कर्मचारियों को जान माल का खतरा उत्पन्न हो गया और अपने बचाव (self defence) के लिये पुलिस को गोली चलानी पड़ी। गोली चलाने के फलस्वरूप ३ व्यक्तियों को गोली लगी। जिसमें से २ मर गए और १ व्यक्ति को चोट आई ।

श्री त्रिलोकीसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तलाशी लेने के लिये एक्साइज इन्स्पेक्टर और पुलिस का जो दस्ता गया था उस सब को मिलाकर कुल कितनी संख्या थी और वहां आर्म्ड पुलिस ले जाने का क्या कारण था और जो लोग मरे या घायल हुए उनके कफन-दफन या पोस्टमार्टम आदि का क्या प्रबन्ध था ?

श्री नवलकिशोर--कितनी संख्या में वह लोग गये यह तो इस वक्त मेरे पास नहीं है लेकिन तलाशी का कारण यह है कि कुसमी में एक्सक्रिमिनल ट्राइब के भाई रहते हैं,उनके बारे में इस बात की सूचना थी कि वह बहुत बड़ी मात्रा में गैरकानूनी शराब बनाते हैं और भांग जमा करते हैं । इस सूचना के आने पर आबकारी इंस्पेक्टर ने एस० पी० से इमदाद मांगी और पुलिस की इमदाद लेकर वह ३ बजे वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने ४ मकानों की तलाशी ली ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जिस दिन गोली चली है उसके एक दिन पहले एक्साइज के कुछ कांस्टेबिल उस हरिजन कालोनी में गये थे और जो व्यक्ति गोली से मारा गया है उसकी लड़की को उन्होंने छेड़ा था और इसपर वह कांस्टेबिल झगड़े में वहां से पिट कर आये थे और उसी का बदला लेने के लिये यह गोली चलाई गई थी ?

श्री नवलकिशोर---जब यह गोलीकांड हुआ तो इस संबंध में जिलाधीश और एस० पी० मौके पर गये थे और वहां मैजिस्ट्रोरियल इन्क्वायरी भी बिठाई गई थी, वह जांच भी करीब-करीब पूरी हो गई है लेकिन अभी उसकी रिपोर्ट सरकार के पास नहीं आई है इसलिये जो कुछ आपने बताया वह सब सूचना रिपोर्ट के रूप में हमारे पास नहीं आई है।

श्री त्रिलोकीसिंह—श्रीमन्, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उस भाग का उत्तर नहीं दिया जिसमें मैंने पूछा था कि जो मारे गये या जख्मी हुए उनके कफन-दफन और पोस्टमार्टम की क्या रिपोर्ट है और दूसरे वह यह भी बताने की कृपा करें कि वहां कितनी शराब या भांग या नशे की चीजें बरामद हुई और दूसरी चीज यह कि जिनके चोट लगीं वह उनके घर से बरामद हुईं और वह लोग भी पकड़े गये या यह लोग उनके मददगार की हैसियत से आये थे ?

श्री नवलकिशोर—जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया कि अभी रिपोर्ट नहीं आई है, जिससे पोस्टमार्टम के बारे में बताया जा सके। इन्क्वायरी बैठी है, रिपोर्ट आने पर ही बताया जा सकता है कि किस के घर में क्या बरामद हुआ।

श्री त्रिलोकीसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन के घर से नाजायज शराब या भांग जो बरामद हुई उनके खिलाफ ३ महीने में कार्यवाही क्यों नहीं हुई जब कि गोली चलने और शराब भांग की बरामदगी के मामले अलग-अलग हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि जिनके यहां अवैध शराब या भांग मिली उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरे खयाल में जरूरी कार्यवाही जरूर हो रही होगी लेकिन अगर नहीं हुई है तो आज हुक्म भेज दिया जायगा कि उन के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री त्रिलोकीसिंह—मैं मंत्री जी का मशकूर हूं कि मेरे कहने पर सरकार ने अपने फ़र्ज को पूरा करने की बात कही लेकिन आज से पौने दो मास पूर्व जो मैंने इस सिलसिले में खत लिखा था उसके ऊपर जांच और कार्यवाही का क्या नतीजा निकला और अगर अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला तो यह पौने २ मास की देरी क्यों हुई ?

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि माननीय मित्र ने जो पेरेंथिसेस में बात कही कि उनके कहने से गवर्नमेन्ट करेगी, मैंने तो यह कहा है कि गवर्नमेन्ट जरूर कर रही होगी, अगर नहीं करती है तो मैं धन्यवाद देता हूं आपकी इत्तला के लिये। दूसरी बात यह है कि क्या कार्यवाही की गई, तो उसमें मैजिस्ट्रोरियल इंक्वायरी की जा रही है और गवर्नमेन्ट को इत्तला यह है कि वह इंक्वायरी करीब-करीब खत्म हो चुकी है लेकिन अभी उनकी रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार को यह सूचना है कि कुसमी कालोनी में जिस दिन गोली चली है उसके पहले उस कालोनी के लोगों ने एस० डी० ओ० के यहां एक्साइज इंस्पेक्टर गोयल के खिलाफ यह दरख्वास्त दी थी कि उनकी लड़की के साथ छेड़-छाड़ की और यह भी कहा कि एस० पी० श्री गोयल एक्साइज इंस्पेक्टर के रिश्तेदार हैं इसलिये वे आप मौके पर चले चलें....

श्री अध्यक्ष—एक एक प्रश्न पूछें।

श्री गौरीशंकर राय—क्या कुसमी कालोनी के लोगों ने ३१-५-६१ के कुछ दिन पहले यह शिकायत एस० डी० ओ० से की कि उन लोगों के घर जाकर किसी लड़की को एक्साइज इंस्पेक्टर श्री गोयल ने छेड़ा और क्योंकि उन लोगों ने डाटा इसलिये वे नाराज हैं और अपनी तौहीन समझते हैं ?

श्री चरणसिंह—गवर्नमेन्ट के पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है। एक डेपूटेशन कुसमी कालोनी के लोगों का मुझसे मिला था और उन्होंने भी मुझे कोई ऐसी बात नहीं बतलाई।

रामपुर के पटला मोहल्ले में विस्फोट

**९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि रामपुर के मुहल्ला पटला में ७ जुलाई को कितने आदमी Gun Powder के फटने से मरे ?

श्री नवलकिशोर—दिनांक ७ जुलाई को ऐसी कोई घटना नहीं हुई । किन्तु ५ जुलाई, १९६१ को मुहला पटला, रामपुर में हुए एक विस्फोट में एक नौ वर्षीय बालिका की मृत्यु हो गई ।

**१०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि यह Gun Powder किसके मकान में एकत्रित था और इसको एकत्रित करने के क्या कारण थे ?

श्री नवलकिशोर—यह विस्फोट यासीन खां के मकान में हुआ । कारणों के बारे में जांच की जा रही है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी बताएंगे कि यह ९ वर्ष की बालिका जो मरी है यह किस मकान में मरी है और उस मकान में और लोग भी रहते थे या केवल बालिका ही रहती थी ?

श्री नवलकिशोर—मैंने बताया कि यासीन खां के मकान में विस्फोट हुआ था, उसी के मकान में इस बच्ची की मृत्यु हुई और उस मकान में यासीन खां के कुछ भाई और कुछ और भी परिवार के लोग रहते हैं ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी बताएंगे कि यासीन खां क्या कार्य करते हैं ?

श्री नवलकिशोर—टैक्सटाइल मिल में नौकर हैं ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—इस बात को देखते हुए कि हापुड़, मेरठ और कई शहरों में १४ हजार पौण्ड बारूद और सीतापुर में ४० मन के करीब बारूद मिली और अब रामपुर जो कि खास एक नोटोरियस शहर इन मामलों में रहा है, यह किस्सा हुआ तो सरकार ने कोई प्रिकाशन लिये हैं कि और जगह तो कहीं बारूद नहीं इकट्ठा किया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, जो पुलिस को उन्होंने बतलाया है उसके मुताबिक कुछ जर्मनी गोले, जो पटाखे शबे-बरात को खरीदे गये थे उनमें से, बच गये और बच्चों के मनोरंजनार्थ उन्होंने रख लिये या यह कि उन्हें बेच देंगे । उनका कहना है कि वह ऊपर हंडिया में रखे हुए थे । वह हंडिया ऊपर से नीचे गिर पड़ी और चारपाई पर लग जाने के कारण फूट गई और गोले भी फूट गये और उसमें एक लड़की और ६-७ लोग परिवार के जख्मी हुये । पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। पुलिस को, उस आदमी से जिससे कि गोले उन्होंने खरीदे थे, मालूम हुआ कि वाकई उन लोगों ने गोले उससे खरीदे थे और जो गोले अब फूटे थे वह भी पुलिस को उन्होंने दिये हैं । इसलिये इससे तो यह जाहिर होता है कि कोई चिन्ता की बात नहीं है और वह मामूली गोले थे जो शबे-बरात वगैरह पर छोड़े जाते हैं । लेकिन साथ ही यह भी है कि उन लोगों ने पुलिस को रिपोर्ट नहीं की, लड़की को दफना दिया और पुलिस को जब इत्तला मिली और वह मौके पर पहुंची तो उससे पहले वहां की सफाई उन लोगों ने कर दी । इससे पुलिस को कुछ शुबहा होता है कि उनका जो वर्जन है, वह शायद सही न हो । लेकिन तहकीकात से मजीद यह भी मालूम हुआ है कि इन तीनों भाइयों का किसी कम्युनल पार्टी या किसी ऐसी पार्टी से जो टेरोरिज्जम में विश्वास रखती हो, से सम्बन्ध नहीं है । अभी तहकीकात जारी है । साथ ही यह भी कहना चाहता हूं, क्योंकि माननीय मित्र ने दूसरी जगह के मामलों से उसका सम्बन्ध जोड़ा है, कि

कोई इस तरह की बात नहीं है कि पाकिस्तानी या कोई इस तरह के एलीमेंट्स का इसमें हाथ है जिससे सूबे की जो सुव्यवस्था है उसको किसी प्रकार का खतरा हो। ऐसी हरगिज कोई बात नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह---मन्त्री जी इस बात को देखते हुये कि जमीनी गोले बगैर फलीते के नहीं दगते हैं इसकी जांच करायेंगे कि वह जमीनी गोले नहीं थे बल्कि हथ गोले थे जिनसे आदमियों के मारने का काम लिया जाता है?

श्री चरणसिंह---यह पटाखे या जमीनी गोले जो पुलिस को मिले हैं वह सब केमिकल इग्जामिनर को भेज दिये गये हैं।

श्री झारखंडेराय---जो सवाल अभी पूछा गया है कि एक के बाद एक कई घटनायें ऐसी बारूद पकड़े जाने की हुई हैं, तो उनकी जांच-पड़ताल सरकार क्या मामूली तौर पर कर रही है जैसा कि और अपराधों की होती है या साजिशों का पता लगाने के लिये जो पुलिस विभाग में ऐक्सपर्ट्स हैं उनको भी इस काम की जिम्मेदारी दी गई है या देंगे?

श्री अध्यक्ष---इसके लिये मैं इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि वह बहुत व्यापक प्रश्न हो जायगा। मन्त्री जी एकदम कह गये हैं इस प्रश्न के सिलसिले में इसलिये उसका जवाब हो चुका है।

अलीगढ़ जिले की सघन कृषि योजना

११---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)---क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले में जो सघन कृषि योजना (पैकेज प्रोग्राम) बनाई गई है उसको चालू हुये कितना समय हो गया है और उसके अब तक क्या क्या कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं?

श्री नवलकिशोर---अलीगढ़ जिले की सघन कृषि योजना २५ नवम्बर, १९६० को स्वीकृत की गई थी। इसके अन्तर्गत अब तक जो कार्यक्रम पूरा हो चुका है उसका विवरण संलग्न नोट में दिया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १७५ पर)

१२---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**---क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह कृषि योजना पूर्णतः कृषि विभाग के संरक्षण में चलती है अथवा विकास विभाग का भी उसमें सहयोग तथा जिम्मेदारी है?

श्री नवलकिशोर---यह योजना कृषि विभाग के अधीन है परन्तु इसको कार्यान्वित करने में सभी विभाग का सहयोग तथा उत्तरदायित्व है।

१३---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**---क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय स्तर पर इसके लिये कितने रुपये के औजार तथा मशीनें खरीदी गई हैं और जिला विभाग की ओर से कितने रुपये की मशीनरी का सामान खरीदा गया है? इन सामानों की खरीद के भाव आदि निर्णय करने का अधिकार किसी कमेटी को अथवा कोई विशेष अधिकारी इसके लिये नियुक्त किया गया है?

श्री नवलकिशोर---इस योजना के अन्तर्गत प्रदेशीय स्तर पर कोई औजार और मशीनें नहीं खरीदी गईं। जिला स्तर पर प्रदर्शन हेतु ६ लाख रुपये के उन्नतिशील कृषि यन्त्र खरीदे गये हैं। इसमें से लगभग ४,५०,००० रुपये के राजकीय कृषि यन्त्रालय, लखनऊ से तथा १,५०,०००रुपये के यन्त्र निदेशक उधोग विभाग, कानपुर द्वारा स्वीकृत कृषि यंत्रालयों से खरीदे गये हैं। ये यंत्र प्राजेक्ट आफिसर द्वारा कृषि अभियन्ता, उत्तर प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकार के विशेषज्ञों की सम्मति से खरीदे गये।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि १२ लाख रुपये का जो ऋण बांटा गया वह किस आधार पर बांटा गया, कितने किसानों को बांटा गया और कितने गांवों में बटा ?

श्री नवलकिशोर---श्रीमन्, करीब ७,५८४ किसानों के उत्पादन की योजना बनाई गई और जो ऋण बांटा गया, उसकी तालिका मेरे पास है क्षेत्र वाइज। यदि आप आज्ञा दें, तो पढ़ दूं, यद्यपि काफी लम्बी है ।

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। उनको अलग से आप सप्लाई कर दें ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---जब सघन कृषि योजना का उत्तरदायित्व विकास विभाग के सुपुर्द है तो क्या ब्लाक्स में बी०डी०ओज० विशेषज्ञ रखे जायेंगे और अगर अब तक नहीं रखे गये हैं तो कब तक उनकी नियुक्ति हो जायगी ? और इस योजना में कृषि विभाग की क्या जिम्मेदारी है ?

श्री नवलकिशोर---भारत सरकार ने एक पैटर्न १९६०-६१ में स्वीकार किया है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो उसका जो स्टाफ स्वीकार हुआ है, उसकी डिटेल्स मेरे पास हैं, अच्छा तो यह हो कि वह मेरे कमरे में देख लें और यदि आप आज्ञा दें तो पढ़ सकता हूं।

श्री उग्रसेन---यह सघन कृषि योजना जो चालू की गई वह वर्तमान कृषि मन्त्री के वक्त से चलाई गई या भूतपूर्व कृषि मन्त्री के वक्त से ?

श्री नवलकिशोर---जब मैंने बताया कि २५ नवम्बर, १९६० को स्वीकृत हुई तो माननीय सदस्य अच्छी तरह से समझ सकते हैं।

श्री उग्रसेन---तारीख आपने पहले नहीं बताई।

श्री अध्यक्ष---अब बता दी उन्होंने ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यन्त्र प्रोजेक्ट आफिसर ने ६ लाख रुपये के यन्त्र किसी समिति की देख-रेख में खरीदे हैं और क्या उसके लिये कोई टेंडर मांगे गये थे ? यदि टेन्डर नहीं मांगे गये थे तो एक ही अधिकारी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दे दी गई ?

श्री नवलकिशोर---ये जो ६ लाख रुपये के यन्त्र थे, मान्यवर, जैसा मैंने स्वयं बताया, साढ़े चार लाख के यन्त्र तो गवर्नमेन्ट वर्कशाप से खरीदे गये, उसके लिये पहले से टेंडर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जो डेढ़ लाख रुपये के यन्त्र खरीदे गये, उसके बारे में मैंने बताया कि जो हमारे स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हैं, जैसा कि गवर्नमेन्ट का तरीका है, उनके द्वारा टेंडर मांगते हैं और फिर खरीदते हैं। फिर इतना ही नहीं किया बल्कि इस बात का एहतियात बरता गया कि जो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के ऐग्रीकल्चर इन्जीनियर हैं और जो इस में स्पेशलाइज्ड हैं, उनकी भी राय लेकर खरीद की गई ।

कटरा, इलाहाबाद में पुलिस की ज्यादती की शिकायत

****१४---श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के मुहल्ला कटरा के निवासियों का जून माह में कोई शिकायती-तार गृह मन्त्री के पास पुलिस की ज्यादती के बारे में आया था ? यदि हां, तो वह तार क्या था तथा उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री नवलकिशोर--सम्भव है कोई तार आया हो, परन्तु दफ्तर में उसका कोई रेकार्ड नहीं है। आया भी हो, तो उसपर कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझा गया क्योंकि पुलिस ने कटरा निवासियों के साथ कोई ज्यादती नहीं की थी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मन्त्री महोदय को पता है कि २० जून की रात को लगभग पचासों मकानों की तलाशी ली गई और मकान मालिकों को पीटा गया और उसके बाद गिरफ्तारियां हुईं जिसके फलस्वरूप २१ तारीख को मोहल्ला कटरा में पूर्ण हड़ताल हुई?

श्री नवलकिशोर--इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार को पता है कि २१ जून को इलाहाबाद के मोहल्ला कटरा में पूर्ण रूप से पुलिस के विरोध में हड़ताल रही?

श्री नवलकिशोर--मेरे पास जो सूचना है उसमें तो कोई बात है नहीं।

श्री उग्रसेन--जो मन्त्री जी ने यह कहा कि सम्भव है कोई तार आया हो, तार का आना संदिग्ध है तो उन्होंने यह कैसे कह दिया कि पुलिस ने वहां कोई ज्यादती नहीं की?

श्री चरणसिंह--यह इसलिये कह दिया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट से यह जाहिर होता था कि पुलिस की कोई गलती नहीं है। तार मुमकिन है मेरे नाम आया हो। अक्सर तार आते रहते हैं और कुछ तारों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। अगर यह तार आया, मान भी लिया जाय, तो उसपर कोई कार्यवाही करना यों उचित नहीं समझा गया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट आ गई थी जिससे जाहिर होता है कि पुलिस की कोई ज्यादती नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय--क्या सरकार को मालूम है कि २० तारीख की शाम को मुहर्रम के जुलूस पर कुछ लोगों ने ढेले फेंके, उसके सिलसिले में कुछ लोग मारे-पीटे गये और पुलिस के खिलाफ कुछ लोगों ने इस मामले में इस्तगासा भी दायर किया है?

श्री नवलकिशोर--मैंने तो कहा कि इस तरह की कोई इत्तला हमारे पास इस वक्त नहीं है। अगर आप कहेंगे, तो इसको मंगवा लिया जायगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जिलाधीश की जो रिपोर्ट आई है उसका संक्षिप्त विवरण क्या है?

श्री नवलकिशोर--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि फाइल में वह है नहीं।

श्री गौरीशंकर राय--श्रीमन्, ७५ और ७६ नम्बर पर यही प्रश्न है कि क्या २७ जून को मुहर्रम के जुलूस पर पत्थर फेंके गये। जवाब है कि २० जून को फेंके गये और इसमें मन्त्री जी कहते हैं कि कोई जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष--मुहल्ला कटरा के निवासियों की तरफ से आरोप लगाया गया है इस सिलसिले में कोई जानकारी नहीं है, यह उनका कहना है। हां, वह याद थोड़े ही रख सकते हैं। जब सवाल आयेगा तो वह उसका उत्तर देंगे। इस बात का खयाल रखना चाहिये कि दोनों स्टडी किये हों तो ताल्लुक जरूर होना चाहिये।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत लिखित मे दिये गये तारांकित प्रश्न]

टनकपुर के निकट शारदा नदी में कुछ लोगों के डूब जाने की कथित घटना

*१—श्री प्रतापसिंह—क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक २८ मार्च, १९६१ को तहसील खटीमा में टनकपुर के पास पुन्नागिरी के मेले देखने वाले करीब ३५ लोग शारदा नदी में डूब गये और उनको अभी तक नदी से बाहर नहीं निकाला गया है ?

श्री नवलकिशोर—जी नहीं, ऐसी किसी घटना की रिपोर्ट नहीं हुई।

*२—श्री प्रतापसिंह—क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त दुर्घटना किस प्रकार हुई ?

श्री नवलकिशोर—प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, मन्त्री जी ने कहा कि कोई दुर्घटना नहीं हुई है तो क्या वह इसकी पुनः जांच करायेंगे कि मार्च के अन्त में और अप्रैल के शुरू में ऐसी घटना हुई है ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, हमने कहा कि कोई रिपोर्ट नहीं है। अगर प्रतापसिंह जी चाहेंगे तो मालूम कर लेंगे।

मित्तूपुर के बलवे में हत्या

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई है कि ८ अप्रैल, १९६१ को मधुबन थानान्तर्गत ग्राम मित्तूपुर में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और थाने की पुलिस हत्या करने वालों के ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं चला रही है ? यदि हां, तो क्यों नहीं चला रही है ?

श्री नवलकिशोर—पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। दिनांक ८-४-१९६१ को ग्राम मित्तूपुर में दो वर्गों में पुरानी शत्रुता के कारण बलवा हुआ जिसमें दोनों पक्षों के कुछ व्यक्तियों को चोटें आईं। दोनों पक्षों ने दिनांक ८-४-६१ को थाने पर रिपोर्ट लिखाई जिस पर पुलिस ने जांच की। १३-४-६१ को चोट आने वाले एक व्यक्ति की अस्पताल में मृत्यु हो जाने पर धारा १४७/१४८/३२४ का मुकदमा धारा १४७/१४८/३२४/३०४ भा० द० वि० में परिवर्तित किया गया। पुलिस ने अनुसन्धान के बाद चार्ज शीट भेजी। दोनों मुकदमे इस समय न्यायालय में विचाराधीन हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि दोनों पक्ष की अलग-अलग गिरफ्तारियां किन-किन तारीखों को हुईं ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि गिरफ्तारियों की डेट्स नहीं हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अध्यक्ष महोदय, मेरा मतलब यह था कि जिस पक्ष का कत्ल हुआ, वह जेलखाने में भेज दिया गया और जिस पक्ष ने कत्ल किया, वह बाहर है ?

श्री अध्यक्ष—उनके पास अभी सूचना नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि स्थानिक पुलिस ने एक पक्ष का तो साथ दिया और कत्ल करने वालों को तरजीह दी और दूसरे पक्ष के लोगों को गिरफ्तार किया ?

श्री चरणसिंह--अध्यक्ष महोदय, माननीय मित्र के इस कहने को कि पुलिस ने एक पक्ष के साथ रियायत की, मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं और कौन आदमी किस तारीख को गिरफ्तार किये इसकी सूचना हम नहीं मंगाया करते हैं। इस तरह की डिटेल्स की बहस तो अदालत में होगी। मामला अदालत में है।

सेक्रेटरी, रिफ्यूजी कमेटी, मंगलौर का पुलिस के विरुद्ध तार

*४--**श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत १३ मार्च, १९६१ को जिला सहारनपुर के मंगलौर क्षेत्र की जनता की ओर से स्थानीय पुलिस द्वारा एक कत्ल की तफतीश के सम्बन्ध में की जाने वाली लापरवाही के सम्बन्ध में उन्हें कोई तार प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो किन लोगों की ओर से, तार का क्या विषय है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

श्री चरणसिंह--किसी एक विशेष हत्या के बारे में तार नहीं प्राप्त हुआ है। किन्तु सेक्रेटरी, रिफ्यूजी कमेटी, मंगलौर की ओर से एक तार दिनांक १३-३- १ को भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि निरन्तर हत्या की घटनाओं के कारण लोगों के काम रुक गये हैं तथा पुलिस की लापरवाही से जनता में रोष है।

इस बारे में जांच की गई और पाया गया कि हत्या की केवल एक घटना उस क्षेत्र में हुई थी। इस मामले में पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई। जांच जारी है।

गाढ़ा ताल क्षेत्र में धान सूख जाने की शिकायत

*५--**श्री झारखंडेराय**--क्या सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि रसनपुरा ब्लाक, जिला बलिया के अन्तर्गत गाढ़ा ताल में २ हजार बीघा बोरी धान की फसल पानी के अभाव से सूख रही है ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)--जी हां।

*६--**श्री झारखंडेराय**--क्या सरकार को पता है कि इस विषय में क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों ने स्थानीय सिंचाई अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया और इस धान को सूखने से बचाने का उपाय भी बताया परन्तु कोई ध्यान नहीं दिया गया ?

श्री राममूर्ति--जी हां। जन प्रतिनिधियों द्वारा बताये हुये उपाय कार्यान्वित नहीं किये जा सकते थे।

श्री झारखंडेराय--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि गाढ़ा ताल में १२ हजार बीघा बोरी धान सूख रहा था और जनता के नुमायन्दों ने सुझाव दिया था जो नहीं माना गया ? यदि हाँ, तो सरकार ने इस धान को बचाने के लिये कौन से उपाय किये और क्या फल निकला ?

श्री राममूर्ति--अध्यक्ष महोदय, पहले तो बारह हजार बीघा का सवाल पैदा नहीं होता। सवाल में केवल दो हजार बीघे के बारे में जिक्र किया गया है। नम्बर दो, मार्च और अप्रैल में कुछ सज्जन वहां के सिंचाई विभाग के अधिकारियों से मिले थे। मार्च में जो सज्जन मिले उन्होंने यह सुझाव रखा कि ८ मील की ड्रेन खुद रही है, इस ड्रेन के जरिये पानी दिया जाय, लेकिन चूंकि वह ड्रेन मुकम्मल नहीं हो पाई इसलिये उसके जरिये पानी देने का

सवाल पैदा नहीं हुआ। अप्रैल के महीने में जो सज्जन मिले उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक तीन मील की नाली खोद दी जाय। उसकी जांच की गई और वहां के अधीक्षक अभियन्ता ने यह मुनासिब समझा कि नाली नहीं खोदी जा सकती। इसके अतिरिक्त वह जमाना गन्ने की बोनी का होता है और पम्पों के जरिये नहर में पानी दिया जाता है। इतनी पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं था कि गन्ने की बोनी के लिये भी दिया जा सके और साथ-साथ तालाब में भी पहुंचाया जा सके।

[१ अगस्त, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

नलकूप विभाग में ट्रेसरों के पदों का स्थायित्व

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री गौरीशंकर राय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ट्यूबवेल विभाग में काम करने वाले ट्रेसरों का पद कब से चालू किया गया है और क्या ट्रेसरों में से कोई अब तक स्थायी नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—नलकूपों के सम्बन्ध में ट्रेसर का पद सर्वप्रथम १९३४ ई० में स्थापित किया गया। ऐसे १६ पद अभी तक स्थायी कर दिये गये हैं और उनमें से भी १० पदों पर स्थायी रूप से नियुक्ति भी कर दी है। शेष ६ स्थायी पदों पर कर्मचारियों के स्थायी करने के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २७ वर्ष तक यह पद स्थायी क्यों नहीं किये गये? इसका कारण क्या है?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, जिन पदों का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है वह डिवीजनल केडर के हैं। इसमें कम्प्युटर, ड्राफ्ट्समैन, अनक्वालीफाइड ड्राफ्ट्समैन, असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन और ट्रेसर, पांच किस्म के आदमी थे। जैसे-जैसे डिवीजन खुलते रहे, वैसे-वैसे वहां के अधीक्षक अभियन्ताओं ने अपनी मांगें चीफ इंजीनियर के पास भेजीं। उन पर उन्होंने गौर किया। १६ पद जो स्थायी कर दिये गये हैं उनमें १० की नियुक्ति हो गयी है और ६ पर विचार किया जा रहा है। जैसे-जैसे पदों की मांग होती रहती है, उस पर विचार होता रहता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि यह १६ पद किस सन् में, किस महीने की किस तारीख को स्थायी किये गये हैं।

श्री राममूर्ति—मेरे पास महीना और तारीख तो नहीं है, लेकिन जैसा कि जवाब में बताया, यह १९३४ से लेकर १९६० तक पद क्रिएट होते रहे हैं, लेकिन इन १६ में से १० पर आदमी लगा दिये गये हैं, ६ पर विचार हो रहा है। लेकिन जनरल रूल्स यह बना दिये गये हैं कि कैडर बहुत बड़ा हो गया है और करीब-करीब हर सर्किल में मांग होती रही है, इसलिए इसके रूल्स आखिरी तरीके से बना दिये जायं ताकि आगे लोगों को सहूलियत मिले और लोगों को पदों पर पहुंचने में दिक्कत न हो।

सिंचाई विभाग में ड्राफ्ट्समेन

*२—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में कुल कितने ड्राफ्ट्समेन कार्य कर रहे हैं? उनमें कितने अस्थायी और कितने स्थायी हैं और उक्त विभागों में ड्राफ्ट्समैन की कुल कितनी जगहें खाली हैं?

श्री राममूर्ति—सिंचाई विभाग में २८२ ड्राफ्ट्समेन कार्य कर रहे हैं। इनमें से २१५ अस्थायी और ६७ स्थायी हैं। विभाग में ड्राफ्ट्समैन की कुल ५२ जगहें रिक्त हैं।

बदायूं जिले में नलकूपों से पर्याप्त जल न मिलना

*३—**श्री टीकाराम** (जिला बदायूं)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बदायूं में ट्यूबवेलों का पानी कम होता जा रहा है और वह पूरे कमांड की सिंचाई नहीं करते ? क्या ऐसी भूमि को जिसे पांच साल से पानी नहीं मिला है, सरकार कमांड से खारिज करेगी और वहां के किसानों को अपने निजी कुयें बनाने में कोई रुकावट न डालेगी ?

श्री राममूर्ति—जी हां, कुल नलकूपों के विषय में यह बात सही है। ऐसे नलकूप जिनका डिस्चार्ज (discharge) निर्धारित सीमा से नीचे गिर गया है और वह पूरे कमांड की सिंचाई नहीं कर पाते, उनका पुनर्निर्माण (reconstruction) किया जा रहा है। जहां आवश्यक समझा जाता है वहां ऐसे क्षेत्रों को जिनको नलकूप से पानी नहीं मिल पाता कमांड से खारिज भी किया जा रहा है। किसानों द्वारा निजी कुयें बनाने में सरकार की ओर से कोई रुकावट नहीं है। केवल बिजली द्वारा चालित निजी नलकूप बनाने की अनुमति देने के लिये कुछ शर्तें निर्धारित हैं। जहां राजकीय नलकूप के कमांड के किसी क्षेत्र की उस नलकूप द्वारा सिंचाई नहीं हो पाती, उस क्षेत्र की सिंचाई के लिये निजी नलकूप (private tubewell) के लगाने में कोई आपत्ति नहीं की जाती।

*४—**श्री टीकाराम**—क्या सरकार सिंचाई की वृद्धि के लिये ऐसे किसानों को जो अपने कुयें बनाना चाहते हैं दीर्घकालीन कर्जा देने की व्यवस्था करेगी और जमानत की शर्त को आसान करने के लिये नियम बनायेगी ?

श्री राममूर्ति—दीर्घकालीन कर्जा देने की व्यवस्था पहले से ही है। जमानत की शर्त को और आसान बनाना उचित नहीं होगा।

श्री टीकाराम—डिस्चार्ज की निर्धारित सीमा क्या है ?

श्री राममूर्ति—मामूली तरीके से अगर एक ट्यूबवेल का डिस्चार्ज १५ हजार गैलन से नीचे गिर जाता है तब उसको रीबोर किया जाता है और एक शर्त यह है कि अगर कोई ऐसा ट्यूबवेल है जिसका डिस्चार्ज ४० हजार गैलन है तो अगर वह आधा रह जाय तब भी इस पर विचार कर लिया जाता है कि उस ट्यूबवेल को फिर से रीबोर किया जाय।

श्री टीकाराम—जिस कुएं का डिस्चार्ज १५ हजार रह जाता है और ४० हजार सीमा है तो उसके पानी से सिंचाई में कुछ कमी कर दी जाती है क्या ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, कमी कोई नहीं की जाती है बल्कि उसको फिर से नया बना दिया जाता है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें इस प्रकार की सूचना है कि बदायूं जिले के अधिकांश नलकूपों का डिस्चार्ज १० हजार गैलन से भी नीचे गिर गया है ?

श्री राममूर्ति—मेरे पास तो इसकी सूचना नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार इस बात की जांच कराने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले में अधिकांश कुओं का डिस्चार्ज १० हजार गैलन से भी नीचे गिर गया है ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, जांच कराने की जरूरत इसलिये नहीं होती कि जिन कुओं का डिस्चार्ज गिर जाता है अव्वल तो वहां के रहने वाले खुद ही उसकी शिकायत किया करते हैं और यों भी डिपार्टमेंट की तरफ से कुओं की जांच होती रहती है।

श्री राजनारायण—प्रश्न यह है कि जो नलकूप ३६ हजार गैलन प्रति घंटा पानी देते रहे जिसका डिस्चार्ज ३६ हजार गैलन मान लिया जाय, आज अगर वह १२, १३ या १६ हजार तक हो जाता है तो किसान को इससे खेतों में पानी देने में दिक्कत पड़ती है या नहीं और यदि पड़ती है तो उसका निराकरण करने का क्या रास्ता निकाला गया है ?

श्री अध्यक्ष—वह कहते हैं कि बनवा देते हैं।

श्री राजनारायण——सरकार कहती है कि २० हजार तक हो जाय तो उसकी हमारे पास कोई रेमेडी नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार कोई रेमेडी ढूंढ़े, क्योंकि किसान को तो इससे बड़ी हानि हो रही है।

श्री अध्यक्ष—आप तो यह कह रहे हैं कि ३६ हजार की जगह १४ हजार रह जाय तो उस वक्त क्या निराकरण उसका सरकार करती है ? तो उस वक्त वह कहते हैं कि बनवा देंगे, लेकिन अगर आधे से कम न रहे तो वह उसके लिए लिमिट १५ हजार की करते हैं।

श्री राजनारायण—तो मेरा निवेदन प्रश्न के द्वारा यह है कि सरकार कृपा करके कोई ऐसी व्यवस्था करे कि अगर ३६ हजार गैलन की जगह १८ हजार या १६ हजार गैलन पानी मिल रहा है तो वहां के किसानों के लिए जो नलकूप का रेट है उसको आधा करे, क्या सरकार इस पर सोच रही है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार को पता है कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आम तौर से कुओं का डिस्चार्ज कम है ? यह देखते हुए सरकार क्या इस बात की व्यवस्था करेगी कि उन क्षेत्रों में जब नये कुएं बनाये जायं तो उनका कमांड कम रखा जाय ?

श्री राममूर्ति—प्रदेश के उन हिस्सों में जहां पर कि कुएं बोर किये गये हैं और स्ट्रैटा अच्छा नहीं मिला है, कम डिस्चार्ज के कुएं बने हैं, सरकार का यह विचार है कि वहां पर नये ट्यूबवेल न लगाये जायं बल्कि और सिंचाई की योजनाएं, जैसे मेसोनरी वेल्स और पक्के कुएं वगैरह, किसान बनायें और उससे पानी दें।

श्री देवनारायण भारतीय—माननीय मंत्री जी जिला बदायूं में इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि वहां के प्रत्येक ट्यूबवेल का जितना कमांड एरिया निश्चित है उसमें से कितना सिंचित होता है और कितना असिंचित रह जाता है ?

श्री राममूर्ति—जब कभी हमारे यहां किसी कमांड में ऐसा कोई वाकया होता है तो पहले तो जैसा मैंने अर्ज किया कि वहां पर नये ट्यूबवेल बनाते हैं जिससे कि यह शिकायत दूर हो जाय और हम यह भी करते हैं कि जहां बड़े-बड़े कमांड हैं वहां बीच-बीच में और ट्यूबवेल लगाते रहते हैं जिससे कि उस कमांड में साधारण तरीके से आबपाशी हो जाय।

श्री टीकाराम—अच्छे कुएं के कमांड की सीमा आपने क्या रखी है ?

श्री राममूर्ति—अच्छे कुएं का कमांड ७०० एकड़ के करीब होना चाहिए, लेकिन जिन इलाकों के अन्दर किसान केवल रबी में पानी लेते हैं वहां पर कमांड एक-एक हजार एकड़ तक के चले आ रहे हैं।

नोट—तारांकित प्रश्न ४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

टुकेड़ी फार्म निवासी औतारसिंह की हत्या से संबंधित पत्र पर विचार

*५--आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--क्या गृह मंत्री को गांव टुकेड़ी फार्म थाना सितारगंज, जिला नैनीताल के रहने वाले श्री सुजानसिंह, पुत्र नैनजसिंह का एक प्रार्थना-पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि जब उसका लड़का औतारसिंह अपनी रिश्तेदारी में गया था तो रास्ते में कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी ?

श्री चरणसिंह--जी हां। किन्तु इस प्रार्थना-पत्र दिनांक १६-३-६१ में औतार सिंह के बाजपुर की ओर जाने का उल्लेख है।

*६--आचार्य दीपंकर--क्या यह सही है कि हत्या के दिन १७ दिसम्बर, १९६०, से ही पूर्वोक्त पिता पुलिस की मदद मांगता रहा और पुलिस द्वारा कुछ भी कार्यवाही न करने पर उसने मंत्री महोदय को १६ मार्च, १९६१ को पूर्वोक्त प्रार्थना-पत्र भेजा ?

श्री चरणसिंह--इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने प्रथम प्रार्थना-पत्र दिनांक ४-१-६१ को जिला अधिकारियों के पास भेजा जिसके आधार पर दि० ८-१-६१ को दरयाफ्त हाल शुरू किया गया। उक्त प्रार्थना-पत्र के पूर्व पुलिस की मदद प्राप्त करने के लिए कोई प्रार्थना-पत्र नहीं मिला है।

*७--आचार्य दीपंकर--यदि हां, तो क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री चरणसिंह--इस सम्बन्ध में धारा ३६४/३७९/३०७/२०१ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम कर दिनांक १४-४-६१ को आरोप-पत्र न्यायालय भेज दिया गया जहां वह विचाराधीन है।

*८--श्री ऊदल--[हटा दिया गया।]

बरगांव खंगार ग्राम की डकैती में हत्यायें

*९--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि थाना गुरसराय, जिला झांसी में जनवरी, १९६१ के तीसरे सप्ताह में एक गांव में सुनार के यहां डाका पड़ा था और डाकुओं द्वारा एक व्यक्ति मार डाला गया था ?

श्री चरणसिंह--जी हां, दिनांक १८-१-६१ को एक डकैती की घटना ग्राम बरगांव खंगार में हुई थी जिसमें डाकुओं द्वारा एक व्यक्ति मार डाला गया था।

*१०--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त डकैती में किसी डाकू को भी उक्त परिवार के लोगों द्वारा घायल किया गया था और बाद में वह मरा पाया गया ? यदि हां, तो उक्त मृत डकैत कौन था और उसके पास क्या-क्या सामान बरामद हुआ था ?

श्री चरणसिंह--जी हां, मृत डकैत का नाम स्वामीदीन, पुत्र घसीटे सुनार, साकिन सरीला, थाना जरिया, जिला हमीरपुर था। उसके पास से ९ वस्तुएं बरामद हुईं जिनकी सूची (क) संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १७६ पर)

*११--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस सम्बन्ध में अब तक कितनी गिरफ्तारियां किस गांव में किसके मकान पर हुईं और अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह---इस सम्बन्ध में ५ व्यक्ति गिरफ्तार हुए और २ व्यक्तियों ने अदालत में आत्मसमर्पण किया। उक्त व्यक्तियों की जिस स्थान पर गिरफ्तारी हुई तथा इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न सूची (ख) में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १७७ पर)

पिछड़ी जाति के पुलिस अधिकारी

*१२---श्रीमती शकुन्तलादेवी (जिला सहारनपुर)---क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि पुलिस विभाग में अनुसूचित जातियों के १८ प्रतिशत पद भरे जा चुके हैं? यदि नहीं, तो कब तक पूरा किया जा सकेगा?

श्री चरणसिंह---जी नहीं। प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में कोई निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है, क्योंकि पदों का भरा जाना अनुसूचित जातियों के योग्य तथा उपयुक्त उम्मीदवारों की उपलब्धि पर निर्भर है।

*१३---श्रीमती शकुन्तला देवी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान काल में उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड जाति से कितने एस० पी०, डी० एस० पी०, सब-इन्सपेक्टर कार्य कर रहे हैं?

श्री चरणसिंह---पिछड़ी जाति के २ एस० पी०, ४ डी० एस० पी० तथा १६४ सब-इन्सपेक्टर कार्य कर रहे हैं।

कानपुर जिले में मोटर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एहतियाती तरीके

*१४---श्री रामदुलारे मिश्र---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर शहर और जिले के अन्तर्गत विभिन्न मार्गों पर चलने वाले ट्रकों द्वारा निरन्तर बढ़ने वाली मौतों को रोकने की वह क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री चरणसिंह---इस प्रकार की दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कानपुर शहर व जिले में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है :---

(१) जिन सड़कों पर भीड़ अधिक रहती है वहां ट्रकों व कारों की रफ्तार निर्धारित कर दी गई है।

(२) शहर व कस्बों में दिन के समय उन सड़कों पर मोटर ठेलों का आना-जाना बन्द कर दिया गया है जहां भीड़ अधिक रहती है।

(३) शहर व कस्बों के चौराहों पर ट्रैफिक आइलैंड (Traffic Island) दिये गये हैं और बनाये जा रहे हैं।

(४) शहर व कस्बों में समय-समय पर ट्रैफिक प्रोपेगन्डा किया जाता है और मोटर चालकों को ट्रैफिक के सही नियमों से परिचित कराया जाता है।

(५) शहर की कुछ विशेष सड़कों पर एकतरफा यातायात (one-way traffic) की व्यवस्था की गई है।

रहमान खेड़ा फार्म अधिकारी के विरुद्ध शिकायत

*१५---श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ जिले के अन्तर्गत रहमान खेड़ा कृषि फार्म के अधिकारियों ने ग्राम दुगौली मजराउ-लरापुर के किसानों के आने-जाने का कदीमी रास्ता मार्च, १९६१ से बन्द कर दिया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री चरणसिंह---रास्ता बन्द नहीं किया गया है, केवल रात को दस बजे के बाद उस रास्ते से जो फार्म के गोदाम इत्यादि से मिला हुआ है आना जाना रोक दिया गया था। ऐसा करना जनहित में था।

*१६--श्री सजीवनलाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त ग्राम के किसानों ने रहमान खेड़ा फार्म के किसी अधिकारी के दुर्व्यवहार के प्रति हाल में सरकार के पास शिकायत भेजी है ?

श्री चरणसिंह--जी हां, परन्तु दिनांक २६ अप्रैल, १९६१ को उन लोगों ने शिकायत वापस ले ली ।

कुसेपुरा को पहूज नदी के कटाव से बचाने की प्रार्थना

*१७--श्री गरीबदास (जिला जालौन)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह ग्राम कुसेपुरा डाकखाना रामपुरा, जिला जालौन को पहूज नदी के कटाव से बचाने के लिये नदी की धार को मोड़ने अथवा गांव को किसी ऊंचे स्थान पर बसाने के लिये राजकीय विशेषज्ञों द्वारा जांच करा रही है ?

श्री राममूर्ति--ऐसी कोई जांच इस समय सरकार द्वारा नहीं हो रही है ।

*१८--श्री गरीबदास--यदि हां, तो अभी तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति--प्रश्न नहीं उठता ।

*१९--श्री गरीबदास--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त गांव और नदी के कटान का निरीक्षण करके जिला इंजीनियर, नहर विभाग ने सरकार को क्या सूचना दी है ?

श्री राममूर्ति--सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि ग्राम कुसेपुरा की आबादी नदी की मुख्य धारा से लगभग ५० गज की दूरी पर है और निकट भविष्य में आबादी को कोई खतरा नहीं है ।

पीलना ड्रेन में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा न मिलना

*२०--श्री राजेन्द्रदत्त (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला मुजफ्फरनगर में पीलना ड्रेन का एक्सटेन्शन चरथावल तक किस साल में हुआ था ?

श्री राममूर्ति--इस ड्रेन पर कार्य १९५८-५९ में प्रारम्भ किया गया तथा १९६०-६१ में समाप्त हो गया ।

*२१--श्री राजेन्द्रदत्त--क्या उक्त ड्रेन के २३वें मील का पत्थर जिस खेत में था उसके मालिक ने उसे उखाड़ कर एक्वायर की हुई जमीन खेत में मिला दी और रास्ता बन्द कर दिया जिससे जनता को बड़ा कष्ट है ?

श्री राममूर्ति--पत्थर अपने स्थान से जरूर हटा दिया गया, परन्तु यह नहीं मालूम कि पत्थर किसने हटाया । सिंचाई विभाग द्वारा ली गई जमीन खेत में नहीं मिलाई गई, बल्कि जो जमीन सड़क के लिये प्रयोग होती थी उसका कुछ भाग खेत में मिला लिया गया ।

*२२--श्री राजेन्द्रदत्त --उक्त ड्रेन में जिन किसानों की जमीन ली गयी है उनको अब तक मुआवजा न देने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति--सूचना एकत्र की जा रही है ।

नहर विभाग द्वारा बांधों की पट्टे पर उठाई गई भूमि

*२३--श्री रामलखन (जिला वाराणसी)--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में नहर विभाग ने मोका बांध, चन्द्रप्रभा बांध तथा नौगढ़ बांध की जमीन खेती के वास्ते पट्टे पर उठाई है ?

श्री राममूर्ति---नौगढ़ तथा मौका बांधों की वह जमीन जिस पर सिंचाई विभाग को अधिकार प्राप्त हो चुका है पट्टे पर उठा दी गई है । चन्द्रप्रभा बांध से ऐसी कोई भूमि उन्मग्न नहीं हुई ।

*२४---**श्री रामलखन**---यदि हां, तो अलग-अलग उक्त बांधों की कुल कितने एकड़ जमीन पट्टे पर दी गई तथा किन शर्तों पर ?

श्री राममूर्ति---नौगढ़ बांध की २१६ एकड़ तथा मौका बांध की ४ एकड़ उन्मग्न भूमि आई० डी० फार्म ११५ की शर्तों के अनुसार ३ साल के लिये पट्टे पर उठा दी गई है ।

*२५---**श्री रामलखन**---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त वितरण में कितने हरिजनों एवं भूमिहीनों को जमीन पट्टे पर दी गई ?

श्री राममूर्ति---उक्त भूमि को पट्टे पर लेने वाले व्यक्तियों में से ८ हरिजनों को दी गई । किसी भूमिहीन को जमीन नहीं दी गई ।

पकड़ी का पूरा तथा चौहान पट्टी गांवों को नदी के कटाव से बचाने की प्रार्थना

*२६---**श्री रामकृष्ण जैसवार** (जिला मिर्जापुर)---क्या सरकार को यह मालूम है कि ग्राम पकड़ी का पूरा तथा ग्राम चौहान, पट्टी, तहसील सदर, जिला मिर्जापुर के हरिजनों एवं मल्लाहों के मकान नदी के कटाव में आ जाने के फलस्वरूप संकट में हैं ?

श्री राममूर्ति---जांच-पड़ताल करने से पता चला कि इन दोनों ग्रामों के मकानों को अभी तक न तो कोई हानि हुई है और न भविष्य में किसी हानि की आशंका है ।

*२७---**श्री रामकृष्ण जैसवार**---यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त बात की जांच कराके वर्षा के पहले उक्त नदी के कटाव में पड़ने वाले बस्ती के लोगों को उसी ग्राम में ग्राम समाज की भूमि में अथवा जिलाधीश द्वारा भूमि की व्यवस्था कराके बसाने की समुचित व्यवस्था करेगी ?

श्री राममूर्ति---प्रश्न नहीं उठता ।

लैन्सडौन तहसील में भारतनन्दन व कुन्दनसिंह के यहां चोरी

*२८---**श्री रामप्रसाद नौटियाल** (जिला गढ़वाल)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५९ और १९६० में स्थान नैनीडांडा, लैन्सडौन तहसील के अन्तर्गत किन-किन लोगों की चोरियां हुईं और चोरी का कितना माल अब तक बरामद हुआ है ?

श्री चरणसिंह---सन् १९५९ और १९६० में स्थान नैनीडांडा, तहसील लैंसडौन के अन्तर्गत केवल एक चोरी श्री भारत नन्दन के यहां हुई । चोरी का माल बरामद नहीं हुआ ।

*२९---**श्री रामप्रसाद नौटियाल**---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपर्युक्त चोरियों के सम्बन्ध में कोई आदमी पकड़े गये हैं या नहीं ?

श्री चरणसिंह---उक्त चोरी के संबंध में कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा गया ।

*३०---**श्री रामप्रसाद नौटियाल**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इसी तहसील के अन्तर्गत ग्राम, गंगोलीसेंग पट्टी बंगो, में श्री कुन्दन सिंह के घर में १९५९ में जो-जो डाका पड़ा है उस सिलसिले में कितने आदमी पकड़े गये और कितना माल अब तक बरामद हुआ है ?

श्री चरणसिंह---यह घटना डकैती की नहीं बल्कि चोरी की थी । इस सम्बन्ध में न तो कोई व्यक्ति पकड़ा गया और न ही कोई माल बरामद हुआ ।

बेकार नलकूप

*३१--श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के कितने सरकारी नलकूप इस समय सिंचाई का कार्य कर रहे हैं और कितने सिंचाई के प्रयोग में नहीं आ रहे हैं ?

श्री राममूर्ति--इस समय ६,५६५ नलकूप सिंचाई का कार्य कर रहे हैं और १२९ नलकूप प्रयोग में नहीं आ रहे हैं ।

*३२--श्री धर्मदत्त वैद्य --क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो नलकूप सिंचाई नहीं कर रहे हैं उनका निर्माण कब हुआ और किन कारणों से अब तक सिंचाई के उपयोग में नहीं आ रहे हैं ?

श्री राममूर्ति--वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १७८ पर ।)

तामा ग्राम के फ्लड शेड की मरम्मत का विचार

*३३--श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या मौजा तामा कानूनगो क्षेत्र धनघटा, जिला बस्ती में बाढ़ विभाग द्वारा जो फ्लड शेड बनाया गया था वह गत वर्ष आंधी के कारण गिर गया और दीवार से टीन की छाजन उड़ कर दूसरी जगह जा पड़ी है ? यदि हां, तो उसकी मरम्मत अब तक क्यों नहीं की गई ?

श्री राममूर्ति--जी हां । शेड के मरम्मत का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

रीवा-सीवा ड्रेन में अधिगृहीत भूमि का लगान लेने की शिकायत

*३४--श्री रामस्वरूप वर्मा --क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शारदा कैनाल दरियाबाद डिवीजन में १९५६ में रीवा-सीवा ड्रेन जहुआ के पुल फतेहपुर जिला बाराबंकी से रीवा-सीवा तक ९ मील लम्बी निकाली गई थी तथा जिन किसानों की जमीन उसमें ली गई है उन्हें लगान अभी तक देना पड़ रहा है ?

श्री राममूर्ति--एक ८ मील ५ फर्लांग लम्बी रीवा-सीवा ड्रेन बनाई गई है । उसके लिये ली गई भूमि का लगान किसानों से नहीं लिया जा रहा है ।

चुरियाघाट से बरहज बाजार तक बांध बनाने की प्रार्थना

*३५--श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया में घाघरा नदी के बाढ़ से बचाव के लिये सलेमपुर तहसील प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के संयोजक की ओर से तथा नागरिकों की ओर से जिलाधीश देवरिया को दिनांक २ दिसम्बर, १९६० का इस आशय का कोई प्रार्थना-पत्र कि चुरियाघाट से बरहज बाजार तक बन्ध बनाने की सिफारिश प्रदेशीय सरकार से की जाय, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या प्रगति हुई है ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं ।

*३६--श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला देवरिया में छोटी गंडक नदी व घाघरा नदी के संगम से चुरिया ग्राम तक जो तट बन्ध बना है वह कब बना, उसमें कितना व्यय हुआ है और उसको और आगे बरहज बाजार तक बढ़ाने की योजना क्या उसके विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या उसका सर्वेक्षण हो चुका है कि उसमें कितना अनुमानित व्यय होगा तथा कितनी एकड़ भूमि ली जायेगी ?

श्री राममूर्ति--यह बांध कृषकों द्वारा बनाया गया था और इसे बरहज बाजार तक बढ़ाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

मेरठ जिले में सांसी लोगों के साथ शिनाख्ती कार्रवाई

*३७--श्री सुखीराम भारतीय (जिला इलाहाबाद)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में जिला मेरठ के सांसी जाति (विमुक्त जाति) के लोगों के फोटो, अंगूठा निशानी आदि पुलिस द्वारा लिया जाना शुरू किया गया है ?

* ३८--यदि हां, तो क्या गृह मंत्री कृपया उन कारणों तथा नियमों पर प्रकाश डालेंगे जिनके अधीन ऐसा किया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह--मेरठ पुलिस ने ऐसे सभी व्यक्तियों के अंगूठा निशानी तथा फोटो का रेकार्ड तैयार करना शुरू किया है जिनको जनता के जानमाल के अपहरण के संबंध में पकड़ा जा चुका है और जो Identification of Prisoner's Act की धारा ३ के अन्तर्गत आते हैं ।

बलरामपुर तहसील में ट्रांस-राप्ती क्षेत्र के लिए नलकूप योजना

*३९--श्री धर्मपालसिंह (जिला गोंडा)--क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोंडा जिले में बलरामपुर तहसील के ट्रांस-राप्ती क्षेत्र में रेलवे लाइन के दक्षिण नलकूप की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति--जी हां, ऐसी एक योजना है ।

ललितपुर से एक युवक का कथित अपहरण

*४०--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या यह सही है कि ८ मार्च, १९६१ को शाम को कुछ गुन्डे मुहम्मद जावेद हसीद नाम के एक युवक को ललितपुर (झांसी) कस्बे से उठाकर लिये जा रहे थे, लेकिन एक फौजी जोड़े ने उनका पीछा करके उसे छुड़ाया ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं ।

*४१--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या यह सही है कि युवक के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने कुछ दिनों के बाद एक गुन्डे को गिरफ्तार भी कर लिया ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं, इस बारे में युवक के पिता ने पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं की ।

*४२--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--अगर हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पुलिस ने गुन्डों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह--प्रश्न नहीं उठता ।

कठौड़ा ग्राम में घाघरा के किनारे रेगुलेटर लगाने की योजना तथा अपूर्ण श्रीनगर तुर्तीपार बांध

*४३--श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले के अन्तर्गत ग्राम कठौड़ा में घाघरा नदी के किनारे रेगुलेटर बनाने की योजना सरकार द्वारा स्वीकृत हुई है ?

श्री राममूर्ति--जी हां ।

*४४—श्री जगन्नाथ चौधरी—यदि हां, तो क्या रेगुलेटर बनाने का काम शुरू हो गया है ? यह रेगुलेटर कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री राममूर्ति—जी हां, पुराना ठेकेदार इस कार्य को पूर्ण करने में असफल हो गया है, अतः इसको डेबिटेबिल एजेन्सी (debitable agency) द्वारा पूर्ण करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

*४५—श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले के अन्तर्गत श्रीनगर तुर्तीपार बांध में सीसोटार के पास कुछ काम अधूरा रह गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—जी हां । भूमि प्राप्त न होने के कारण काम पूर्ण नहीं किया जा सका ।

इटावा जिले में सेंगर नदी के किनारे के गांवों को ऊंचा करने का विचार

*४६—श्री अभयराम यादव (जिला इटावा)—क्या सरकार जिला इटावा के ऐसे ग्रामों के धरातल को जिनमें प्रायः सेंगर नदी से क्षति होती है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में ऊंचा करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—जी हां ।

इटावा जिले के लिए नलकूप तथा पाताल तोड़ कूप योजना

*४७—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में १९५६ से अब तक सरकार द्वारा कितने पाताल तोड़ कुयें और कितने ट्यूबवेल खोदे गये ?

*४८—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९६१ तथा १९६२ में इटावा जिले में कितने आर्टीजन बल तथा ट्यूबवेल खोदने का विचार वह कर रही है और कहां-कहां ?

श्री राममूर्ति—सूचना एकत्र की जा रही है ।

धर्मपुर विशुनपुर में अवैध गांजे की बरामदगी

*४९—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या गृह मंत्री आजमगढ़ में पकड़े गये गांजे की बरामद कम दिखाने के बारे में दिनांक ४ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६५ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि क्या उप-पुलिस अधीक्षक को लिखित रिपोर्ट इस संदर्भ में कोई नहीं प्राप्त हुई थी ?

श्री चरणसिंह—इस संबंध में उप-पुलिस अधीक्षक को कोई लिखित रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी ।

*५०—श्री यमुनासिंह—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस उपाधीक्षक (परिवाद) की जांच के पहले सर्किल इंस्पेक्टर ने भी उक्त शिकायत की जांच की थी ? यदि हां, तो उनकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री चरणसिंह—जी हां । सर्किल इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार थाना मधुबन के अफसर दोयम ने २८ सेर से अधिक गांजा पकड़ा तथा कुछ अनुचित लाभ भी उठाया । उक्त घटना के संबंध में सर्किल इंस्पेक्टर ने थानाध्यक्ष का चरित्र भी काफी संदिग्ध पाया, क्योंकि उन्होंने घटना की सूचना मिलने पर भी गांजे की बरामदगी के लिये कोई कार्यवाही नहीं की ।

बाराबंकी जिले में बाढ़ का पानी निकालने की प्रार्थना

*५१—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५९ में कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को दिया गया था कि जिला बाराबंकी में जिन नालों, नदियों, झीलों व तालाबों में तलाव आता है उनके पानी के निकास की व्यवस्था की जाय? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

केंचुआ तथा परेवा ग्राम की डकैतियां

*५२—श्री मुनीन्द्रपालसिंह, (जिला पीलीभीत) श्री प्रतापसिंह तथा श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम केंचुआ, थाना विलसंडा, जिला पीलीभीत में १६ फरवरी, १९६१ को किसी डाकू के हाथ की दो उंगलियां तलवार से कटी पायी गईं और दूसरे डाकू के सर व कंधे पर घाव लगने की रिपोर्ट की गई ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—१५, १६ फरवरी, १९६१ की रात को उक्त ग्राम में एक डकैती पड़ी थी जिसमें एक डाकू की दो उंगलियां कटी हुई मौके पर पाई गई थीं । यह डाकू अभी पकड़ा नहीं जा सका है । दूसरे डाकू के घायल होने की कोई रिपोर्ट थाने पर नहीं हुई, अतएव इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

*५३—श्री मुनीन्द्रपालसिंह, श्री प्रतापसिंह तथा श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त थाना के ग्राम परेवा में डकैती १४ मार्च, १९६१, को पड़ी थी ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों की हत्या हुई और घटना-स्थल का निरीक्षण किस अधिकारी द्वारा किया गया ?

श्री चरणसिंह—१४, १५ मार्च, १९६१ की रात को उक्त ग्राम में एक डकैती पड़ी थी । इसमें एक व्यक्ति डाकुओं द्वारा घटनास्थल पर जान से मारा गया । पुलिस अधीक्षक ने स्वयं घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण किया था ।

ललितपुर सब-डिवीजन में पी० ए० सी० फोर्स पर व्यय

*५४—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ललितपुर सब-डिवीजन (झांसी) में पी० ए० सी० की जो फोर्स १९५५ में तैनात की गयी थी, क्या वह अब भी वहां मौजूद है ? यदि हां, तो उस पर कितना वार्षिक व्यय होता है ?

श्री चरणसिंह—जी हां, उस पर वार्षिक व्यय लगभग रु० २,७६,१५७ है ।

*५५—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त फोर्स ने गत तीन वर्ष में कितने डाकू पकड़े व मारे ?

श्री चरणसिंह—पी० ए० सी० फोर्स ने स्वयं स्वतंत्र रूप में न कोई डाकू पकड़ा है, न मारा है क्योंकि डाकू विरोधी कार्य या अभियान वहां पी० ए० सी० व सिविल पुलिस द्वारा संयुक्त रूप में होता है ।

बदायूं जिले में नलकूपों पर से चोरियां

*५६—श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—क्या गृह मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गत एक वर्ष में जिला बदायूं के सरकारी तथा प्राइवेट कौन-कौन से नलकूपों पर किस-किस चीज की चोरियां हुईं ?

श्री चरणसिंह—सन् १९६० में जिला बदायूं में ६१ सरकारी तथा २ प्राइवेट नलकूपों पर चोरियां हुईं । अधिकतर इंजनों के पुर्जे चुराये गये । सब घटनाओं में चोरी गये सामान की सूची बहुत व्योरे की है । अतः यदि सदस्य महोदय चाहें तो उसे कृपया मेरे कार्यालय में देख सकते हैं ।

फर्रुखाबाद जिले में पुराने थानेदार

*५७—श्री होरीलाल यादव—(जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में कितने थानेदार (Sub-Inspectors) ऐसे हैं जिनको फर्रुखाबाद जिले में काम करते ६ वर्ष या उससे अधिक हो चुके हैं ?

श्री चरणसिंह—फर्रुखाबाद जिले में इस समय ऐसा कोई थानेदार नहीं है ।

चौक, लखनऊ में वेश्यावृत्ति होने की शिकायत

*५८—श्री शिवराम (जिला बिजनौर)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या चौक, लखनऊ के श्री फिदाअली का एक पत्र दिनांक १०-३-६१ का उन्हें लखनऊ में वेश्यावृत्ति करवाने वाले लोगों के बारे में मिला है ? अगर हां, तो वह क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह—जी हां, ऐसा एक पत्र समाज कल्याण मंत्री जी को प्राप्त हुआ था । पत्र में यह शिकायत की गई थी कि चौक की कुछ वैश्यायें बाबू लाल शर्मा के नेतृत्व में वेश्यावृत्ति का पेशा करती हैं तथा उन्होंने अपने मकान के सामने ऐसे बोर्ड लगा रक्खे हैं जिनसे यह पता चले कि केवल गाने तथा नाचने वाली लड़कियां हैं । जिलाधीश लखनऊ द्वारा जांच कराने पर मालूम हुआ कि फिदाअली नामक कोई व्यक्ति चौक में नहीं है ।

*५९-६१—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—[२२ अगस्त, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

प्रतापगढ़ जिले में श्रीमती रुद्रपाल कुंवर की हत्या के सम्बन्ध में विधायक की गिरफ्तारी

*६२—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा) तथा श्री टम्बरेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जिले में हुई एक बुढ़िया की हत्या के संबंध में क्या किसी विधायक की गिरफ्तारी की गई है ? अगर हां, तो इस गिरफ्तारी का कारण क्या है ?

श्री चरण सिंह—जी हां । विधान परिषद् के एक सदस्य को श्रीमती रुद्रपाल कुंवर की हत्या के संबंध में धारा ४६०।१२० भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है ।

श्री विद्याभूषण चौधरी के गिरोह द्वारा श्री झारखंडे राय पर आक्रमण करने की पुलिस को सूचना

*६३—श्री झारखंडेराय—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने गत २१ मई को पुलिस कप्तान नैनीताल को फोन द्वारा, थानाध्यक्ष हल्द्वानी को लिखित पत्र द्वारा माननीय गृह मंत्री को तार द्वारा तथा गत २५ मई को इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को मिल कर इस बात की सूचना दी की बिदरामपुर फार्म, कालाडूंगी, हल्द्वानी (नैनीताल) के स्वामी श्री विद्याभूषण चौधरी के गुण्डों के गोल प्रश्नकर्ता पर आक्रमण करने की नीयत से हथियार बन्द होकर एक स्थान विशेष पर आये ?

श्री चरण सिंह—जी हां ।

*६४—श्री झारखंडेराय—यदि हां, तो इस संबंध में अधिकारियों तथा सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

श्री चरणसिंह—प्रश्नकर्ता महोदय की रिपोर्ट धारा ३५२।५०६ भा० द० वि० के अन्तर्गत दर्ज की गई। Non-cognizable अपराध होने के कारण पुलिस ने केस रजिस्टर नहीं किया। थानाध्यक्ष ने जांच की और शान्ति भंग का अंदेशा समझ कर दोनों पार्टियों का चालान धारा १०७।११७ जाब्ता फौजदारी में किया।

रामपुर में जमाते इस्लामी की कथित मीटिंग

*६५—श्री झारखंडेराय—क्या गृह मंत्री को इस बात की सूचना है कि रामपुर में जून के प्रथम सप्ताह में जमाते इस्लामी की एक प्रतिनिधिक गुप्त मीटिंग हुई है, जिसमें यह तय किया गया है कि जमाते इस्लामी आगामी चुनाव में एक राजनीतिक पार्टी के रूप में भाग लेगी और अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी ?

श्री चरणसिंह—सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

अश्लील पोस्टरों के प्रचार को रोकने का सुझाव

*६६—श्री मदन पांडेय, श्री लक्ष्मणराव कदम तथा श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार का ध्यान सिनेमाओं के अश्लील पोस्टरों द्वारा आम-जनता, विशेष कर बालक-बालिकाओं पर पड़ने वाले कुप्रभाव को रोकने के लिये आचार्य विनोबा भावे की उस अपील की ओर आकर्षित हुआ है जो कि उन्होंने अपनी हाल ही में उक्त प्रकार के पोस्टरों को बन्द करा देने के लिये प्रादेशिक सरकारों से की है ?

श्री चरणसिंह—जी हां।

*६७—श्री मदन पांडेय, श्री लक्ष्मणराव कदम तथा श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या गृह मंत्री ने आचार्य भावे को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया ह ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, मेरी और विनोबा जी की इस संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई। आचार्य जी ने कुछ जबानी बातें इस संबंध में मुख्य मंत्री जी से की थीं। उन्होंने उत्तर में निवेदन किया था कि उचित कार्यवाही इस संबंध में हो रही है और आइन्दा भी होती रहेगी।

लोक कलाकार संघ, अल्मोड़ा का अनुदान बन्द होना

*६८—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि लोक कलाकर संघ, अल्मोड़े को भारत सरकार के सांस्कृतिक व वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय से पहले जो अनुदान दिया जाता था उसे कुछ समय पहले उत्तर प्रदेशीय सरकार की शिकायत पर केन्द्रीय सरकार ने बन्द कर दिया था ?

श्री चरणसिंह—यह सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार ने लोक कलाकार संघ, अल्मोड़ा का अनुदान बन्द किया।

*६९—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या यह सही है कि प्रदेशीय सरकार ने फिर से उक्त लोक कलाकार संघ को अनुदान देने के लिये केन्द्रीय सरकार से संस्तुति की है ? अगर हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

आचार्य विनोबा भावे को आत्म-समर्पण करने वाले डाकुओं के साथ उचित व्यवहार न होने की शिकायत

*७०--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आचार्य विनोबा भावे के प्रयत्नों द्वारा डाकू दलों के कितने व्यक्तियों ने सामूहिक व व्यक्तिगत रूप से आत्म-समर्पण किया था तथा क्या गिरफ्तारी के बाद वे आगरा जिला जेल में फांसी वालों की कोठरियों में रखे गये हैं ?

श्री चरणसिंह--१८ डाकुओं ने सामूहिक रूप से मध्य प्रदेश में व १ डाकू ने व्यक्तिगत रूप से आगरा में आत्म-समर्पण किया था और इनमें से कोई डाकू आगरा जेल में फांसी वालों की कोठरियों में नहीं रखा गया ।

*७१--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार का ध्यान चम्बल घाटी शान्ति कमेटी के अध्यक्ष श्री कृष्ण स्वरूप की निम्नलिखित शिकायतों की ओर आकर्षित हुआ है : (१) उक्त दलों के ६ कुटुम्बों में पुनर्वास के लिये किये जाने वाले प्रयत्नों को पुलिस द्वारा असफल किया जा रहा है, (२) ग्राम खोहरी (आगरा) में सर्वश्री बदन सिंह व राम दयाल की लगभग १५० बीघा भूमि को पुलिस द्वारा जोतने बोने नहीं दिया गया व उनके घर गिरा दिये गये तथा वृक्ष काट लिये गये, (३) दस्यु विश्राम के आत्म-समर्पण के बाद उसके दो भाई पुलिस द्वारा मरवा डाले गये तथा उनके घरों से उनकी सारी सम्पत्ति लुटवा ली गई है ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं । सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई ।

*७२--श्री लक्ष्मणराव कदम--श्री राम अवतार जिसने कि सर्वप्रथम आत्म-समर्पण किया था उसके मामले में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चरणसिंह--राम औतार के विरुद्ध दो मुकदमे, एक धारा ३६५ भा० द० वि० व दूसरा ३०२ भा० द० वि० का, चलाये गये थे और दोनों में वह न्यायालय से बरी हो गया ।

मधुवन थाना की पुलिस के विरुद्ध घूसखोरी की शिकायत

*७३--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या गृह मंत्री १६ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि उप पुलिस अधीक्षक (परिवाद) से कब जांच कराई गई और प्रार्थी तथा उसके साक्षियों का बयान लिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन का और वह क्या है ?

श्री चरणसिंह--दिनांक ५ व ६ फरवरी, १९६१ को उप पुलिस अधीक्षक (परिवाद) द्वारा यह जांच कराई गई थी । प्रार्थी व उसके साक्षियों के बयान जांच के समय अंकित किए गए थे । प्रार्थी व उसके साक्षियों के बयान सदस्य महोदय कार्यालय में देख सकते हैं ।

*७४--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन आधारों पर आरोप सत्य नहीं पाये गये ?

श्री चरणसिंह--प्रार्थी, उसके साक्षियों व कुछ अन्य व्यक्तियों के बयान, थाना रिकार्ड एवं घटनास्थल की जांच से ज्ञात हुआ कि उक्त प्रार्थना-पत्र में पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप सही नहीं हैं ।

कटरा बाजार, इलाहाबाद में मुहर्रम के जुलूस पर पथराव

*७५--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद नगर में २७ जून, १९६१ को मुहल्ला कटरे में रात्रि के ९ बजे जब मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, जलूस पर ईंटा-पत्थर फेंके गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह---२७-६-६१ की रात को नहीं बल्कि २०-६-६१ की रात को लगभग ८-१/२ बजे कटरा बाजार में मुहर्रम के जुलूस पर ईंटें व बोतलें फेंकी गईं । इसका कारण अभी ज्ञात नहीं हुआ । जांच हो रही है ।

*७६--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त जलूस में ईंटा फेंकने के कारण कितने आदमी घायल हुये तथा कितने आदमी पकड़े गये ?

श्री चरणसिंह---३ व्यक्तियों के चोट लगना पाया गया तथा इस संबंध में ३ व्यक्ति गिरफ्तार किए गए ।

*७७-७८---**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)---[२२ अगस्त, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का पिस्तौल के लाइसेन्स के लिए जिलाधीश अल्मोड़ा को आवेदन-पत्र

*७९--**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिलाधीश, अल्मोड़ा के पास सन् १९५९ तथा सन् १९६० में अल्मोड़ा जिले के निवासी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कितने सहायक प्रोफेसरों के आवेदन-पत्र रिवाल्वर के लाइसेंस दिये जाने हेतु आये, तथा उनमें से कितनों के प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किये गये ?

श्री चरणसिंह---केवल एक सहायक प्रोफेसर का प्रार्थना-पत्र पिस्तौल के लाइसेंस के लिये १९६० में प्राप्त हुआ था जिस पर प्रार्थी को सूचित किया गया था कि वह इस संबंध में जिलाधीश इलाहाबाद को आवेदन-पत्र दें क्योंकि वह उक्त जिले में सहायक प्रोफेसर का कार्य कर रहे हैं ।

*८०-८१---**कुंवर श्रीपालसिंह**---[२२ अगस्त, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

सिंचाई विभाग का सरप्लस स्टाक

*८२---**कुंवर श्रीपालसिंह**---क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके विभाग में जो विभिन्न वस्तुओं का सरप्लस स्टाक सन् १९५२ से चल रहा है उसमें से अब तक कितनी कीमत का स्टाक दूसरे विभागों को स्थानान्तरित किया गया तथा कितने कीमत का बेचा गया और जो बेचा गया वह खरीद के दामों पर ही या घाटे पर बेचा गया ? यदि घाटे पर बेचा गया तो कितने का घाटा हुआ ?

श्री राममूर्ति---वांछित सूचना एकत्र करने में जो धन, श्रम तथा समय व्यय होगा वह उसकी उपयोगिता के अनुरूप न होगा ।

गाजीपुर में श्री इन्द्रजीत पाण्डेय की परिवार सहित मृत्यु की जांच

*८३---**श्री ऊदल**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २० मई, १९६१ की रात को मुहल्ला नवाबगंज, शहर गाजीपुर के श्री इन्द्रजीत पांडेय तथा उनके परिवार के लोग व नौकर अपने मकान के अन्दर मर गये थे जिसकी सूचना दूसरे दिन २१ तारीख को गाजीपुर कोतवाली में दी गई है ? यदि हां, तो मृत्यु होने का कारण क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह---जी हां, मृत्यु का कारण अभी तक निश्चित रूप से नहीं जाना जा सका है । विसेरा केमिकल एग्जामिनर को भेजा गया है । गुप्तचर विभाग द्वारा जांच हो रही है ।

*८४-८५---**श्री ऊदल**---[२२ अगस्त, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ के अधीन प्रख्यापित संशोधन*

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)——अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ ई० में उद्योग विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३०९६-एस/१८ सी–१७२३–५३ दिनांक १८ मई, १९६१ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा २८ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

पूर्वी अंचल में अवर्षण तथा मंत्रि-परिषद् की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष——मेरे पास दो कामरोको प्रस्ताव आये हैं जिनको मैंने अस्वीकृत कर दिया है। एक तो माननीय झारखंडेराय का था जो पूर्वी अंचल में अवर्षण के सम्बन्ध में है और दूसरा मन्त्रिपरिषद् की संख्या के बारे में है। मन्त्रि परिषद् की संख्या बढ़ाने पर कोई कामरोको प्रस्ताव कभी उपस्थित नहीं होता है। उसमें यह है कि यदि मंत्रि परिषद् के बारे में कोई शिकायत हो तो उसके लिये सीधे अविश्वास का प्रस्ताव ले आना ही उचित होता है। मैं इसके लिये इजाजत नहीं दे रहा हूं।

जहां तक अवर्षण का प्रश्न है, उसके लिये इतना कर देता हूं कि नियम ५२ के अन्तर्गत उसको एक रोज के लिये रखूं कि इसके ऊपर वह वक्तव्य दे दें क्योंकि पानी बीच-बीच में बरसता रहता है, इसलिये कोई तात्कालिक चीज नहीं है।

राप्ती नदी पर कैंटी ब्रिज के गिर जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष——कल झारखंडेराय जी ने कहा था कि कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और चूंकि कई महीने के बाद यह सदन बैठा है, तो कोई वक्तव्य वह चाहते थे कई विभागों से। ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठ खड़े हुये हैं। ऐसे प्रश्नों को नियम ५२ के अन्तर्गत लिया जाता है। रोज-रोज माननीय सदस्यों को फिर लिखकर उन्हीं को दोहराना न पड़े इसलिये ऐसे प्रश्नों को उपस्थित करने के लिये मैंने यह तरीका सोचा है कि कई महीने के बाद अगर सदन बैठे तब जो प्रश्न एक दिन आ जायें तो उन्हें जिस समय आएं उस समय के क्रमानुसार उनको प्रायोरिटी मुकर्रर करूं और एक-एक हर रोज के लिये निश्चित कर दूं, जिससे माननीय सदस्यों को सहूलियत हो जाय। मेरे पास नोटिस आ जाने पर सरकार के पास भी पहले से नोटिस पहुंच जाती है जिससे उनको यह कहना न पड़े कि उस रोज नहीं बल्कि दो रोज में वक्तव्य देंगे।

तो पहले जो मैंने स्वीकार किया है, वह आज के लिये श्री राजनारायण जी का है और साथ ही श्री दुर्योधन जी का भी इसी विषय पर है। वह, राप्ती नदी पर कैन्टी ब्रिज १६० फीट स्पैन का बन रहा था जो गिर गया है, उसके विषय में है। मैंने इस विषय के ऊपर वक्तव्य देने के लिये प्राथमिकता दी है। तो जो इस विषय के सम्बन्धित मंत्री हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वह इस विषय में, सार्वजनिक निर्माण के विषय में कब वक्तव्य देंगे?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)——मैं इस के ऊपर कल पूरे तौर पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष——अच्छा तो यह कल के लिये निश्चित हुआ।

नियम ५२ के अन्तर्गत गन्ना मिल मालिकों पर किसानों के बकाया रुपये की वसूलयाबी के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष——दूसरा यह है कि उत्तर प्रदेश के गन्ना मिल मालिकों पर आठ करोड़ से अधिक रुपया इस समय प्रदेश के किसानों का बकाया है। यह मैंने आपको सुना दिया और

*छापा नहीं गया।

मैं यह कहे देता हूं कि मैं इसको कल के लिये रखूंगा। यह सम्बन्धित मंत्री जी के पास चला जायेगा। फिर वह बतला देंगे कि सम्बन्धित मंत्री इस सम्बन्ध में किस रोज वक्तव्य देंगे। मैंने यह प्रश्न आपके सामने रख दिया है। कल ही चाहे तो वह अपना इस पर वक्तव्य दे सकते हैं या दूसरे रोज दे सकते हैं।

जिला अलीगढ़ में बढ़ती हुई कत्लों की संख्या के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—एक प्रस्ताव श्री नेकराम जी शर्मा का है जिसमें वह कहते हैं कि जिला अलीगढ़ में लगभग ५४ कत्ल इस वर्ष हुये जब कि पिछले वर्ष ४२ कत्ल हुए और इस साल ५४ कत्ल हुए। ऐसी परिस्थिति में वह जानना चाहते हैं कि सरकार क्या कोई विशेष कार्यवाही उस जिले के लिये कर रही है, इसके निराकरण के लिये? और भी प्रश्न पूछे गये हैं और मैं उनके लिये ४ तारीख को समय निश्चित करूंगा। ४ तारीख को यह उपस्थित होगा और उस रोज अगर मंत्री जी वक्तव्य दें तो ठीक है अन्यथा यह दूसरे दिन के लिये हो जायेगा। मैं यह उनके पास भेज आज ही दूंगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—एक जिले में यह ५४ है?

श्री अध्यक्ष—जी हां। और भी सवाल हैं, उनके लिये मैं कल बतलाऊंगा।

नियम ५२ व ५३ के अन्तर्गत कुछ प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—लैंग्वेज कमीशन का प्रश्न आपने दफा ५३ में मंजूर कर लिया है, और आप ने कहा था कि.....

श्री अध्यक्ष—मैंने बातचीत कर ली है मुख्य मंत्री महोदय से और उन्होंने कहा है कि वह अपनी डायरी देख कर बतला देंगे। मैंने कहा है कि यदि यह ४ तारीख को ले लें तो अच्छा है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—मैं, अध्यक्ष महोदय, जानना चाहता हूं कि आपने मेरे प्रश्न के लिये कौन सी तारीख रखी है?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि वह ८ या ९ तारीख को लिया जायेगा। मैं उस बारे में कल बतला दूंगा।

श्री झारखंडेराय—यह राप्ती के पुल का प्रश्न जो आपने मंजूर किया, वह तो ठीक है, बड़ी कृपा की बात है, लेकिन दो महीने पहले जो एशिया की बिगेस्ट पंप कैनाल है आजमगढ़ में, वह टूट चुकी है.....

श्री अध्यक्ष—उसके लिये मैं कल बतला दूंगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—दफा ५२ में मेरा भी एक प्रश्न था विद्यार्थियों के बारे में, और वह भी जरूरी था।

अध्यक्ष—मैंने उसको भी ले लिया है। तारीख उसके लिये कल बतलाऊंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—वर्षा वाला प्रश्न मेरा निवेदन है कि ७ तारीख को ले लें।

श्री अध्यक्ष—मैंने कहा कि कल सब बतला दूंगा।

बदरीनाथ-केदारनाथ मोटर मार्ग पर बस दुर्घटना सम्बन्धी कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर विवाद स्थगित करने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--इसके बाद एक प्रश्न यह भी था कि कामरोको प्रस्ताव पर जो विवाद आज शाम को चार बजे के बाद होना था वह कल किया जाय, क्योंकि आज बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि आज तिलक जयन्ती है और बहुत से लोगों को उसमें भाग लेना पड़ेगा। तो अगर चार बजे के बाद यह कार्य न किया जाय तो अच्छा होगा। यह कल लिया जा सकता है, लेकिन तभी जब किसी को आपत्ति न हो। जब तक इसके लिये सर्वसम्मति नहीं होती, मैं इजाजत नहीं दूंगा। मैं नारायणदत्त जी से जानकारी चाहता हूं।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि यह इस आदरणीय सदन को शोभा नहीं देता कि किसी भी अन्य कार्य को यह अपने कार्य पर प्राथमिकता दे। यह हम लोगों का अधिकार है कि हम जब चाहें सदन एडजर्न कर दें लेकिन यह कह कर एडजर्न करना कि कोई मीटिंग होने वाली है इसलिये स्थगित कर रहे हैं यह कोई ऐसा काम, जिसका सदन से कोई वास्ता नहीं है, उसके लिये सदन स्थगित किया जाय, यह संसदीय प्रथा के सर्वथा वि द्ध है, और मैं आप से निवेदन करूंगा कि जब कभी भी ऐसा निश्चय हो तो कोई कारण देने की जरूरत नहीं। हमको हर समय अधिकार है और यह नियमों में है।

श्री अध्यक्ष--जिन्होंने इस कामरोको प्रस्ताव को उपस्थित किया है उनसे मैं जरूर इजाजत लूंगा, क्योंकि अगर सर्वसम्मति नहीं होती तो मैं इसके लिये इजाजत नहीं दूंगा।

श्री त्रिलोकीसिंह--मैं इसलिये अर्ज करता हूं कि जो साहब ऐसा निवेदन आप से करें उनको यह सलाह अध्यक्ष द्वारा दे दी जाय कि इतना कहना काफी है कि हाउस एडजर्न किया जाय, कोई कारण उसके लिये बतलाने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष--अगर यह चीज आपको पसंद है तो उसको कल ले लूंगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--कल कैसे ले लेंगे ?

श्री अध्यक्ष--यह तो अध्यक्ष का काम है।

कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिए समय-निर्धारण से सम्बन्धित प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--मैं एक सूचना देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी १ अगस्त, १९६१ की बैठक में यह निश्चय किया है कि निम्नलिखित विधेयकों के संबंध में सामान्य विवाद, खंडशः विचार और पारण के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित किया जाय :

उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय छुट्टी) विधेयक, १९६१, जो चल रहा है और उत्तर प्रदेश फेमिन रिलीफ फंड (संशोधन) विधेयक, १९६१, आज ४ बजे तक समाप्त हो जायेंगे।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) विधेयक, १९६१ पर विचार के लिये एक घंटा,

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार के लिये ४ घंटे का समय।

विद्युत् उप मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, यह सदन उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय छुट्टी) विधेयक, १९६१, उत्तर प्रदेश फेमिन रिलीफ फंड (संशोधन) विधेयक, १९६१, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) विधेयक, १९६१, तथा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिये कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि यह विषय पुनः विचार के लिये कार्यमंत्रणा समिति को जाना चाहिये क्योंकि मैंने कल जानकारी हासिल की थी कि कल क्या-क्या कार्य लिया जायेगा। कल यह मालूम हुआ था कि आज औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय छुट्टी) और फेमिन रिलीफ फंड सम्बन्धी विधेयकों पर चर्चा होगी और उसी के लिये हम तैयार होकर आज आये हैं। इस लोकल बाडीज वाले बिल के लिये हम तैयार होकर आज नहीं आये हैं।

श्री अध्यक्ष—यह तो कल लिया जायेगा।

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

२५ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)—अध्यक्ष महोदय, दिनांक २५ अप्रैल, १९६१ को कुंवर श्रीपालसिंह द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या १४ के सम्बन्ध में कुंवर श्रीपालसिंह ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि यह नीलाम किया गया तो अखबारों में एडवर्टाईजमेंट किया गया था या नहीं और नीलाम की सूचना दी गई थी या नहीं?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि कुल जमीन ५० एकड़ थी और मिनजुमला २८,२६१ पेड़ थे। उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है—कुल जमीन ५० एकड़ थी और मिनजुमला ९, ६३६ पेड़ थे।

(मूल प्रश्नोत्तर के लिए देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १७९ पर)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६१

स्वशासन राज्य मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६१ को विधान सभा में पुरःस्थापित करने के लिये मैं सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधयक, १९६१ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चतुर्भुज शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १८०–१८५ पर)

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) विधेयक, १९६१

स्वशासन राज्य मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) विधेयक, १९६१ को विधान सभा में पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) विधेयक, १९६१ को विधान सभा में पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चतुर्भुज शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) विधेयक, १९६१ को पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १८६–१८८ पर)

†उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय छुट्टी) विधेयक, १९६१ खण्ड ७ (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय छुट्टी) विधेयक, १९६१ पर विचार जारी होगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, मुझे भी कुछ निवेदन करना है। यह जो बिल पास हो रहे हैं उनकी प्रतियां कुछ तो कल मिलीं और कुछ आज पुरःस्थापित किये जा रहे हैं, तो इनको अध्ययन करने का भी कुछ मौका मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—ये तो बहुत फुटकर से हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—श्रीमन्, कामा, फुल-स्टाप से भी क्या से क्या मतलब हो जाया करता है।

श्री अध्यक्ष—वह चीज अब उठती नहीं है, अब दूसरा प्रश्न शुरू हो गया है।

श्री प्रतापसिंह अपना भाषण जारी रखें।

‡श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—मान्यवर, मैं माननीय गेंदासिंह जी की बातों के समर्थन में खड़ा हुआ था। वह जिस धारा को इस विधेयक से निकलवाना चाहते हैं उसका मकसद यह है कि जो आज राष्ट्रीय छुट्टियां दी जा रही हैं वह छुट्टियां, जैसा कि अनुच्छेद ७ कहता है, केन्द्र के जितने भी आस्थान हैं उन पर लागू नहीं होंगी। इस धारा में संविधान के अनुच्छेद ३६६ का हवाला दिया गया है। मैं आपकी आज्ञा से अनुच्छेद ३६६ (२०) पढ़ना चाहता हूं।

"रेल" में—

(क) किसी नगर-क्षेत्र में ही पूर्णतया स्थित ट्रामवे,

(ख) संचार की कोई अन्य लीक जो किसी एक राज्य में पूर्णतया स्थित हो और जिसे संसद ने विधि द्वारा रेल न होना घोषित किया हो;

दूसरे मान्यवर, इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि इस विधेयक का प्रसार सारे उत्तर प्रदेश में होगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर धारा ७ इस विधेयक में

---

*३ १ जुलाई, १९६१ की कार्यवाही से।

२७मार्च, १९६१ की कार्यवाही में छपा है।

‡वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न रखी जाय तो क्या बुरा है, इससे अधिक विधेयक में कोई अन्तर नहीं पड़ता है। वास्तव में यह विधेयक हाफहार्टेडली लाया गया है क्योंकि लिमिटेड आस्थानों के मजदूरों को ही मजदूर कहा गया है। आज खेतिहर मजदूर सबसे अधिक संख्या में हैं, पी० डब्लू० डी० के मजदूर हैं, हमारे हरिजन भाई हैं जिनको कि मेहतर कहा करते हैं, इनको नहीं सम्मिलित किया गया है। इसीलिये मैं कहता हूं कि हाफहार्टेडली हमारे सामने विधेयक लाया गया है।

उद्देश्य और कारणों में यह साफ लिखा हुआ है कि सवेतन राष्ट्रीय छुट्टियों के लिये श्रमिकों की न्यायसंगत मांग रही है। एक ओर तो कहा जाता है कि उनकी मांग जायज है और दूसरी ओर उनको अलग करने का प्राविजन रखा जाता है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी बतायें कि वह कौन सा विधेयक है जिसके मातहत रेलवे कर्मचारियों, कन्टूनमेन्ट कर्मचारियों और रिसर्च सेन्टर्स के कर्मचारियों को १५ अगस्त, २ अक्तूबर और २६ जनवरी की राष्ट्रीय छुट्टी मिलेगी। औद्योगिक आस्थान को संचालित करने वाले लोग तो चाहते ही हैं कि उनको छुट्टी न दी जाय और सरकार भी वही कर रही है कि मजदूरों की मांग जायज है और मजदूरों को सवेतन छुट्टी मिलनी चाहिये। तो लम्बा चौड़ा भाषण न देकर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अनुच्छेद ७ के न रखने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसके रखने से जो इसका ध्येय इसके उद्देश्य और कारणों में लिखा हुआ है वह डिफीट हो जाता है। मैं समझता हूं कि यह विधेयक हाफहार्टेडली लाया गया है। इसमें जो हमारे अछूत भाई हैं, भंगी हैं या चमार हैं, जिनकी बहुत बड़ी संख्या हमारे प्रदेश में है उनका कोई स्थान नहीं है।

इसके अलावा यह केवल यू० पी० का त्योहार नहीं है, राष्ट्रीय त्योहार है और इसलिये इसको पूरे देश में लागू करना चाहिये और इसी उद्देश्य को सामने रखकर इस विधेयक को लाना चाहिये था। इसी विचार से हमने प्रवर समिति वाला प्रस्ताव रखा था, लेकिन सरकार ने तो उसको माना नहीं। मैं अब भी कहता हूं कि हमारे दिलों में जो शुबहा है उसको सरकार दूर करे और यह जो अलग-अलग विभागों के लिये अलग-अलग छुट्टी की बात है इसको खत्म करे।

श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, इस खंड ७ में दो उपखंड हैं। एक (१) में यह कहा गया है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाइज के ऊपर यह सिफारिशें लागू नहीं होंगी किन्तु जहां तक हमारी जानकारी है कि जहां तक सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाइज का सम्बन्ध है उनको २ छुट्टियां तो निश्चित रूप से मिलती हैं २६ जनवरी की और १५ अगस्त की। उनको किस तरह से यह छुट्टियां दी जायं यह एम्प्लाइज और गवर्नमेंट के बीच में सेटिलमेन्ट होता है कि उनको कैसे एडजस्ट करें। २ अक्तूबर के बारे में मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके लिये कोई प्राविजन हो सकता है।

खंड ७ (२) के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इसका जो शीर्षक दिया गया है वह है "एक्जेम्प्शन"। किनको एक्जेम्प्शन दिया जायगा इसकी दूसरी धारा में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे लोगों को जिनकी संख्या नियत हो छूट मिलनी चाहिये "Such the number of employees as may be specified in the notification." इसके माने यह हुये कि जहां कुछ सीमित कर्मचारी होंगे उन्हीं के बारे में यह धारा रखी गई है और उन्हीं को एक्जेम्प्शन दिया जायेगा। मेरा निवेदन है कि सरकार उन मालिकों के लिये जब एक्जेम्प्शन ला रही है कि उन मजदूरों को राष्ट्रीय छुट्टी न दी जाय तो कोई वजह नहीं मालूम पड़ती डिफरेन्शियेशन करने की कि एक को दी जाय और दूसरे को न दी जाय। मैं समझता हूं कि इन छुट्टियों में एक रूपता होनी चाहिये थी। लेकिन अगर इस तरह का एक्जेम्प्शन रखा जायगा तो मैं समझता हूं कि हमारे छोटे-छोटे मालिक लोग नाजायज फायदा उठायेंगे। इस ऐक्ट के मुताबिक जहां फैक्टरी ऐक्ट लागू होगा वहां यह ऐक्ट लागू होगा। फैक्टरी ऐक्ट में डिफाइन्ड है पावर से काम जहां होता है वहां १० या उससे अधिक आदमी और जहां पावर से नहीं होता हो वहां २० या उससे अधिक आदमी जहां काम करते हों वहां फैक्टरी ऐक्ट लागू होता है। फैक्टरियों में दो-दो सौ और चार-चार सौ आदमी काम करते हैं, लेकिन उन्होंने

[श्री उमाशंकर शुक्ल]

सेक्शन बाट रखें हैं और ९ से ज्यादा कर्मचारी किसी में नहीं रखा है। बस उनके यहां फैक्टरी ऐक्ट लागू नहीं होता। अगर सरकार की तरफ से थोड़ा सा भी मौका मिल गया तो वे लोग बिल्कुल नाजायज फायदा उठायेंगे। इसलिये मंत्री जी से मेरी दरख्वास्त है कि इस एक्जेम्प्शन की कोई जरूरत नहीं है। जब आप उदारतापूर्वक राष्ट्रीय छुट्टियां देने जा रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि इस उपखंड (२) को निकाल दिया जाय।

श्रम उप मंत्री (श्री वसी नकवी)—श्रीमन्, क्लाज ७ (१) की बाबत मुझे यह अर्ज करना है कि कान्स्टीट्यूशन की धारा २४६ और शेड्यूल ७ में जो एक्जेम्प्शन दिया हुआ है, उसमें रेलवे, रिजर्व बैंक और कैन्टूनमेंट्स को इस अधिकार से बाहर रखा गया है। दूसरी बात यह है कि रेलवे, रिजर्व बैंक और कैन्टूनमेंट्स में १५ अगस्त और २६ जनवरी की छुट्टियां होती हैं, जहां तक मुझे मालूम है।

यह बिल मद्रास के पैटर्न पर बनाया गया है। जहां तक सब-सेक्शन (२) का ताल्लुक है उसमें हमने खुद ही इस चीज को रखा है कि जो फैक्टरीज ऐक्ट में इस्टेब्लिशमेंट्स नहीं आते हैं और वे ऐसे ही हैं और पावर से चलाये जाते हैं तो उनको भी इसके अन्दर समेटा जा सकेगा और उनके ऊपर भी यह ऐक्ट लागू हो सकेगा। लेकिन जहां तक एक एक्जेम्प्शन का ताल्लुक है, वह इसलिये रखा गया है कि कुछ ऐसे भी उद्योग धंधे हैं जिसमें कंटीन्युअस प्रासेस चलता है जैसे कि शीशे की भट्टियां हैं जिनमें एक बार काम चालू हो गया तो आगे उनमें काम करना नामुनासिब होता है और उससे हानि पहुंचती है ऐसी और भी टेक्निकल चीजें हो सकती हैं, उनके लिये यह पावर सरकार ने अपने पास रखी है, लेकिन फिर भी इस पावर को खास हालतों में भी इस्तेमाल किया जायेगा। हमारी नीयत तो इसी से साफ जाहिर होती है कि जो फैक्टरीज ऐक्ट में एस्टेब्लिशमेंट नहीं आते हैं उनको भी इसमें लाने की कोशिश की गई है। लिहाजा मैं समझता हूं कि मेरे दोस्त गेंदासिंह जी जिन्होंने इसका विरोध किया है वे अपने विरोध को वापस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष—मैं इसके दो टुकड़े करके मत लूंगा क्योंकि दो तरह के मत मालूम पड़ते हैं। कुछ लोग तो खंड ७ के उपखंड (१) के विरोध में मालूम पड़ते हैं और कुछ लोग ७ (२) के विरोध में।

प्रश्न यह है कि खंड ७ का उपखंड (१) इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ का उपखंड (२) इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

इस अधिनियम के उपबन्ध विद्यमान लाभ के अतिरिक्त होंगे।

८—(१) इस अधिनियम के उपबन्ध, इस विषय की किसी अन्य विधि की अपेक्षाओं को कम करने वाले न होकर उनके अतिरिक्त होंगे।

(२) इस अधिनियम में दी हुई किसी बात से ऐसे किन्हीं अधिकारों या विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव न पड़ेगा, जिनका अधिकार कोई कर्मचारी, किसी अन्य विधि, संविदा, रीति या प्रथा के अधीन, इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक पर हो।

श्री उमाशंकर शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, खंड ८ में यह बात कही गयी है कि इस ऐक्ट में जो प्रावीजन्स हैं वे एडीशनल माने जायेंगे और जो प्रिविलेजेज अभी तक एम्प्लायर्स से मजदूर लोग पाते हैं उनमें कोई कमी नहीं होगी। जो प्रिविलेजेज, कस्टमरी राइट्स या दस्तूर

थे उनमें कोई कमी नहीं आयेगी । इस ऐक्ट को देखने के बाद यह मालूम पड़ता है--उपधारा (२) (जे०) (ए) में यह कहा गया है कि क्या-क्या फैसेलिटीज उन लोगों को नहीं मिलेंगी, बोनस नहीं मिलेगा, प्रावीडेंट फंड नहीं मिलेगा । एक तरफ तो यह कहा जाता है कि उसके प्रिविलेजेज कम नहीं होंगे, लेकिन दूसरी तरफ उसके प्रिविलेजेज को कम किया जा रहा है । मजदूरों के बोनस के बारे में यह साफ दिया हुआ है कि जिस दिन का मजदूर वेज अर्न करता है, उस दिन का उसको बोनस दिया जायेगा, लेकिन इसमें कहा गया है कि उस दिन का बोनस नहीं दिया जायगा । इस प्रकार से यह प्रिविलेज उसका करटेल हुआ । इसी प्रकार प्रावीडेंट फंड का भी कानून बना हुआ है उसमें यह कहा गया है कि वेज अर्न करने के रेशियो में एम्प्लाइज (कर्मचारी) को प्राविडेंट फंड मिले और मजदूर का प्रावीडेंट फंड काटा जायगा, लेकिन इसमें कहा गया है कि उस दिन का प्रावीडेंट फंड नहीं कटेगा । जब मालिक मुनाफा कमाता है और मजदूर से काम कराता है तो फिर क्या वजह है कि मजदूरों का बोनस और प्रावीडेंट फंड करटेल कर दिया जाय । इसलिये या तो आपको यह नहीं कहना चाहिये था कि कोई प्रिविलेज करटेल नहीं होगा या आपको इस प्रकार से उसको करटेल ही नहीं करना चाहिये था ।

और भी एक चीज इस धारा ६ में कही गई है जो अजीब सी है । जहां पनिशमेंट की बात कही गई है कि अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसे पनिश किया जायगा, वहां यह स्पष्ट नहीं है कि कानून तोड़ने पर उसको किस तरह से पनिश किया जायगा । हालांकि एक क्लाज इसके लिये जोड़ा गया है, लेकिन जहां तक धारा ६ का ताल्लुक है, उसमें यह नहीं कहा गया है कि कानून तोड़ने पर क्या पनिशमेंट दिया जायगा । यह चीज इस ऐक्ट भर में कहीं भी साफ नहीं है कि अगर वह कानून को तोड़ेगा, यानी यह साफ है कि मालिक चौथी से छुट्टी के दिन काम करायेगा या उस दिन काम करा कर उस दिन का पूरा वेतन नहीं देगा, तो उसे क्या सजा दी जायगी । इसके अलावा कोई बात तो मेरी समझ में आती नहीं जो वह करेगा ।

दूसरी बात के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जब वह छुट्टी के दिन काम करायेगा और मजदूरों को डबल वेतन नहीं देगा तो इसका मतलब है कि वह वेतन अदायगी कानून को तोड़ रहा है । लेकिन यह कहीं नहीं कहा गया है कि वेतन न देने पर उससे मजदूरों को वेतन दिलाया जायगा, और यदि वह वेतन नहीं देता है तो उस पर क्या कार्यवाही की जायगी । यह नहीं स्पष्ट है कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट के मातहत उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी या क्या किया जायगा । यह एक बड़ी वेग सी चीज इस धारा ६ में कही गई है ।

एक कंवेंशन और है । गवर्नमेंट ने जहां छुट्टी का दिन डिफाइन किया है, वहां यह है कि रात के १२ बजे से दूसरे दिन रात के बारह बजे तक २४ घंटे का समय दिन माना जाय । इसका नतीजा यह होगा कि १५ अगस्त की छुट्टी १४ तारीख की रात के १२ बजे के बाद ही शुरू हो जायगी । हमारे यहां कारखानों में तीन-तीन शिफ्ट चलते हैं, और उसकी वजह से मजदूरों को बड़ी परेशानी हो जायगी । क्योंकि हमारे यहां ६ बजे सबेरे से २ बजे तक एक शिफ्ट चलती है, २ बजे से १० बजे रात्रि तक दूसरी शिफ्ट चलती है और १० बजे रात्रि से ६ बजे सुबह तक तीसरी शिफ्ट चलती है । इस तरह से १५ अगस्त की छुट्टी होने पर भी १२ बजे रात्रि के बाद १५ तारीख को उसे काम पर आना पड़ेगा और अब तक जो प्रिविलेज उसे मिल रहा था उससे भी वह वंचित हो जायगा । इस तरह से उसके लिये एक नयी दिक्कत पैदा हो जायगी और एक नया ही झगड़ा खड़ा हो जायगा । इस विधेयक में डे (day) की जो व्याख्या की गयी है, उससे बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है । इसलिये मेरा कहना है कि इस धारा में सुधार किया जाय क्योंकि इसका मजदूरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं माननीय उमाशंकर जी को समझने में असर्थन रहा । माननीय उमाशंकर जी ने एक काम तो बहुत अच्छा किया कि कल से जो उन्होंने इस सदन को इस विधेयक के सम्बन्ध में अपनी राय से महरूम रखा था, उसको उन्होंने व्यक्त कर दिया । यदि उन्होंने समय से पहले अपनी राय व्यक्त कर दी होती तो मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गेंदासिंह]

ऐसा समझता हूं कि इस विधेयक का कोई दुसरा ही स्वरूप होता। परन्तु हमारा दुर्भाग्य है कि उस समय उनका ध्यान हम लोग आकर्षित नहीं करा सके। बिल्कुल वही बातें उन्होंने करीब-करीब दोहरायीं जिनकी तरफ हम सदन का ध्यान ले जाना चाहते थे। उन मुसीबतों और दिक्कतों का उन्होंने वर्णन किया। मैं भी ऐसा चाहता था और बार-बार इस बात की दोहाई देता था कि अगर यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय तो हम लोगों की राय से महरूम न हो पावेंगे और फिर इस विधेयक में जो कमियां हैं, वे पूरी हो जायेंगी। इसमें बड़ी भारी कमियां ह ।

जिन बातों का जिक्र माननीय उमाशंकर जी ने किया उनको सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न था। लेकिन इस खंड ८ को निकाल देने की जो बात उन्होंने कही वह तो उनकी उस बात के बिल्कुल उल्टी चली जाती है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक में यही खंड ८ ऐसा है जिसको इसी शक्ल में रहने देना चाहिये। मैं माननीय उमाशंकर जी से कहना चाहता हूं कि अब वे माननीय मंत्री जी के कमरे में जाकर इस बात की चेष्टा करें कि इस विधेयक में जो खामियां हैं वे दूर हो जायं ताकि लाखों मजदूर इन राष्ट्रीय त्योहारों की छुट्टियों से महरूम न रहें। मालूम नहीं किसने किस आधार पर इस बिल को ड्राफ्ट किया। क्या उद्देश्य इसका है, माननीय उपमंत्री जी ने मुझे समझाने की भी कोशिश की और उन्होंने कह भी दिया कि मैंने समझा भी दिया .....

श्री अध्यक्ष---आप जब इस को सपोर्ट कर रहे हैं तो और चीजों को न लायें।

श्री गेंदासिंह---नहीं लाऊंगा, लेकिन मैं माननीय उमाशंकर जी से निवेदन करूंगा कि जो लाखों मजदूर इससे महरूम रहे हैं और जो यह खामी है, उसको पूरा करने के लिये वह मंत्री जी से कमरे में बात कर लें। यह हमारी बदकिस्मती है कि उन्होंने इससे पहले कभी इस बिल को देखा भी नहीं, अगर वह देख लेते तो मेरा विश्वास है कि वह इस विधेयक को यहां इस शक्ल में न आने देते जिस भद्दी शक्ल में यह यहां लाया गया है। अगर वह बुरी शक्ल में लेबर सेक्रटेरिएट से आता और वह देख लिये होते तो वह अवश्य इस को दुरुस्त करा लिये होते और अगर मंत्री जी भी इसकी इस खामी को समझ लिये होते तो वह इस को इस तरह से न लाये होते। इसलिये इस के खंड ८ को तो रहने दें और बाकी सब खामियों की तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलायें, और इसमें संशोधन करा के लाखों मजदूर जो महरूम रह रहे हैं उनको इसमें सम्मिलित कराने की चेष्टा करें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं श्री उमाशंकर जी को समझ सका हूं और उन के संशोधन को मैंने देखा कि वह खंड ८ का विरोध कर रहे हैं, इस को पढ़ने से मालूम होता है कि वह पूरे खंड ८ का विरोध करेंगे। लेकिन उनकी कठिनाई यह है कि वह किस बात का विरोध करें और किस बात का समर्थन करें, वही कठिनाई जो कि आप के सामने आई और आपने अलग-अलग लिया। मजदूरों की सुविधाओं का सवाल है, उनका वह कैसे विरोध करेंगे, लेकिन जो चीजें हैं उन का तो वह समर्थन करेंगे। उमाशंकर जी ने मजदूरों के जिन सूक्ष्म हकों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, वह आप देखें। माननीय वसी नकवी जी यहां नहीं हैं, माननीया सुचेता जी हैं, वह देखें। यहां प्रश्न यह है कि जिस दिन मजदूर मजदूरी करता है उस दिन के मुनाफे में से बोनस उसको मिलता है या नहीं। जितने ला कोर्ट्स, इंडस्ट्रीयल कोर्ट्स और अपीलेट कोर्ट्स व हाईकोर्ट के निर्णय हैं, सभी का यह फैसला है कि मजदूर को मजदूरी करने के दिन का बोनस मिलता है। ऐसा कहीं नहीं है कि उसको उस बोनस से महरूम रखा जाता हो। यही बात बोनस की और प्राविडेंड फन्ड की है। ऐसा प्राविजन रखना और उसे महरूम कर देना बिल्कुल इल्लीगल, अल्ट्रा वायरस और असंवैधानिक है। पता नहीं यह चीज लेबर सेक्रेटेरियट में कैसे की गयी है। उसने कौन से करोड़ी मल, सिंहानिया या खेतान से पूछा है, पता नहीं उनके राय देने वाले कौन हैं, सिंहानियां हैं, खेतान हैं या करोड़ीमल हैं या वसी नकवी साहब हैं।

दूसरी तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया कि शिफ्ट में गड़बड़ी पड़ जायगी, तो अगर कोई गड़बड़ी पड़ जायगी तो वह मामला फिर लेबर सेक्रेटरिएट के सामने आयेगा। म उनकी इस राय से बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि आवास संबंधी, बिजली संबंधी, तमाम सुविधाओं में कोई कमी नहीं होने वाली है तो बोनस और प्रावीडेंट फट की सुविधा जो निकाल दी गई है, इसको नहीं निकाला जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय उमाशंकर जी को उस भावना के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं और मांग करता हूं कि कम से कम बोनस और प्रावीडेंट फंड की सुविधा जैसी है वैसी बनी रहने दी जाय।

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---अध्यक्ष महोदय, खंड ८ के संबंध में मैं समझती हूं कि मुझे कहने की जरूरत नहीं है। गेंदासिंह जी ने स्वयं उसका जवाब दे दिया है अपोजीशन में होते हुए भी। यह खंड श्रमिकों के हित में है। इसमें यह कहा गया है कि श्रमिकों को जो सुविधाएं हैं, उनको बनाए रखते हुए ये एडीशनल फैसीलिटीज दी जायंगी। इसमें श्रमिकों का कोई नुकसान हो, यह मेरी समझ में नहीं आता। जो बोनस की बात यहां जबर्दस्ती लाई गई वह भी मेरी समझ में नहीं आती। बोनस अलग चीज है, वेजेज अलग है। जो कुछ मनाफा होता है साल के आखीर में वह बांटा जाता है कानून के मुताबिक। यहां बोनस को बीच में ले आना मेरी समझ में नहीं आता.....

श्री अध्यक्ष---बोनस तो उनका रहेगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---बोनस तो अलग रूल के मुताबिक चलता है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक ....

श्री उमाशंकर शुक्ल---एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। इसमें तो यह बहुत साफ कह दिया गया है कि बोनस नहीं मिलेगा, प्रावीडेंट फंड नहीं मिलेगा.....

श्री अध्यक्ष---आप अगर नहीं समझ पाते हैं तो बार-बार समझाने के लिये तो मैं इजाजत नहीं दूंगा। उसमें सिर्फ वेजेज की डेफीनीशन दी है और उसकी डेफीनीशन में वह कहते हैं कि बोनस नहीं आ सकता। सिर्फ यह बात है। और इस प्वाइंट आफ व्यू से इसको डिफाइन किया है कि जिस वक्त उनसे काम करायेंगे तो वेजेज का डबल देंगे, तो उसमें बोनस का डबल देंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो आम तौर से बोनस मिलता है उसके बारे में तो इसमें प्रोटेक्शन है कि यह पूर्ववत सब राइट्स रहेंगे। यह उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अब फिर भी समझ में न आवे तो मैं स्पष्टीकरण के लिये इजाजत नहीं दूंगा।

प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ९

नियम बनाने का अधिकार

९---(१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, गजट में विज्ञप्ति द्वारा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, नियम बना सकती है।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, एक सत्र में या एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि के लिये रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा निष्प्रभाजनों (annulments) के अधीन रहते हुए प्रभावी

[श्री अध्यक्ष]

होंगे जिन्हें करने के लिये विधान मंडल के दोनों सदन सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या निष्प्रभाजन संबद्ध नियम के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

श्री उमाशंकर शुक्ल—खंड ९ में तो सिर्फ रूल बनाने की बात कही गई है कि रूल बनाने का अधिकार गवर्नमेंट को होगा। पर मैं इतना जरूर चाहता हूं कि. . . .

श्री अध्यक्ष—आप क्या इसका विरोध कर रहे हैं ?

श्री उमाशंकर शुक्ल—रूल बनाने के सिलसिले में मैं एक बात कह रहा हूं. . . .

श्री अध्यक्ष—मैं वैसे इजाजत नहीं दूंगा, अगर विरोध करते हों तो बताएं।

श्री उमाशंकर शुक्ल—विरोध करने का मंशा केवल इतना है कि रूल जब बनते हैं तो उसमें क्या-क्या चीज इंक्लूड होती है, उसके बारे में इस बिल में जो डिफेक्ट थे वह इसमें ले आए जायं ।

श्री अध्यक्ष—खैर, इसमें तो यह है नहीं ।

प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक प्रस्तावना, तथा खंड १

उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय छुट्टी) विधेयक, १९६१

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक अधिष्ठानों में नियोजित व्यक्तियों को राष्ट्रीय छुट्टियां देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्ष-नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय छुट्टी) अधिनियम, १९६१ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके तदर्थ निश्चित करे ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १ के उप-खंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(३) यह अधिनियम तुरन्त लागू होगा" ।

यह मेरा एक निर्दोष सा संशोधन है। सरकार की मंशा यह है कि २६ जनवरी, १५ अगस्त और २ अक्तूबर की छुट्टियां जो औद्योगिक अधिष्ठानों में दी जा रही हैं उनमें इस समय एकरूपता नहीं है। कुछ अधिष्ठान ऐसे हैं जहां यह छुट्टियां दी जाती हैं पर वेतन नहीं दिया जाता है। कुछ में छुट्टियां नहीं दी जाती और काम करने पर ही वेतन दिया जाता है, उनमें काम कराया जाता है। तो एकरूपता लाने के लिये सरका यह विधेयक रखा ।

जहां तक इन तीन छुट्टियों का प्रश्न है हमें कोई विरोध नहीं है। परन्तु हम चाहते थे, कुछ और छुट्टियां भी इनमें बढ़ा दी जायं। उदाहरण के लिये हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आरम्भ १० मई को हुआ था.....

श्री अध्यक्ष—यह आप थर्ड रीडिंग में कह सकते हैं। इस समय यह बात नहीं उठाई जा सकती।

श्री देवनारायण भारतीय—मान्यवर, मैं क्यों यह संशोधन रख रहा हूं, उसका कारण बताने के लिये ही इस बात को कह रहा हूं। तो हम चाहते थे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दिवस की १० मई भी इसमें शामिल कर ली जाय, नेता जी सुभाष बोस का जन्म दिवस २३ जनवरी भी इसमें शामिल कर लिया जाय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म दिवस भी शामिल कर लिया जाय और इसी प्रकार स्वनामधन्य आचार्य नरेन्द्र देव जी का जन्म दिवस भी इसमें शामिल कर लिया जाय। सरकार ने किसी भी कारण से ही हमारे इस सुझाव को नहीं माना और अपनी जिद पर कायम रही और संख्यासुर के बल पर इस सुझाव को ठुकरा दिया। इसका पाप पुण्य सरकार पर है। लेकिन यह बात जरूर है कि औद्योगिक संस्थानों में छुट्टियों के संबंध में एक रूपता लाने के लिये जो सरकार ने यह विधेयक पेश किया है, मैं उसके लिये, जिस रूप में भी वह आज स्वीकार हो रहा है, सरकार को बधाई देता हूं।

मैं शाहजहांपुर की बिजली कम्पनी का उदारहण देना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—वह इसमें आता नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय—श्रीमन्, इन तीन दिनों की छुट्टियां वहां दी नहीं जाती हैं इसलिये मैं कह रहा हूं कि अब इस बिल के पास हो जाने पर वे छुट्टियां वहां तुरन्त दी जायं, क्योंकि १५ अगस्त करीब आ रहा है। उसके बाद २ अक्तूबर आ रहा है। अतः सरकार प्रस्तावित उप खंड तीन द्वारा जो पुछल्ला लगाना चाहती है कि "यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके तदर्थ निश्चित करे।" इसमें समय लगेगा और इससे जो कम्पनियां मजदूरों को छुट्टी नहीं देना चाहतीं, नाजायज फायदा उठायेंगी। सलिये मैंने यह संशोधन पेश किया है कि यह अधिनियम तुरन्त लागू किया जाय। आशा है मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—(श्रम मंत्री से) आप इसको स्वीकार कर रही हैं ?

श्रम मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—दो बातें कहीं कि छुट्टियां बहुत सी और बढ़नी चाहिये....

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न इस समय नहीं उठता। प्रश्न यह है कि तुरन्त इसको लागू किया जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—अगर आप इजाजत दें तो क्लेरीफाई कर दूं क्यों नहीं छुट्टी बढ़नी चाहिये। इस प्रदेश में वैसे ही बहुत छुट्टियां हैं। वर्कर्स तो जरूर खुश होंगे। मगर आप लोग ही फिर नाखुश होंगे क्योंकि आपका प्रोडक्शन दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में गिर जायगा, कम्पीट नहीं कर पायेगा।

श्री देवनारायण भारतीय—हम तो यहां तक तैयार हैं कि प्रचलित जो छुट्टियां हैं उनको कम कर दिया जाय और यह छुट्टियां बढ़ा दी जायं।

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—दूसरे उन्होंने कहा कि तुरन्त लागू किया जाय। हम कोशिश करेंगे कि १५ अगस्त के पहले ही लागू हो जाय। मगर लागू करने के पहले कुछ नियम बनाने होते हैं जिसके लिये समय चाहिये। इसलिये समय मांगा गया है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(३) यह अधिनियम तुरन्त लागू होगा" ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री वसी नकवी—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय छुट्टी) विधेयक, १९६१ [U. P. Industrial Establishments (National Holidays) Bill, 1961] पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—मैं इतना कह दूं कि अगर ज्यादा समय लेंगे तो २ बजे तक कोई राय न ली जा सकेगी । बहस ही चलती रहेगी ।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, सिर्फ २ मिनट ही चाहता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि तीन बातें हम लोगों ने सदन के सामने रखी हैं । पहली बात तो यह कि कुछ और भी राष्ट्रीय पर्व हैं, जैसे १० मई है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दिवस, २३ जनवरी है, अमर शहीद नेता जी सुभाषचन्द्र बोस का जन्म दिवस, परम पूज्य आचार्य नरेन्द्रदेव का जन्म दिवस, तिलक जयन्ती, इन पर्वों के लिये भी हम राष्ट्रीय छुट्टियां चाहते थे और इसके लिये हमने प्रस्ताव रखा । सरकार ने उसे नहीं माना ।

दूसरी बात जो सबसे अधिक खलती है, वह यह कि सरकार यह अधिकार अपने हाथ में रख रही है कि किस विभाग पर इन छुट्टियों को लागू करे और किस पर नहीं । ये छुट्टियां तो सभी विभागों पर एक तरह से लागू होनी चाहिये । जो छूट वाली धारा सरकार ने इसमें जोड़ रखी है, वह बिल्कुल अव्यावहारिक है, इसे कतई नहीं होना चाहिये । हिन्दुस्तान का ऐसा कोई नागरिक नहीं है जिसे राष्ट्रीय पर्व की छुट्टी न चाहिये । यह तो आजादी की लड़ाई के गर्भ से पैदा हुई सरकार है । फिर इस सरकार को क्यों इन राष्ट्रीय पर्वों से इतनी घृणा है ? उसमें छूट का तो कोई प्रश्न ही नहीं होना चाहिये ।

तीसरे यह कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक अधिष्ठान और विभाग हैं, उन पर तो सर्वप्रथम इस विधेयक को लागू करके सरकार को निजी क्षेत्र के औद्योगिक अधिष्ठानों के सामने एक आदर्श उपस्थित करना चाहिये ताकि वे यह समझें कि सरकार का कोई भी ऐसा विभाग नहीं है, म्युनिसिपैलिटी के सफाई विभाग के मजदूरों से लेकर राजकीय रोडवेज तक, जहां यह विधेयक लागू न हो और इसलिये उनको भी इसे तुरन्त अपने यहां लागू कर देना चाहिये ।

मैं समझता हूं अब भी माननीय मंत्री जी के लिये समय है कि इन बातों को इस विधेयक में रख लें और राष्ट्रीय पर्वों के महत्व को देखते हुये यह राष्ट्रीय सरकार और उसके मंत्रिगण ऐसा आचरण करें कि जिससे इस देश के सभी कर्मचारियों को उनका लाभ मिल सके ।

* **श्री गेंदासिंह**—अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक कुछ कहना नहीं चाहता हूं । मुझे अफसोस इस बात का जरूर है कि माननीय मंत्री जी, मेरा मतलब माननीया सुचेता जी से है कल नहीं थीं । मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर उन्होंने मेरी बात सुनी होती तो संभवतः उस पर कुछ विचार किया होता । मैं ऐसा समझता हूं कि कुछ थोड़े से श्रमिकों के लिये यह विधेयक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आया और राष्ट्रीय पर्वों पर उनको छुट्टी मिलेगी, इसका सभी लोग स्वागत करेंगे। लेकिन इस ओर भी ध्यान दिलाना हमारा कर्तव्य था। मालूम नहीं किस तरह से वह वर्ग छूट गया जो लाखों की संख्या में है और खेती में काम करता है। उस वर्ग के लिये ऐसी भद्दी बातें कही जाती हैं कि वह तो रोज-रोज काम करते हैं, लेकिन खेती में ऐसे लोग भी काम करने वाले हैं जो कई वर्षों से काम करते हैं और उनकी संख्या काफी बड़ी है।

दूसरे जो लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं और उसमें खासतौर से मेहतरों का जिक्र जब मैं करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आखिर मेहतरों की ओर ऐसी उदासीनता क्यों है। वाराणसी में २८-२९ दिन से हड़ताल हो रही है, उसकी ओर ध्यान नहीं गया। मैं समझता हूं कि उनको इन राष्ट्रीय पर्वों से वंचित करने का इरादा सरकार का कभी नहीं हो सकता, लेकिन कोई वजह होगी जिससे ऐसा नहीं हुआ। इस तरह से उन लोगों को जो लाखों की संख्या में हैं 'कर्मचारी' की परिभाषा से निकाल देना यह एक गलती हुई है जिसका कोई न कोई उपाय जल्दी से जल्दी होना चाहिये और राष्ट्रीय त्योहारों का राष्ट्रीय उपयोग होना चाहिये। अगर ऐसा नहीं होता है तो राष्ट्रीय पर्व का एक संकुचित अर्थ होता है जिससे कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। नकवी साहब ने कहा कि उन्होंने हमको समझा दिया। असल में जो बातें हमने उठायीं उनमें से एक का भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। कुछ और बातें उन्होंने जरूर कहीं, बड़ी मीठी बातें कहीं, लेकिन तर्क से उसका कोई मतलब नहीं था। उसका मतलब इस विधेयक से नहीं था जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारा जायगा ऐसी मैं आशा करता हूं और इतना कहकर मैं छुट्टी लेना चाहता। मुझे उम्मीद है कि इस पर जरूर विचार किया जायगा।

श्री वसी नकवी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक सार्वजनिक निर्माण विभाग और रोडवेज विभाग के वर्कशाप्स का ताल्लुक है, वे फैक्टरीज ऐक्ट की डेफीनीशन में आते हैं और वे उससे गवर्न होंगे। इसके अलावा जहां तक शाप्स ऐण्ड कमर्शियल इस्टैब्लिशमेंट्स का सवाल है वे भी जो पावर्स आपने दी हैं वह उन पर लागू हो सकेगी। सबसे बड़ी बात खेतिहर मजदूरों की बाबत है। हमारी सरकार की पूरी सहानुभूति उनके साथ है और हम उसके लिये चिन्तित हैं। लेकिन कुछ कठिनाइयां हमारे सामने हैं। उनमें से एक तो यह है कि यह आर्गेनाइज्ड लेबर नहीं है और इसके यूनियन नहीं है।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि मंत्री जी ने अभी फरमाया कि खेतिहर मजदूरों का कोई यूनियन नहीं है। पचासों इनके रजिस्टर्ड यूनियन्स हैं।

श्री अध्यक्ष—यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—श्रीमन्, उनके कहने का मतलब यह है कि आर्गेनाइज्ड लेबर की छुट्टी का प्रबंध किया जा रहा है। उनको हम देना चाहते हैं। लेकिन खेतिहर मजदूर लाखों की तादाद में फैले हुये हैं। कभी उनको काम मिलता है और कभी नहीं मिलता है। अगर उनके लिये छुट्टी रखेंगे तो इसे लागू कैसे करेंगे। मुमकिन है उन दिनों में उनके पास काम ही न हो। इसके अलावा इतने गांवों में इन्स्पेक्टर्स भेजकर इसको इम्पलीमेंट नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—उनका क्लैरीफिकेशन हो गया, (श्रम उप मंत्री से) आप भाषण जारी रखें।

श्री वसी नकवी—अध्यक्ष महोदय, जहां तक खेतिहर मजदूरों का सवाल है वह हमारे विचाराधीन है। इसके लिये वर्ष दो वर्ष में कुछ न कुछ किया जायगा। अभी कुछ कठिनाइयां हमारे सामने हैं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा। राष्ट्रीय पर्वों के मुताल्लिक जैसा कि मैंने कहा था आज भी उसे दुहराता हूं। १५ अगस्त और २६ जनवरी की बाबत यह है कि हमारे नेताओं ने एक लक्ष्य को लेकर आजादी की सारी लड़ाई लड़ी। जिन तिथियों में लक्ष्य मिला

[श्री वसी नकवी]

उनमें हम नेशनल हौलीडेज मना रहेहैं । इन दिनों में आजादी मिलने के साथ-साथ नेताओं की याद भी शामिल है । हमारे नेताओं की सूची इतनी बड़ी है कि यदि उनकी छुट्टी देने लगें तो प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा । इन हालात में मैं समझता हूं कि सदन इसको पास करेगा ।

श्री अध्यक्ष—अब इसके ऊपर राय इस समय मैं नहीं लूंगा । दो बजे के बाद राय ली जायगी । अब आगे का कार्य-क्रम जारी होगा । वित्त मंत्री जी अपना विधेयक उपस्थित कर दें ।

उत्तर प्रदेश फेमिन रिलीफ फंड (संशोधन) विधेयक, १९६१*

वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश फेमिन रिलीफ फंड (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाय ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं विधान सभा की कार्य संचालन तथा प्रक्रिया नियमावली के नियम १३० की ओर सदन का ध्यान दिलाता हूं । इसमें लिखा हुआ है कि "उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से तीन दिन पूर्व सदस्यों को उपलब्ध न कर दी गयी हों और सदस्यों द्वारा की गयी आपत्ति अभिभावी होगी जब तक कि अध्यक्ष प्रस्ताव करने की अनुज्ञा न दे दें ।"

एक तो मेरी आपत्ति यह है । दूसरी आपत्ति मेरी यह है कि धारा ३१ में लिखा हुआ है कि "विधेयक के पुरःस्थापन के उपरान्त कोई भी सदस्य यह मांग कर सकेगा कि ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां यदि कोई हों जिन पर विधेयक आधारित हो और जो गोपनीय न हों सदन की मेज पर रख दी जायं ।"

श्री अध्यक्ष—तो आप मांग सकते हैं । उसकी वजह से रुक नहीं सकता ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं मांग तो कर सकता हूं । इसमें लिखा है कि वित्तीय आयोग के पैराग्राफ १८४ के आधार पर यह संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ी । वह उपलब्ध होना चाहिये ।

एक आपत्ति और है । वह यह है कि यह जो संशोधन पुरःस्थापित हुआ है—"(१) खंड ( ) के पश्चात् नये खंड (ii–ए) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:—"इसमें उल्लेख नहीं है कि कौन खंड है । हमारे सामने विचार करने के लिये रखा गया है, लेकिन विधेयक इतना अपूर्ण है कि किसी में विचार करने की क्षमता नहीं हो सकती । किसी को पता नहीं है कि किस खंड के पश्चात् नया खंड बढ़ाया जा रहा है । यह कितनी जबरदस्त प्रिंटिंग मिस्टेक है ।

यह मेरी तीन आपत्तियां हैं जिन पर आप व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष—पहली जो आपत्ति है उसके सम्बन्ध में नियम १३० में दिया हुआ है कि अध्यक्ष को अधिकार है कि तीन रोज का जो नोटिस होना चाहिये उस अवधि को वह कम भी कर सकता है । तो मैंने उस अधिकार का प्रयोग करके उनको इजाजत दे दी कि वह इस पर विचार करने के लिये प्रस्ताव उपस्थित कर सकते हैं इसलिये काम रुक नहीं सकता क्योंकि मैंने खास तौर पर इजाजत दे दी है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, कुछ हम लोगों की मान ली जाय । कुछ अमेंडमेंट हम लोगों के हैं तो वह भी ले लिये जायं ।

---

*३१ जुलाई, १९६१ की कार्यवाही में छपा है ।

श्री अध्यक्ष—चार बजे तक दे दें। हम ले लेंगे।

दूसरे, नियम १३१ में दिया हुआ है कि जिस वक्त कोई विधेयक पुरःस्थापित हो तो जिन कागजात के आधार पर और जिस कारण से विधेयक लाया गया हो उसके सम्बन्ध में जितने कागजात हों वह सदन के टेबिल पर आने चाहिये। यह मांग ठीक है। मैं समझता हूं कि टेबिल पर वे आ जायेंगे और माननीय सदस्य देख सकेंगे। वह तो आप अब मांग रहे हैं अगर कल मांग लेते तो अब तक आ गये होते।

श्री मोतीलाल अवस्थी—जरूरत तो अब हो रही है· इसलिये अब मांग रहा हूं। मेरा इसमें कुसूर नहीं है।

श्री हरगोविन्दसिंह—कागजात पेश करने में एक दिक्कत हो सकती है क्योंकि यह फाइनेंस कमीशन की रेकमेंडेशन है।

श्री अध्यक्ष—उसी रेकमेंडेशन को सदन की मेज पर आप रख दें।

श्री हरगोविन्दसिंह—पूरी रेकमेंडेशन कांफीडेंशल होती है। जिस पैरा में सिफारिश की थी वह पैरा हमने यहां....

श्री अध्यक्ष—वह एक्सट्रैक्ट रख दीजिये।

श्री हरगोविन्दसिंह—उसका उद्धरण कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—अगर उद्धरण मौजूद है तो उस समय कह दीजियेगा। टेबिल पर रहना चाहिये वह एक्सट्रैक्ट रह जायगा। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि इसमें यह खंड २ जो है उसमें कुछ छपाई में गलती हो गई है। तो जिस वक्त खंड २ आयेगा उस वक्त उसको दुरुस्त कर लिया जायगा। इसलिये कोई आपत्ति जनक बात इसमें नहीं है। आप विधेयक उपस्थित कर सकते हैं।

श्री हरगोविन्दसिंह—श्रीमन्, यह बड़ा छोटा सा विधेयक है। सदन को और श्रीमान् को तो यह ज्ञात ही होगा कि सन् १९३६ में इस विषय पर एक कानून बना था—फेमिन रिलीफ ऐक्ट· १९३६। उसके जरिये से इस बात का प्रबन्ध किया गया था कि प्राकृतिक आपदाओं के समय रुपया जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो जाय। इसलिये एक धनराशि अलग की जाय इसी मंशा से वह विधेयक बना हुआ था। अब उस विधेयक में एक बात तो यह जरूर थी कि इस बात का कोई प्रबंध नहीं था कि सरकार उस धनराशि में हर साल कुछ दे। यह तो अवश्य था कि धनराशि वह ५५ लाख थी और वह ५५ लाख रुपया उसमें रखा रहे और जब उस रुपये में कमी हो तो हर वर्ष १६ लाख रुपये तक उसमें जमा करके ५५ लाख की जो निधि है वह उस स्तर पर कायम रखी जाय ऐसा उसमें था।

(इस समय १ बजकर १२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद, पीठासीन हुये।)

अब चूंकि इन आपदाओं की संख्या भी बढ़ती गई और बार-बार इनका मुकाबला भी करना पड़ा इसलिए जैसा कि उद्देश्य और कारणों में लिखा हुआ है फाइनेंस कमीशन ने सभी स्टेट्स को और हमारी स्टेट को भी यह सिफारिश की कि ऐसा किया जाय कि हर साल ५० लाख रुपये की धनराशि उस फेमिन रिलीफ फंड में डाली जाय जिसमें कि अगर किसी समय आपदा आ जाय तो रुपये की उपलब्धि सुचारु रूप से हो सके और उन आपदाओं का सामना किया जा सके। बस इतना ही इसका उद्देश्य है।

इसमें कुछ सदस्यों का विचार है कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाय। मैं समझता हूं कि उससे कोई लाभ नहीं है। इसलिये भी नहीं कि एक छोटा सा बिल है उसका एक यह उद्देश्य

[श्री हरगोविन्दसिंह]
है और प्रवर समिति में भेजकर उसमें और क्या संशोधन होगा। इसका स्कोप बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिये मैं समझता हूं कि यह सदन इस पर विचार करेगा और जल्दी से जल्दी इसको पारित करेगा।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमान अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यू०पी० फेमिन रिलीफ फंड (संशोधन) विधेयक, १९६१ को एक प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन १ माह में प्रस्तुत करे। समिति को विधेयक की परिधि भी विस्तृत करने की शक्ति हो। इसमें समय की अवधि कुछ लम्बी दिखाई पड़ती है। इसके बारे में कोई समझौता अगर उधर से हो तो मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं। लेकिन मूलतः मेरा प्रस्ताव यह है कि ऐसा विषय जो कि वित्त के सम्बन्ध में हो उस पर हमें ठंडे दिल से विचार करना चाहिये और यह प्रवर समिति में ही अच्छे ढंग से हो सकता है। आप देखें कि यू० पी० फेमिन रिलीफ फंड १९३६ का संशोधन करने की ओर सरकार का ध्यान इतने वर्ष बाद जा रहा है और जो सरकार ने गलती अभी तक की है उसको सुधारने के लिये वित्तीय आयोग के किसी एक कथन पर या उसके इशारे पर सरकार का ध्यान खिचा है। यह हमें बताया गया कि अभी तक फेमिन रिलीफ के लिये ५५ लाख रुपये की जो एकमुश्त रकम रहा करती थी उसमें जब कभी कमी पायी जाती रही तो उसकी पूर्ति के लिये नियम यह था जो कि सेक्शन ७ में दिया हुआ है—

"(1) The accounts of the Fund shall be made up at the end of each financial year, the securities included in the Fund being valued at their market value on the last day of the said year.

(2) If the accounts so made up in respect of any year show that the balance in the Fund falls short of fifty five lakhs of rupees, the deficiency shall, as soon as may be in the next financial year, be made up from the revenue of Uttar Pradesh ;

Provided that if the deficiency exceeds sixteen lakhs of rupees, it may be made up in annual instalments, the amount of each instalment except the last being not less than sixteen lakhs of rupees ;

Provided further that it shall not be necessary to make up in the next financial year any such deficiency if the balance in the Fund has, at any time during such year, reached the sum of Rs 55 lakhs.

(3) It is hereby declared that any sums required for the purposes of sub-section (2) shall be charged upon the Consolidated Fund of the State."

इस दफा ७ में जो पहली प्रक्रिया है उसमें बहुत सी कमियां हैं। इसको यदि देखा जाय तो यह ५५ लाख रुपया कम है। इस फंड की डैफिशियेन्सी को पूरा करने के लिये १६ लाख रुपये का इन्स्टालमेंट उस वक्त तक रखा गया था—आखिरी इन्स्टालमेंट चाहे कुछ अधिक हो जाय जब तक कि वह ५५ लाख की धनराशि पूरी न हो जाय। इस प्रकार से ५५ लाख की धनराशि को पूरा करने के लिये सरकार ने किश्तों में व्यवस्था की थी। ५५ लाख रुपया हर हालत में पूर्ति करने की व्यवस्था सरकार ने की थी। अब हमारे सामने जो नई व्यवस्था की जा रही है वह थोड़ी सी उन्नतिपूर्ण है। लेकिन मेरा इस सम्बन्ध में कुछ मौलिक मतभेद है और वह यह है कि इस फेमिन रिलीफ फंड में ५५ लाख रुपये की सीमा बहुत कम है। यह ५५ लाख रुपये की व्यवस्था अंग्रेजी राज्यकाल में की गई थी और तब इतनी ही सीमा रखी गई थी। आज यदि अपने प्रदेश की स्थिति को देखा जाय तो इस प्रदेश में मौसमी गड़बड़ी या दैविक आपदायें बराबर आती रही हैं और हमें उनके वार को सहना पड़ा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, आपको मालूम है कि इस प्रदेश के बहुत से हिस्से के लोग ओला, पत्थर और अनेक दैवी आपदाओं से पीड़ित रहे हैं। इसके लिये सरकार को बहुत सी सहायता देने के लिये बाध्य होना पड़ा है। सरकार के लिये विशेषरूप से ऐसी परिस्थिति आई कि उसको टेस्ट वर्क्स खोलने पड़े। मेरा कहना यह है कि हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है जिसमें ७ करोड़ में लगभग ५॥ करोड़ या उससे अधिक निवासी कृषि पर आधारित हैं जिनका जीवन दैवी आपदाओं से भरपूर है या बराबर पीड़ित रहता है। इसलिये प्रदेशीय सरकार को इस फैमिन रिलीफ फंड में इस प्रकार की सीमा नहीं रखनी चाहिये कि उसमें ५५ लाख रुपया ही रहे, बल्कि ऐसा होना चाहिये कि सरकार के पास और भी आवश्यकता के अनुसार रुपया रहे और इस फंड में अधिक रुपया रखा जा सके। यह नियम जो हमारे सामने है यह बहुत पहले का यानी सन् १९३६ का है। आज हमारे सामने उसमें कुछ और हेरफेर करने की बात करीब २५ साल के बाद सोची जा रही है। मैंने इन पिछले सालों में देखा कि जब कभी दैवी आपदा इस प्रदेश में आई तो उस सम्बन्ध में सहायता देने के लिये जिलाधीश सरकार से आज्ञा प्राप्त करते हैं। जिलाधीश को सहायता मिलते-मिलते काफी समय लग जाता है। यह आपत्तियां ऐसी आकस्मिक आती हैं और इतनी विस्तृत होती हैं कि जिलाधीश तत्काल कोई सहायता कर नहीं पाते हैं और उनकी सहायता करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं आपसे अपने जिले कानपुर की बात बतलाऊं कि वहां पर बाढ़ आई और उस बाढ़ से कई गांव जलमग्न हो गये। ऐसे-ऐसे स्थानों में भी बाढ़ आई कि जहां पर पिछले १५, २० साल से बाढ़ नहीं आई थी। नतीजा यह हुआ कि जिलाधीश को जब सहायता देने की आवश्यकता पड़ी तो उसे आज्ञायें लेने के लिये लखनऊ दौड़ना पड़ा। लखनऊ में ही जब बाढ़ आई तो उस समय अन्य जिलों से सहायता मांगी जा रही थी और सड़कों पर यातायात बिगड़ जाने से यहां सहायता नहीं पहुंच पा रही थी। तो ऐसी परिस्थितियों में जिलाधीशों के लिये सहायता दे पाना मुश्किल हो जाता है।

इस साल सरकार ने जो अग्रिम रकम सहायता कार्य के लिये रखी है वह काफी बढ़ा दी गई है और कुछ और अधिकार भी उन्हें दे दिये गये हैं, यह ठीक है, लेकिन इन थोड़े से कार्यों से उन आपत्तियों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। सरकार के पास एक अच्छी खासी रकम इस प्रकार की होनी चाहिये कि आवश्यकता पड़ने पर जिलाधीशों को तुरन्त सहायता पहुंच सके। फेमिन रिलीफ की जो रकम सरकार के पास है, तर्क में वह यही कहेगी कि यह तो उन विशेष क्षेत्रों के लिये है कि जो अकाल पीड़ित हैं, लेकिन अकाल पीड़ित होने की स्थिति तभी आ सकती है, जब उस क्षेत्र में पहले कोई दैवी आपत्ति आये। उसमें अगर सरकार तत्काल सहायता नहीं पहुंचा पाती तो उसके बाद वहां अकाल की स्थिति आती है, पैदा हो जाती है और उस समय इस विधेयक के अनुसार कार्य किया जा सकता है। मैं यह कहूंगा कि दैवी आपत्ति की स्थिति और अकाल की स्थिति दोनों में ही सरकार को सहायता के लिये तैयार रहना चाहिये और इसके लिये आवश्यक है कि एलाटेड धन काफी सीमा में हो। इसे देखते हुये मुझे यह ५५ लाख की रकम जरा कमजोर, अनुचित सी और अनुपयुक्त दिखलायी पड़ती है।

अब हमारे सामने इस संशोधन विधेयक द्वारा कुछ हेरफेर किया जा रहा है। पहला परिवर्तन धारा (३) में किया गया है ५० लाख रुपया एसाइन करने के लिये कन्सालिडेटेड फंड में, दूसरे खंड (३) में शब्द "under sub-section (2) of section 7 or otherwise." निकाल दिये गये हैं और तीसरे परिवर्तन के अनुसार धारा ७ के पश्चात एक नई धारा ७–ए के रूप में बढ़ा दी गई है और मैं समझता हूं कि यह परिवर्तन एकाउंटिंग सिस्टम में सहूलियत लाने के लिये है। सम्भव है कि इससे एकाउंटिंग में कुछ सहूलियत सरकार को मिल जाय, किन्तु मेरा मौलिक विरोध इस बात के लिये है कि इसके द्वारा जो बाध्यता सरकार अपने पर रखती है वह नहीं रहनी चाहिये। इसमें केवल ५५ लाख ही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर अधिक निधि भी रखी जा सके, इसका प्रबन्ध होना चाहिये और यह तभी किया जा सकता है जब कि हम इस विधेयक को प्रवर समिति में उसे इस अधिकार के साथ भेजें कि इसकी परिधि बढ़ाई जा सके।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

वहां हमें तमाम इस प्रकार की चीजें देखनी पड़ेंगी कि जिन के अनुसार हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिये मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि जैसा कि मंत्री महोदय ने बतलाया कि यह एक छोटा सा और साधारण विधेयक है, मैं उसे ऐसा नहीं मानता और मैं, श्रीमन, आपके द्वारा सरकार से यह शिकायत करूंगा और उसपर यह लांछन लगाऊंगा कि जब बड़ी-बड़ी दिक्कतें सरकार के सामने जनता की सहायता करने में आती हैं तो क्यों नहीं सरकार अवसर मिलने पर उनके लिये उचित कदम उठाती । बहुत कहने पर सरकार पीस मील लेजिस्लेशन ले आती है ताकि लुकेछिपे, अन्धेरे में टुकड़ा विधेयक पास हो जाय और उस की मौलिक बातें देखी न जा सकें। मुझे इस सम्बन्ध में सरकार की नीति का हमेशा विरोध रहा है और मैंने हमेशा उसका विरोध यहां किया है और इस प्रकार के विधेयकों को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है क्योंकि वही एक ऐसा जरिया है जिससे हम शांति के साथ उस पर विचार कर सकते हैं और उसकी परिधि आदि को भी बढ़ा सकते हैं। उसी आधार पर मैंने आज भी इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है। अगर सरकार यह समझती है कि इससे देर होगी, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें देरी होने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। यह एक प्रभावकारी विधेयक है और सरकार की वित्तीय नीति पर इसका प्रभाव पड़ेगा । इसलिये माननीय मन्त्री जी मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकर करने की कृपा करें। इतना कहकर मैं और अधिक समय नहीं लूंगा और जो मेरे संशोधन हैं उनको मैं अवश्य बाद में लूंगा।

*श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—मान्यवर, मैं माननीय अवस्थी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो विधेयक आज सदन के सामने प्रस्तुत है उसकी अपनी एक विशेष महत्ता है। मान्यवर, हमारे प्रदेश में पहले फेमिन आकेजनली हुआ करते थे किन्तु अब तो वे परपीचुअल से हो गये हैं। श्रीमन्, पहले कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार आपसी झगड़े आकेजनली ही हुआ करते थे और अब आये दिन होते हैं, उसी प्रकार फेमिन की स्थिति भी हमारे यहां हैं।

यहां, श्रीमन, हमें यह देखना है कि इसमें जो रुपया रखा गया है वह काफी है या नहीं, अथवा उसे कितना होना चाहिये। अगर रुपया बढ़ाते हैं तो उसके लिये हमें राज्यपाल महोदय की स्वीकृति लेनी होगी और जब उनकी स्वीकृति लेनी होगी तो उसके लिये यह भी आवश्यक हो जाता है कि यह विधेयक प्रवर समिति में जाय और वहां हम इस पर गम्भीरता के साथ विचार करें। हाउस को कान्फीडेंस में लेने के लिये माननीय मंत्री जी को इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिये।

श्रीमन, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले १९३६ में जब १२ करोड़ का बजट था, उस समय इस मद में ५५ लाख रुपये रखे जाते थे और अब जब १५० करोड़ का बजट है तो ५० लाख रुपये रखे गये हैं। रेवेन्यू का अगर हम एक प्रतिशत भी रखें तो यह धनराशि करीब १ १/२ करोड़ की होगी। उस डेढ़ करोड़ की रकम में से केवल ५० लाख ही रखा गया है। इसके अलावा आप देखें कि उस समय के भाव में और इस समय के भाव में भी कितना अन्तर है। सन् ३६ में सात सेर का गेहूं था, आज पौने दो सेर का मिलता है। तो रिलीफ का मतलब यह नहीं है किसी को एक रुपया दे दिया जाय बल्कि देखना यह है कि वास्तव में जनता की मुसीबत और परेशानी के लिये आप क्या देना चाहते हैं। आज सरकार फेमिन की परिभाषा यह समझती है कि अगर कहीं फसल ठीक पैदा न हो, अनाज की स्केयरसिटी हो जाय तो वह फेमिन है। मान्यवर, जहां तक मैं समझता हूं आप किसी भी डिक्शनरी में देख लीजिये उसमें यह है: वान्ट आफ फूड, हंगर ऐंड स्टार्वेशन। चैम्बर्स में यह लिखा हुआ है: जेनरल स्केयर्सिटी आफ फूड, स्केयर्सिटी आफ एनीथिंग, हंगर ऐन्ड स्टार्वेशन। इसी प्रकार आक्सफोर्ड कहती है: "एक्सटेंसिव स्केयर्सटी आफ फूड इन ए डिस्ट्रिक्ट, डर्थ आफ सर्मथिंग। तो फलड भी अगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आता है और प्राइसेज रेज होती हैं तो वह सारी चीजें स्केर्यासिटी में आती हैं । लेकिन सरकार कहती है कि अनाज पैदा नहीं हुआ तो स्केर्यासिटी हो गई लेकिन में समझता हूं तीनों डिक्शनरीज के अनुसार महामारी, बीमारी या बाढ़ से फेमिन पड़ता है, फसल बरबाद हो जाती है तो फेमिन पड़ता है ।

दूसरी बात श्रीमन, यह है कि यू० पी० में दो अंचल ऐसे हैं जहां पता नहीं कब अकाल पड़ सकता है, किसी को पता नहीं होता । पूर्वीय और पर्वतीय अंचल ऐसे हैं जो हमेशा अकाल-ग्रस्त रहते हैं। पिछले पांच सालों का इतिहास साक्षी है कि वहां पर लगातार अकाल पड़े हैं। पर्वतीय अंचल में तो आज भी एक तिहाई व्यक्तियों को एक समय ही खाना मिल रहा है। आज देश की सुरक्षा के लिये भले ही सरकार वहां खर्च कर रही हो, लेकिन उससे वहां की भुखमरी और बेकारी का वह हल नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश के जो अकालग्रस्त इलाके हैं उनके लिये सरकार ने क्या किया है ? मेरी यह मांग है कि इसके लिये जो ५० लाख की धनराशि रखी गई है वह बढ़नी चाहिये ।

बजट के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि ५६–५७ में ७९,३९,४९४ रुपया एक साल में खर्च हुआ । ५७-५८ में १,००,१०,४८४ रुपया खर्च हुआ, ५८–५९ में १,४४,०७,५०३ रुपया खर्च हुआ रिलीफ फंड में और ५९–६० में ७६,३७,७२५ रुपया खर्च हुआ । सन् ३६ और आज के बाजार भाव को भी अगर देखा जाय तो इस रकम को बढ़ना चाहिये । इसके अतिरिक्त उस समय १२ करोड़ का बजट था जबकि आज डेढ़ सौ करोड़ का है । यदि आप एक परसेन्ट भी रखें तो भी डेढ़ करोड़ होना चाहिये । तो जैसा मैंने आपसे कहा, उत्तरी अंचल में आज भी एक तिहाई लोग अकालग्रस्त अवस्था में हैं । वहां से जो विधायक आते हैं वह इस बात को जानते हैं, नारायणदत्त जी भी जानते हैं । तो मंत्री जी इस विधेयक को प्रवर समिति में इसलिये ले जांय कि यह ५० लाख की धनराशि बहुत कम है । फाइनेन्स कमीशन के प्रतिवेदन के १८४वें पैराग्राफ के मुताबिक ५० लाख की धनराशि तो कम से कम बताई गई है । मान्यवर, फाइनेन्स कमीशन ने बिहार के लिये जो सौ लाख रुपये रखे हैं जबकि उनके यहां प्रति स्क्वायर मील आबादी कम है । जब उनकी आबादी कम है तब भी उनके यहां १०० लाख रखे गये हैं । हमारे यहां फाइनेन्स कमीशन को कोट किया गया है और कहा गया है कि उन्होंने १८४ पैरा में ५० लाख की रकम रखी है लेकिन वह धनराशि तो उन्होंने कम से कम बताई है । अब मैं अधिक समय न लेकर यह कहना चाहूंगा कि इस पर विशेष रूप से गौर किया जाय और अगर वास्तव में जनता को कोई रिलीफ देनी है तो इस एमाउन्ट को बढ़ाया जाय । वास्तव में उत्तर प्रदेश में आज उत्तरी और पूर्वी अंचल हैं जो परमानेन्ट अकालग्रस्त इलाके हैं । उत्तरी अंचल की आबादी २५ लाख है और उसके लिये ५० लाख रुपये हैं, यानी २ पये फी आदमी पड़ेगा । इसी प्रकार पूर्वी अंचल की २ करोड़ आबादी है वहां भी क्या दिया गया है ? साथ ही बुंदेलखंड के इलाके ऐसे हैं जहां बाढ़ रहती है या सूखा रहता है और अकाल की स्थिति बनी ही रहती है । पूर्वी और उत्तरी अंचलों में तो परपिचुअल अकाल की स्थिति है लेकिन और भी इलाकों में जहां फ्लड और महामारी की बीमारी के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो जाया करती है । अब इनके लिये केवल इतनी थोड़ी सी धनराशि से कैसे काम चल सकता है ? विशेषकर उत्तरी अंचल के लिये तो ५० लाख की धनराशि बहुत कम है । अगर आप चाहें कि लोगों का वास्तविक कल्याण हो तो इस एमाउन्ट को बढ़ाना चाहिये ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब इस तरह की स्केयर्सिटी हो जाती है तो चाह हम लोग कुछ भी कहते रहें उसको यह सरकार मानने वाली नहीं है, अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने लिख दिया, क्योंकि जिलाधीश सरकार की समझ में खुदा है, तो उनकी रिपोर्ट पर फौरन यकीन करेंगे । लेकिन कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि जिलाधीश लिखता रह गया कि मदद होनी चाहिये लेकिन यहां से मदद नहीं होती । अभी बनबसा में फ्लड आया, स्केयर्सिटी हुई, कोई मदद नहीं दी गयी और कहा गया कि हमको तो पता नहीं है, जिलाधीश ने भी रिपोर्ट भेजी लेकिन यहां से कोई रिलीफ नहीं गयी । रुपया न होने के कारण आप उनको कोई रिलीफ पहुंचा नहीं

[श्री प्रतापसिंह]

सकते, यह आप कहेंगे। लेकिन अल्टीमेट एम हमारा तो यही है न कि जनता को रिलीफ दी जाय, इसलिये मैं कहता हूं कि जब ऐसी स्केयर्सिटी आती है तब उस वक्त अगर माल मंत्री जी और वित्त मंत्री जी कहने लगते हैं कि हमारी मजबूरी है, हमारे पास कोई एमाउन्ट नहीं है तब उस वक्त जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं मंत्री जी का आभारी हूं कि वे हमारे सामने ऐसा विधेयक लाये हैं लेकिन जब एक ऐसा विधेयक लाकर वे रिलीफ देना चाहते हैं तो हम भी उनके हाथों को मजबूत करना चाहते हैं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय ताकि वहां पर इसकी फाइनेंशल इम्प्लीकेशन्स को हम लोग देख सकें क्योंकि इस ५० लाख रुपये के लिये भी गवर्नर की इजाजत लेनी पड़ेगी, इसलिये आवश्यकता है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय। वहां से सात दिन के अन्दर उसकी रिपोर्ट के साथ वापस आ जाय और सर्व सम्मति से हम लोग यहां फिर बैठकर पास कर लें जिससे लोगों को जल्दी से जल्दी सहूलियतें मिल सकें।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बंगाल में जब अकाल आया तो वहां की सरकार ने लोगों की खुले खजाने मदद की उसी तरह से हमारी सरकार को भी यहां करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इन तमाम बातों पर विचार करने के लिये इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

*आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें इस बात की स्वीकृति दी गयी है कि यदि यह विधेयक पास हो जाता है तो हमारे प्रदेश में जो अकाल और फेमिन की कंडीशंस पैदा हो जाती हैं तो सरकार उनमें पैसा खर्च करे तो किस तरह से करे, इस प्रकार का कोई तर्क सरकार के पास अब तक नहीं था। इस वजह से जो एक आकस्मिक संकट अकाल के द्वारा जनता पर आ जाता है उसमें सहायता देने के लिये एक प्रथक अनुदान के रूप में सरकार एक विधेयक पेश करती है। उसमें ५५ लाख पया सालाना खर्च करने के लिये गुंजायश रखती है। इस प्रकार के विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। सिद्धान्त रूप से मैं समर्थन करता हूं लेकिन मैं यह भी महसूस करता हूं कि अकाल प्रति वर्ष घटित होने वाली घटना नहीं है कि अनिवार्य रूप से हो। जब से हमारे प्रदेश में पुनःनिर्माण का काम, खास तौर से सार्वजनिक विभाग का काम शुरू हुआ है तब से बाढ़ के रूप में अकाल उन जिलों में, पश्चिमी जिलों में, भी आने लगा है जहां वह पहले कभी नहीं आता था। कारण यह है कि सार्वजनिक निर्माण बिभाग सड़कों और भवनों की ओर तो ध्यान देता है लेकिन पानी के स्वाभाविक बहाव के प्रकृतिक तरीके जो होते हैं उनकी ओर वह ध्यान नहीं देता। पानी के प्राकृतिक रुझान की ओर कोई ध्यान न देने के कारण यह होता है कि बरसात का पानी निकल नहीं पाता है और बाढ़ के रूप में वह तमाम खेती को नष्ट कर देता है।

अकाल का दूसरा रूप आवर्षण होता है सूखा पड़ जाता है। अलावा इसके पुराने शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार अकाल वह भी है जहां दूसरी तरह के दैवी प्रकोप हो जाते हैं। इतने बड़े देश में सरकार चाहे जितना प्रयत्न करे अकाल की स्थिति कहीं न कहीं आती ही रहती है। जैसा अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, २-३ इलाके तो ऐसे हैं जहां प्रति वर्ष अकाल की स्थिति अनिवार्य रूप से पैदा हो जाती है। तो सिद्धान्त रूप से मैं सरकार को बधाई देता हूं कि उसने सोचा कि एक विधेयक पास करके कुछ रकम इसके लिये रखी जावे। लेकिन मैं यह भी जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि जो रकम ५५ लाख की तय की गई है वह बहुत कम है। अगर अकाल न पड़े तो वह कहीं और इस्तेमाल की जा सकती है। जैसा काम करने का तरीका सरकार का एकांगी और निकम्मा है, एक विभाग से दूसरे का कोई सरोकार नहीं है, प्रत्येक मंत्री और विभाग अपनी-अपनी स्थिति बचाने में प्रयत्नशील हैं इस प्रकार से क्या होगा? इस देश के अर्थ-तंत्र का विकास होगा या नहीं? हमारे देश में अकाल के समय सामाजिक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुरीतियां भी अधिक भयंकर रूप धारण कर लेती हैं। मैं समझता हूं कि कम से कम डेढ़ करोड़ रुपया सरकार को इस मद में खर्च करने के लिये तैयार रखना चाहिये और यह रकम ऐसी नहीं है कि जो जरूरी तौर पर खर्च हो ही जाय। अगर बच जाती है तो अगले वर्ष दूसरे कामों में खर्च की जा सकती है। अकाल की स्थिति में खर्च करने के लिये सरकार के हाथ खुले रहने चाहिये जिससे जनता की अधिक से अधिक सेवा हो सके। मैं जरूरी समझता हूं कि सरकार गम्भीरता पूर्वक विशेषज्ञों की सलाह-मशिवरा लेने के लिये इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दे तो अच्छा हो। एक सप्ताह में इसके ऊपर रिपोर्ट आकर विचार हो सकता है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, सब से पहले तो मैं सरकार को कम से कम इस बात के लिये बधाई देता हूं कि लगभग ४ साल बाद उन्होंने इस बात को आवश्यक समझा कि हमारे उस सुझाव को मंजूर करें जिसे हमने सन् १९५७ में ही बजट भाषण में प्रस्तुत किया था। श्रीमन्, शायद आपको याद होगा कि जब १९५७ में फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट निकली थी उस समय ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करने के लिये हमारी ओर से सरकार को सुझाव दिया गया था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस समय के वित्त मंत्री जी ने कहा था कि इस प्रकार का प्राविधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है चूंकि फेमिन रिलीफ फंड मौजूद है और उसमें हम चाहे जितना रुपया—१६ लाख से अधिक किस्त नहीं होनी चाहिये—लाकर डाल सकते हैं। लेकिन आज की सरकार को चाहे नये वित्त मंत्री जी के व्यक्तिगत विचार के बाद उस तथा कथित नीति पर फिर से विचार करना पड़ा। मैं यहां यह भी निवेदन कर दूं कि फाइनेंस कमीशन की और भी सिफारिशें हैं और भी संस्तुतियां हैं जिनकी ओर अभी तक ध्यान नहीं गया है। मैं विधेयक की परिधि से बाहर नहीं जाना चाहता लेकिन मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी सेकेन्ड फाइनेंस कमीशन संथानम कमीशन के जिस प्रतिवेदन को उन्होंने आज स्वीकार किया है उसकी अन्य संस्तुतियों पर फिर से विचार करेंगे।

अब, श्रीमन्, वास्तविकता क्या रही है? वास्तविकता यही है जैसा पहले वक्ताओं ने कहा है कि फेमिन रिलीफ फंड में हमेशा माइनस बैलेंस रहा है और एक नामीनल, नाममात्र का बैलेंस रहा है। अगर इस साल का बजट उठा कर हम देखें तो बजट मेमोरेंडम में यह स्पष्ट है कि फेमिन रिलीफ फंड में मार्च ३१, सन् ६० को जो एक्चुअल बैलेंस था वह माइनस २३,३७,००० था। ३१ मार्च, ६१ को रिवाइज्ड एस्टीमेट के आधार पर कुल ९५,००० रुपया अनइनवेस्टेड उसमें रहने की बात थी। जो बजट बनाया गया, जो एस्टीमेटेड बैलेंस ३१ मार्च, सन् ६२ को है वह भी कुल ९७,००० कैलकुलेट किया गया। तो जब ९७,००० रुपया सारे आपरेशन्स के बाद हो जब कि कानून के मुताबिक यह ५५ लाख से कम नहीं होना चाहिये, ऐक्ट की मर्यादा का उल्लंघन सरकार स्वयं करती थी और बजट में इस बात को रखा जाता था कि बैलेंस कुल ९७,००० होगा, जब कि कम से कम ३१ मार्च को ५५ लाख दिखाना चाहिये था। इससे कम हो जाय तो उसे किस्तों से पूरा करने की बात थी। अब श्रीमान् देखें कि बजट के आंकड़ों के अनुसार सन् ५९—६० में रेवेन्यू एकाउन्ट से १ करोड़ रुपया ट्रांसफर फेमिन रिलीफ फंड को हुआ। लेकिन रेवेन्यू एकाउन्ट्स से केवल ७२ लाख रुपया ट्रांन्सफर किया गया। इसी प्रकार से जो रिवाइज्ड ऐस्टीमेट ६०—६१ का १ करोड़ २१ लाख रुपये का स्थानान्तरण रेवेन्यू एकाउन्ट से किया गया है लेकिन रेवेन्यू एकाउन्ट को कुल ९,६६८ हजार रुपया ट्रान्सफर करने का प्राविधान किया गया। इसके कारण हैं। कारण यह है कि इस फंड से अधिक से अधिक धनराशि कैलेमिटीज के लिये खर्च करनी पड़ी और पूरी धनराशि की पूर्ति करनी पड़ी। इसलिये इस फंड का जो एवरेज है उसमें व्यावहारिक कठिनाई प्रतीत होती है। इससे पता चलता है कि रेवेन्यू एकाउन्ट्स से ५० लाख नहीं बल्कि अगर हम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

पूरक बजटों को भी मिला लें तो एक करोड़ रुपया औसतन आता है जो हमें फ्लड रिलीफ फंड में देना पड़ रहा है। इससे सरकार स्वयं स्वीकार करती है। इसलिये जो ५० लाख का प्रावीजन किया जा रहा है वह बहुत ही कम है।

फाइनेंस क मीशन ने सन् ५७ में ही सिफारिश की थी और यह कहा था कि पिछले वर्षों के ऐवरेज पर ही ये सिफारिशें की जा रही हैं। और वह एवरेज ५० से ५७ तक के लेमिटीज के आधार पर रखा गया था लेकिन ५७ के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में हमने अपनी यह नीति घोषित की कि हम बाढ़ और सूखा आदि में ज्यादा रुपया खर्च करेंगे। लेकिन जब हम १९६१ में फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों को मंजूर करने जा रहे हैं तो हमें ५७ के पहले आंकड़ों के अतिरिक्त ६१ के पहले चार सालों के आंकड़ों को भी ध्यान में रखना होगा और हमें यह ध्यान रखना होगा कि प्रति वर्ष कितना रुपया कंसोलिडेटेड फंड से फेमिन रिलीफ फंड में जायगा। अगर आप इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको १ करोड़ रुपये के लगभग उसको रखना होगा। यह चीज आपके आंकड़ों से ही स्पष्ट है। इसका कारण फाइनेंस कमीशन ने यह बताया था—

"In our study of the expenditure in recent years of State Governments, we were struck by the dislocation caused to the finances of many of them by unforeseen expenditure on natural calamities like famine, droughts and floods and we were impressed with the need for making some regular provision to meet this type of expenditure. In our estimate of the committed expenditure of the States, we have included a margin for enabling them to set apart annually from their revenue sizeable sums to be accumulated in a fund for meeting expenditure on natural calamities."

उन्होंने कहा कि जो राज्य सरकार का खर्चा हो रहा है उसमें असंतुलन पैदा हो रहा है। इस प्रकार का जो खर्चा हो जाता है जिसका पहले से कोई ज्ञान नहीं होता है अर्थात् अकाल, बाढ़ और सूखा की स्थिति का सामना करने के लिये जो अप्रत्याशित व्यय करना पड़ता है, उससे असंतुलन पैदा हो जाता है। अब यह व्यय कितना हो तो मुख्य उद्देश्य हमारा यह है कि हमारा वित्तीय स्थिति पर उसका डिसलोकेशन कितना होता है। ५७ में हो सकता है उसका एवरेज ५० लाख का आता हो लेकिन आज यह डिसलोकेशन करीब १ करोड़ के होता है। इसमें गवर्नर महोदय की सिफारिश की आवश्यकता हो तो वह भी प्राप्त की जाय और अगर २–४ दिन इस काम के लिये इस बिल को भी स्थगित करना पड़े तो वह भी किया जाय। लेकिन हमें एक करोड़ रुपये से ज्यादा का प्राविधान फेमिन रिलीफ फंड में प्रतिवर्ष करना चाहिये। आगे चल कर एक धारा और है हमारे पुराने ऐक्ट में जिससे अगर कभी कुछ रुपया सरप्लस हो जाय तो उसका प्रयोग किया जा सकता है वह धारा ५ है, धारा ५ का प्राविजो इस प्रकार है—

"Provided that, when the Fund exceeds fifty-five lakhs of rupees, the (State Government) may use the excess to meet expenditure on protective irrigation work and other works for the prevention of famine or to pay debt charges for which the (State Govermnent) may from time to time be liable, including interest, sinking fund charges and redemption charges."

अगर वह ५० लाख रुपये से कभी सरप्लस हो जाय तो भी सरकार इसी ऐक्ट के आधार पर उसे सिंकिंग फंड चार्जेज, रिडेम्पशन चार्जेज और इंटरेस्ट वगैरह देने के लिये इस्तेमाल कर सकती है। तो कोई नुकसान नहीं होता गवर्नमेंट का और एक आकस्मिक निधि भी हमारे सामने रहती है। हमको प्रति वर्ष डेट इंटरेस्ट चार्जेज, प्रभृति व्यय के नाते ही साढ़े ८ लाख रुपया प्रति वर्ष देना पड़ता है और उसका प्राविधान प्रति वर्ष करना पड़ता है। यह चार्जड एक्सपेंडिचर है। तो अगर ५५ लाख की धनराशि बढ़ा कर हम एक करोड़ कर दें

और अगर कभी सरप्लस हो जाय, जिसकी कोई आशा नहीं है, तो इस प्रोविजो का प्रयोग करके डेट चार्जेज व इंटरेस्ट तथा प्रोटेक्टिव इर्रीगेशन वर्क्स आदि में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

दूसरी बात यह है कि इस विधेयक में लिखा हुआ है कि इस खर्चे को चार्ज्ड एक्सपेंडीचर माना जायगा। जहां तक ५५ लाख की रकम का सवाल है, मुझे सिद्धान्ततः यह मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि यह चार्ज्ड होना चाहिये। पहले भी इस विधेयक में चार्ज्ड एक्सपेंडीचर की बात है, लेकिन एक नयी बात जो इसमें अनचार्ज्ड एक्सपेंडीचर रखने की रखी गयी है उसको मैं उचित नहीं समझता।

इसमें लिखा हुआ है —

"The amount assigned to the Fund every year under clauses (ii-*a*) and (iii) of section 3 shall be an expenditure on the consolidated Fund of the State."

राज्य सरकार जो भी धनराशि फेमिन रिलीफफंड में देना चाहती है चाहे वह अकाल, सूखे या बाढ़ के लिये हो उसे सदन मंजूरी देगा चाहे, उसके लिये जितने रुपये की भी जरूरत हो। तो मेरी समझ में ऐसी धनराशि वोटेबिल होनी चाहिये और उस पर वोट लेना चाहिये और सदन को इस बात का पूरा अधिकार होना चाहिये कि वह अपने बहुत से अनुदानों के सम्बन्ध में अपने सुझाव दे सके। अगर यह एक्सपेंडीचर चार्ज्ड मान लिया गया तो केवल सामान्य वाद-विवाद के समय तो उस पर बहस हो सकती है, लेकिन उस पर अनुदान के समय विवाद कैसे होगा? इसलिये जो बहुमूल्य सुझाव उस पर उस समय मिल सकते हैं वे न मिल सकेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि पार्ट ३ को डिलीट कर दिया जाय और पहला भाग कि ५० हजार रुपया प्रति वर्ष जरूर मिलना चाहिये वह सही है लेकिन यह तीसरा हट जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं सिद्धान्ततः इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन्हें सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी अवश्य मानेंगे और उन पर विचार करेंगे।

*श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, माननीय नारायणदत्त जी ने सैद्धान्तिक रूप से इस बिल की विवेचना की है लेकिन मैं अपनी कुछ व्यावहारिक दिक्कत समझता हूं और मैं उसे आप के सामने रखना चाहता हूं। इस विधेयक को लाने का सरकार का उद्देश्य ऊंचा है कि वह पीड़ित, दुखी लोगों को सहायता देने के लिये एक निधि बनाना चाहती है, और उस निधि से समय आने पर जब कि लोग कष्ट में हों उनकी मदद करना चाहती है, यही मंशा है। इस मंशा को हम इस कसौटी पर रखना चाहते हैं, तो मंत्री जी देखें कि क्या यह मंशा उस कसौटी पर सही उतरती है या नहीं। सन् ३६ के ऐक्ट में ५५ लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी और आज भी सरकार केवल ५० लाख की ही व्यवस्था कर रही है। ५५ लाख की १९३६ की व्यवस्था को हटाकर १९६१ में ५० लाख की व्यवस्था कर रही है। मुझे तो भ्रम होता है कि कैसे वह ५ लाख प्रति वर्ष की कमी करने जा रही है।

दूसरी बात यह है कि इस रकम को अगर सैद्धान्तिक रूप से बाढ़ के लिये, सूखे के लिये या अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के समय खर्च करना है, तो सोचना यह चाहिये कि यह मनुष्यों पर व्यय होगी और खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से आदमियों की संख्या में १९३६ और १९६१ में बड़ा भारी फर्क हो गया है। सन् १९३१ की जनसंख्या ४ करोड़ ८४ लाख कुछ थी और इस वक्त सन् ६१ को ७ करोड़ से ज्यादा है। इसके माने यह हैं कि उस वक्त, ५ लाख की गलती ही मेरे मन में हो तब भी सन् ३६ में ४ करोड़ पर ५० लाख रुपया खर्च करने का उस वक्त की सरकार का इरादा था, जबकि उस वक्त की सरकार का दृष्टिकोण आज की सरकार की तरह का नहीं था, उसका दृष्टिकोण कुछ दूसरा था। वह उस वक्त ५० लाख का प्राविजन उस निधि में करती थी लेकिन आज सन् ६१ में जब आबादी ७ करोड़ से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

अधिक हो गई तो यह देश की अपनी सरकार ५० लाख की व्यवस्था कर रही है। आज आबादी निश्चित रूप से ड्योढ़ी हो गई, मेरी समझ में नहीं आता कि इस ५० लाख की रकम से कैसे आपदाओं से ग्रस्त लोगों की मदद वह कर सकेंगे।

इसमें कुछ फाइनेंस कमीशन का भी जिक्र किया गया है। उसकी रिपोर्ट जो मैंने पढ़ी तो उसमें बंगाल के लिये ७५ लाख, आंध्र के लिये ५० लाख, बिहार के लिये १०० लाख प्रति वर्ष और यू० पी० के लिये ५० लाख जमा करने के लिये कहा गया है। मेरी समझ में यह बात नहीं आई। अब हम यह कहें कि बंगाल से हम धनी हैं, बिहार से धनी हैं, आंध्र से धनी हैं, तो वह गलत होगा। अगर कोई दूसरा मिनिस्टर कहता तो कोई बात थी लेकिन वित्त मंत्री जी के मुंह से जब हम सुनें कि नहीं, हम उन लोगों से धनी हैं और हमारी हालत अच्छी है तो ताज्जुब की बात है। यह दलील दी जाती है कि यहां ऐसी विपत्ति नहीं पड़ती है जैसी बंगाल में पड़ती है या बिहार में पड़ती है, वहां ज्यादा पड़ती है और यहां कम पड़ती है।

(इस समय २ बजकर ६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

आन्ध्र जो छोटी जनसंख्या का प्रदेश है वह प्राकृतिक आपदाओं से कम ग्रस्त होता है। दलील यह दी जाती है कि वहां के आदमियों को ज्यादा मदद की जरूरत पड़ती है और उत्तर प्रदेश में कम मदद की जरूरत पड़ती है। तो मैं चाहता हूं कि इस बात का स्पष्टीकरण हो कि क्यों ५० लाख आप चाहते हैं, क्यों नहीं बिहार की तरह १ करोड़ की मांग आप करते हैं? मैं तो १ करोड़ की बात जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कहता हूं। हमारी जनसंख्या जो इस समय उस वर्ग की है जो कि प्राकृतिक आपदाओं से घिरा रहता है उसी के अनुपात के हिसाब से मैं कहता हूं, और जिस अनुपात से भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों में उनको मदद दी जाती है उसी हिसाब से मैं यह बात कहता हूं। अगर यह बात मान ली जाय तो सरकार को दूसरी तरह से इस विधेयक को लाना चाहिए।

मैं इस अवसर पर माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान कुछ विपत्तियों की ओर दिलाना चाहता हूं जिनको कि शायद हम नजरअंदाज कर देते हैं....

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया स्थान ग्रहण करें, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गेंदासिंह—मैं यह कह रहा था कि हमारी आबादी जो इतनी बढ़ी है तो केवल उन लोगों की ही थोड़े ही बढ़ी है जोकि खाते-पीते हैं, मजे में हैं या धनवान हैं। यह मानी हुई बात है कि उन लोगों की ज्यादा आबादी बढ़ी है जो लोग प्राकृतिक आपदाओं से अधिक ग्रस्त होते हैं। वह कौन लोग हैं? वह खेती के मजदूर हैं, किसान हैं। ग्रामीण लोग चाहे दुनिया के किसी और काम में पीछे पड़ जायं, लेकिन यह सिद्धान्त माना जा चुका है और यह मानी हुई बात है कि उनकी आबादी जरूर बढ़ती है और बढ़ी हुई है। अगर ४ करोड़ ८४ लाख की जन-संख्या के लिये हम ५० या ५५ लाख की व्यवस्था करते हैं तो आज साढ़े ७ करोड़ के करीब जन-संख्या पर ५० लाख की व्यवस्था करने से यह होगा कि सरकार के पास उस काम के लिये धन नहीं रहेगा और धन नहीं रहेगा तो क्या होगा? आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में झोपड़ी के मकान कितने हैं। फरवरी, मार्च के महीने से लेकर जून तक इस विपत्ति का मुकाबला करना गांव वालों को कठिन हो जाता है। किसी समय खाना बनाने के वक्त आग लग गई और पछुवा हवा चलती हो या पुरवा तो हवा के साथ पूरा गांव कुछ मिनटों में जल जाता है। इसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि किस कदर बरबादी होती है? यह नेचुरल कैलेमिटी में ही आयेगा। लेकिन उनकी मदद करने का सरकार का क्या तरीका है? वह है ५, ७ रुपया। सारी फसल बरबाद होने के बाद, सारा ऐश्वर्य बरबाद होने

के बाद, मैं उसकी कीमत नहीं चाहता, लेकिन उनको रीहैबिलिटेट करने के लिये ऐसा तो होना चाहिये कि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें, जबकि उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। वह तो दैवी प्रकोप उन पर हुआ है। तो राज्य का धर्म है कि ऐसे वक्त उनकी इतनी तो सहायता अवश्य करे ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

मैं समझता हूं इस सदन के सदस्यों को आग लगने की घटनाओं का ज्ञान होगा और ऐसी घटनाओं में सरकार की उदासीनता का भी ज्ञान होगा। सरकार के पास धन नहीं, कहीं कहीं पर माननीय सदस्यों की बड़ी फुर्ती के बाद किसी आग लगने वाले को थोड़ी-बहुत मदद जरूर हो जाती है, जो नाम-मात्र की होती है। रैवेन्यू विभाग से अगर पूछा जाय कि वर्ष भर में कितने गांव जलते हैं तो उससे अंदाज किया जा सकता है कि ५० लाख की रकम मुनासिब है या नहीं ?

बाढ़ और सूखा से अधिक से अधिक लोगों का सम्बन्ध दिन प्रति दिन बढ़ता चला जा रहा है। जितने लोग खेती करते हैं, खेतों पर मजदूरी करते हैं वही लोग प्राकृतिक आपदाओं के ज्यादा शिकार होंगे। इसलिये कहता हूं कि फायनेंस कमीशन ने जो सिफारिश कर दी उस पर सरकार ने विचार नहीं किया। फायनेंस कमीशन की रिपोर्ट को अगर गौर से देखा गया होगा तो जब बिहार को १ करोड़ की सिफारिश की जा सकती है, बंगाल के लिये ७५ लाख की सिफारिश थी, आंध्र के लिये जो छोटा प्रदेश है ५० लाख की व्यवस्था की सिफारिश थी तो किसी भी हालत में सरकार फाइनेंस कमीशन की सिफारिश को स्वीकार न करती और इस ५० लाख के प्रस्ताव को यहां लाती। अगर एक बार भी प्रदेश में नेचुरल कैलेमिटीज से पीड़ित होने वाले लोगों की तरफ नजर गई होती और पिछले १०, १२ साल की सदन की कार्यवाही तथा माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखा गया होता तो कभी भी ५० लाख का प्रस्ताव मंत्री जी न लाते। उन विपत्तियों का ध्यान सरकार को होना चाहिये।

आज यह बात मानी जा चुकी है कि उत्तर प्रदेश में पिछली पंचवर्षीय योजनाओं की दोनों अवधि में ग्रामीणों की आय घटी है, यह सरकार के ही आंकड़े बताते हैं। १९५०-५१ में जो ग्रामीण आदमी की आमदनी थी वह १९५९-६० में कुछ आने, पाई में घटी ही है, बढ़ी नहीं। अगर घटी है और ऐसी हालत में उसको धक्का लगता है थोड़ा-सा भी, तो वह फैमिन के नजदीक जायेगा। उनमें भी खास तौर से मैं खेतिहर मजदूरों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उसके लिये हमने आज तक कुछ नहीं किया। जब उसका घर जलता है तो उसको कोई भी, यहां तक कि कोआपरेटिव विभाग भी, कर्जा नहीं देता, क्योंकि उसके पास खेत नहीं है और न कोई गांव का महाजन उसको कर्जा देता है। ऐसी हालत में उसको उस प्राकृतिक आपदा का सामना किस प्रकार करना पड़ता है इसकी कल्पना सरकार को होनी चाहिये। मैं समझता हूं फाइनेन्स कमीशन ने भी इसकी चर्चा की है कि विकास के कामों में कोई बाधा न पड़े। इसलिये एक अच्छी रकम एकत्रित रहे ताकि अगर ऐसा समय आये तो वह खर्च की जा सके। अगर इस प्रकार की रकम रखी जाती है तो फाइनेन्स कमीशन की यह भी सलाह है कि उस रकम को दूसरी जगह भी लगाया जा सकता है। इसलिये उस रकम के बरबाद होने का भी कोई डर नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि उस रकम के रहने से जो सरकार और जिले के अधिकारी जो मुसीबतजदा लोग हैं उनकी मदद करने में पीछे रह जाते हैं, वह पीछे नहीं रह सकते। इस लिये मैं समझता हूं कि इस बात पर विचार किया जाना चाहिये। एक अमेंडमेन्ट इस बात का जरूर है कि इस ५० लाख की जगह २ करोड़ की रकम रखी जाय। हम ऐसा समझते हैं कि कोई कानूनी विवाद इस संबंध में खड़ा हो सकता है। लेकिन सरकार को अपने स्थान पर इस पर गौर करना चाहिये कि गवर्नर साहब की मन्जूरी के बिना कोई अमेंडमेन्ट इस प्रकार का नहीं लाया जा सकता है कि जिसमें मालगुजारी के खर्च करने की व्यवस्था हो....

श्री उपाध्यक्ष—समय कम है, और लोग भी शायद बोलना चाहते हैं....

श्री गेंदासिंह—मैं खत्म कर रहा हूं। तो सरकार यह जरूर करे कि जहां पर वह अमेंडमेन्ट आता है वहां सरकार हम लोगों के साथ हो कि गवर्नर साहब की स्वीकृति मिल

[श्री गेंदासिंह]

जाय। अगर उसकी आवश्यकता न हो तो कोई बात नहीं है क्योंकि मैं कानून का पंडित तो हूं नहीं, लेकिन अगर आवश्यकता हो तो वह कल आ सकता है और स्वीकृति लेकर फिर इसको पास किया जाय।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---आप जरा एक मिनट बैठ जायं। पहले वाला बिल रह गया था, माननीय मंत्री जी परेशान होंगे, इसलिये मैं उस पर मत ले लूं फिर आप बोलें।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय छुट्टी) विधेयक, १९६१ (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय छुट्टी) विधेयक, १९६१ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश फेमिन रिलीफ फण्ड (संशोधन) विधेयक, १९६१ (क्रमागत)

श्री हरीसिंह---श्रीमन्, जो यह विधेयक आज सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है इसकी आवश्यकता आज से ३-४ वर्ष पूर्व थी। आज मुझे इस बात की अत्यन्त खुशी है कि सदन के प्रत्येक कोने से इस विधेयक की सराहना की जा रही है। जहां तक रिलीफ सहायता का प्रश्न है हमारे प्रदेश में यह शिकायत रही है कि पूर्वी जिलों में बाढ़ आया करती थी और अकाल पड़ता था, परन्तु इन तीन-चार वर्षों के दौरान में हमारे पश्चिमी जिलों में भी ऐसी भयंकर बाढ़ आयी कि वैसी शायद ही पूर्व में आयी हो और चूंकि पूर्व में ज्यादातर झोपड़े होते हैं और पश्चिमी जिलों में गरीब से गरीब के यहां कोठे होते हैं जो ७०० रुपये से लेकर एक हजार रुपये तक में बनते हैं और कच्चे होते हैं। वहां के गांवों में पक्के मकानों की संख्या भी काफी होती है। हमारे यहां इस तरह की भयंकर बाढ़ आई है कि लोगों को बुरी तरह से पामाल कर दिया है। पश्चिम के लोग बाढ़ से बचना नहीं जानते थे कि किस तरह से बचा जाता है। लेकिन पूरब के लोग जानते थे। वह लोग इन बातों से अवगत थे और हम लोग अनभिज्ञ थे। इसलिये पश्चिमी जिले के लोगों को बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़ी है और वह दस वर्ष तक पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन बाढ़ आने के कारण हमारी सरकार ने एक योजना बनाई कि नाले बनाये जायं जिससे पानी निकल सके। लेकिन रुपया न होने के कारण यह योजना असफल हो रही है। मेरठ तहसील में एक इलाका है जहां पर शुगर मिल भी है। वहां पर नाला तैयार नहीं हुआ। जब भी इंजीनियरों से कहते हैं तो यही जवाब मिलता है कि रुपया नहीं है। वहां पर खेती नष्ट हो जाती है क्योंकि पानी के निकास का कोई प्रबन्ध नहीं है। बार-बार कहने पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। बाढ़ से इतनी तबाही होती है फिर भी आज इस विधेयक में बहुत कम रुपया रखा गया है जब कि इससे कहीं ज्यादा रुपया रखा जाना चाहिये था। जहां तक अकाल की बात है, श्रीमन्....

श्री उपाध्यक्ष---माननीय हरीसिंह जी आप कृपया बैठ जायं। सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री हरीसिंह---श्रीमन्, जहां तक अकाल का प्रश्न है अभी गर्मियों में हमारे यहां गरीब लोगों के झोपड़ों में आग लग गई। उस समय परिवहन मंत्री जी भी मौजूद थे। हमने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनको ले जाकर दिखाया। पचासों झोपड़े इस तरह से फुंक गये थे कि खाने-पीने के बर्तन भी जलकर ढेर हो गये। उनके पास कुछ नहीं बचा और वह नंगे बैठे हुए थे। लेकिन सरकार की तरफ से प्रश्न उठा कि १०-५ पये की सहायता मिल सकती है। यह समझ में नहीं आता कि इससे क्या हो सकता है। अगर रुपया नहीं है तो सरकार मदद न दे। दे तो इतना दे जिससे वह अपना मकान बना सकें और अपना जीवन निर्वाह कर सकें।

श्रीमन्, मेरा आपके द्वारा सरकार से अनुरोध है कि १०-५ रुपये की सहायता से कोई लाभ नहीं होता है। जब प्रदेश की जनता ही जिन्दा न रहेगी तो यह योजनायें किस काम आयेंगी, प्लान किसके लिये बनेंगे। सरकार का कर्त्तव्य है कि जब बाढ़ आये तो सरकार इतनी सहायता दे जिससे लोगों का जीवन पनप सके, ताकि लोगों का जीवन अच्छी तरह बसर हो सके। हमारी सरकार हमें हर सूरत में जिन्दा रखती है। हमारी सरकार और हमारे नेताओं ने इसके लिये भरसक प्रयत्न किया है और सहायता पहुंचाने में कोई कमी नहीं रखी है। परन्तु विधेयक के रूप में जब एक चीज आती है तो कम से कम ५, ७ करोड़ रुपया इसके लिये आवश्यक है। अगर वह बच जाता है तो दूसरे कामों में खर्च हो सकता है। जब दैवी आपत्ति आती है तब यह देखना पड़ता है कि किस विभाग से कितना रुपया लिया जाय। विभाग आपस में एक दूसरे की सहायता के लिये सहमत नहीं होते। इसलिये सरकार ने इस विधेयक को प्रस्तुत करके एक बड़े परोपकार का काम किया है, जिसमें एक मद अलग से रख दी है। परन्तु वह रकम बहुत कम है। वह कम से कम पांच करोड़ रुपये की रकम होनी चाहिये।

मैं आपके द्वारा विशेष तौर से गरीब हरिजनों के लिये निवेदन करना चाहता हूं। वही इन विपत्तियों में अधिक कष्ट भोगते हैं। लेकिन उन्हें इस प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल पाती है। यह मैं दस वर्ष के अनुभव के बाद कह रहा हूं। जब सरकार की तरफ से तकावी बंटती है तो उनको कोई तकावी नहीं मिल पाती क्योंकि न उनके पास जमीन है और न उनके पास इंडस्ट्री है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे उनकी हैसियत नापी जाय। लेकिन वोटिंग की हैसियत जरूर है क्योंकि प्रजातन्त्र है। वह तो आपको अधिकार देना पड़ता है। जो उनके पास मकान हैं उनसे उनको ो सौ रुपये की भी तकावी नहीं मिल सकती। उनको दस-दस, पांच-पांच रुपया देकर बहका दिया जाता है। मेरा आपके द्वारा सरकार से और विशेष रूप से मंत्री जी से निवेदन है कि उनकी हैसियत निर्धारित की जाय, यह तय किया जाय कि उनकी इतनी हैसियत तकावी प्राप्त करने के लिये है। दस, पन्द्रह पये से काम नहीं चलता। जिन लोगों के झोपड़े जल गये हैं उनके लिये कच्चे मकान बनवा दिये जायं।

जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो करोड़ों आदमी यहां आये जो अपने को शरणार्थी कहते हैं। आज वह परमार्थी हैं। आज उनकी दशा यहां के बाशिन्दों से, चाहे वे सवर्ण हों या हरिजन, लाख दर्जे अच्छी है क्योंकि सरकार ने उनकी सहायता की। उन्हें मकान उद्योग-धंधे और नौकरियों में सहायता की गयी। हमारे लिये केवल दिखावा है। दिखावे से काम चलने वाला नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने शरणार्थियों की सहायता की, लेकिन जो इस प्रदेश के कदीमी शरणार्थी हैं उनकी भी सहायता कीजिये ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसलिये आपसे निवेदन है कि इस विधेयक में जो रकम रखी गयी है, वह बहुत कम है, वह बढ़ायी जाय। यह प्रांत गरीब है। इसमें उतनी इंडस्ट्री नहीं है जितनी और प्रदेशों में है। बाढ़ भी इतनी दूसरे प्रदेशों में नहीं आतीं। इसलिये मैं आपसे कहूंगा कि केंद्रीय सरकार का भी यह परम कर्तव्य है कि इस प्रदेश के अकाल और बाढ़ के लिये अधिक से अधिक धन दे क्योंकि इस सरकार के पास उतना धन नहीं है।

मैं मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया है जिससे इस प्रदेश की सम्पूर्ण जनता का कल्याण है और जो दैवी आपत्तियां आती हैं उन सबसे मुक्त होने की इसमें व्यवस्था है। इसलिये मैं यह आशा करता हूं कि उसमें वह अधिक से अधिक रुपया रखने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—मान्यवर, मैं प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं। एक बात कहने के लिये मैं इस संशोधन के पक्ष में खड़ा हुआ कि यह बात तो बड़ी अच्छी है कि फैमिन रिलीफ के लिये फंड गवर्नमेंट रखे और हर साल उसमें रुपया रखे। जो हमारे भाई ने अभी कहा कि यह रुपया बहुत कम है उसके सिलसिले में सबकी यह राय है कि उत्तर प्रदेश ऐसे स्टेट के लिये ५० लाख रुपया कुछ नहीं है। जो बात मैं बैठा सोच रहा था और जिसके लिये इस विधेयक को भी देखा, जिसमें लिखा हुआ है फैमिन रिलीफ फंड, तो मान्यवर, मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं कि मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले में गंगा के किनारे प्रति वर्ष हजारों परिवार उसकी कटान से कट जाते हैं। किसी साल दस गांव, किसी साल ५ गांव, किसी साल २० गांव और चार, छः, दस गांव तो हर साल कट जाते हैं। उनकी स्थिति यह रहती है, इस साल की बात मैं बताऊं कि कुछ लोग नाव पर अपना छप्पर लेकर घूम रहे थे और कोई उन्हें अपनी जमीन पर उसे रखने नहीं दे रहा था। किसी वर्ष एक पैसा भी सहायता उनको नहीं मिलती क्योंकि वह फैमिन में आते नहीं। जिनके मकान गंगा से कट जायं वह तो फैमिन में या नेचुरल कैलेमिटी में कमी आये नहीं। तो इस फैमिन की और नेचुरल कैलेमिटी की कुछ परिभाषा अगर हो सके तो अच्छा है। मैं समझता हूं कि पिछले दस सालों में मैं अन्दाज से कह रहा हूं—लाखों आदमियों पर इसका असर पड़ा है जिनकी कि जमीन कटकर दूसरों के पास चली गई। इसके बाद या तो उनको दूसरों की जमीन खरीदनी पड़ती है या इस तरह से बसना पड़ता है जैसे कि रियाया पुराने जमींदारों के जमाने में बसा करती थी। आज भी बहुत से धनीमानी लोग उसी तरह जमीन खरीद कर अपने पास रखते हैं और उस पर उसी तरह उनको बसाते हैं जैसे कि जमींदार लोग रियाया को बसाया करते थे और उनसे काम लेते थे। तो आज भी रियाया की तरह बसने को वह मजबूर होते हैं। पिछले दस सालों में केवल एक साल ऐसा हुआ है, एक जिलाधीश अच्छे वहां चले गये थे, जब कि उन्होंने एक या दो गांव आदर्श गांव के नाम से बसा दिये थे। लेकिन उसके बाद कोई गांव नहीं बसाये गये। केवल गंगा का किनारा हमारे जिले में ६० मील है जिसमें दस पांच मील पर कटान हर साल रहती है और घाघरा का किनारा ४४ मील है। मैं समझता हूं कि अगर यह प्राकृतिक आपदा नहीं है तो और किसी आपदा का नाम प्राकृतिक आपदा नहीं हो सकता।

शरणार्थियों की बात भाई हरीसिंह जी ने कहा। लेकिन वह तो शरणार्थियों से भी बुरे हैं। कुछ तो उसमें ऐसे हैं कि जिनको बिहार वाले अपना मानने को तैयार नहीं होते कि वह उनके इलाके के हैं। उनके लिये बिहार के लोग स्कूल नहीं खोलते, पोस्ट आफिस नहीं खोलने देते, और कोई विकास कार्य उस इलाके में होता नहीं। कुछ लोग ऐसे इलाके में पड़ते हैं जहां हमारा कोई ऐडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। वहां कुछ किया ही नहीं जा सकता। खैर, वह दूसरा सवाल है, बिहार और उत्तर प्रदेश के झगड़े की बात है। लेकिन जो हमारे आदमी उत्तर प्रदेश में ही बसते हैं और कट जाने के बाद फिर उत्तर प्रदेश में ही बसना चाहते हैं, सरकार के पास पिछले दस सालों में ऐसे लोगों की न जाने कितनी दरख्वास्तें आयीं। हमने कहा, स्थानीय अधिकारियों ने कहा, लेकिन एक आदमी के भी बसने का इन्तजाम नहीं हो सका, एक छप्पर भी उनको नहीं दिया जा सका। मैं समझता हूं कि नेचुरल कैलेमिटी इसी को कहते हैं और इसके लिये फेमिन की परिभाषा, उसकी सीमा बड़ी स्पष्ट हो जानी चाहिये जिसके द्वारा कि यह रुपया खर्च होगा। माननीय मंत्री जी हंस रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूं कि जब यह नेचुरल कैलेमिटी का रुपया किसी को दिया जाता है तो मुझको बड़ा कष्ट होता है। पिछले वर्ष अपने जिले की बात मैं जानता हूं। यहां हमारे और दूसरे साथी हैं। अभी तिवारी जी बैठे थे। हजारों परिवार आग लगने से जल गये क्योंकि गंगा के किनारे लोग छप्पर लगाकर बसते हैं। कुल ५ सौ रुपया फेमिन रिलीफ फंड में था। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उससे कुछ लोगों को दस-बीस रुपया सहायता दे दी। उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि आप क्यों नहीं हमको और रुपया दिलवाते हैं। सरकार जिले में इसके लिये पांच सौ रुपया रख देती है और उसके बाद बड़ी उदारता के साथ कभी-कभी

पांच सौ रुपया और दे देती है। एक केस में तो मान्यवर, ऐसा मालूम हुआ कि एक गांव में आग लगी। किसान का सब कुछ जल गया। उसको २० रुपया सहायता मिली। वह मुझसे तहसील कचहरी में मिल गया। मैंने कहा कि कहो कैसे आये हो। उसने बतलाया कि २० रुपया मदद मिली है उसको लेने के लिये आया हूं। उसके बाद जब मैं २२ दिन बाद लखनऊ से गया तो उसी स्थान पर वह फिर मुझे मिल गया। फिर उसने बतलाया कि रोज सुबह आता हूं उसी २० रुपये के लिये और वह आज जाकर मिला है और उसमें से ६ रुपया दफ्तर में खर्च हुआ है। ऐसी बातें हैं। केवल ५०० रुपये बलिया जैसे जिले के लिये नेचुरल कैलेमिटी के लिये एलाट किया जाता है जो बहुत ही कम है। उसके लिये सरकार को और रुपया रखने की जरूरत है। आज जो वहां पर रुपया दिया जाता है वह दान की तरह से दिया जाता है जैसे कोई बड़ा अमीर आदमी कहीं कुआं खुदवा दे और उस पर अपने बाप का नाम लिखवा दे। इसी तरह से यह सरकार करती है। जैसे गंगा के किनारे औरतें नहाने जाती हैं और एक लोटा पानी ले लेती हैं और एक आम का पत्ता उसमें डाल लेती हैं। जहां उनको ऊंचा नीचा दिखाई देता है वहीं पर पानी छिड़कती हुई चली आती हैं। इस प्रकार से देवता की पूजा के लिये वह पानी इस्तेमाल होता है। जो उपहास मात्र है। उसी प्रकार से मैं यह कहूंगा कि यह दरिद्रता का उपहास है और अकाल के नाम पर मदद पाने वाले गरीबों का मजाक होता है और उनकी कोई सहायता नहीं हो पाती है।

मुझे यह कहना है कि इस फंड में ५० लाख रुपया उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के लिये, जिसकी इतनी लम्बी-चौड़ी आबादी हो, उसके लिये नहीं के बराबर है। यदि सचमुच इस मामले में कुछ करना है तो वास्तविकता के आधार पर कुछ किया जाय। यह न हो कि अब एलेक्शन आ रहा है और ६ महीने तक इस चीज का प्रचार किया जाय कि हम फैमिन रिलीफ के लिये इतना काम कर रहे हैं और अब फैमिन रिलीफ के लिये ५० लाख रुपया हर साल खर्च किया जायगा और प्रदेश में प्राकृतिक आपदा समाप्त हो जायगी। मैं समझता हूं कि इस रकम में बहुत तरक्की करने की जरूरत है। जैसा कि हरीसिंह जी ने कहा कि ४,५ करोड़ होना चाहिये और गेंदासिंह जी ने कहा कि २ करोड़ होना चाहिये, वैसी मैं कोई बात नहीं कहता लेकिन इसमें बहुत अधिक रकम बढ़ाने की जरूरत है। इस रकम से प्रदेश का कोई कल्याण होने वाला नहीं है और न अकाल की समस्या को आप हल कर सकते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज के लिये जो यह फंड बनाया है उसके लिये परिभाषा भी करने की जरूरत है कि वे केलेमिटीज क्या हैं और उसमें सहायता देने के पैमाने को भी बदलने की जरूरत है। इसकी भी व्यवस्था होने की जरूरत है कि जिनको आप सहायता करना चाहते हैं उनको सहायता पहुंच सके। साथ ही ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिये कि नेचुरल केलेमिटीज कम आ सकें और उनको रोकने के लिये भी व्यवस्था हो और उन पर ज्यादा खर्च हो। इस प्रकार की उनको सहायता दी जाय कि जिस सहायता के मिलने पर वह समझ सकें कि उसकी सहायता की गई है। इन शब्दों के साथ मैं अवस्थी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जी ने जो फैमिन रिलीफ फंड (संशोधन) विधेयक, १९६१ प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इस विधेयक को पढ़ने पर मैं यह समझ पाया कि अभी तक इसकी धनराशि ५५ लाख रुपये तक रहनी चाहिये थी और इसमें यह भी लिखा है उससे ज्ञात होता है कि इसमें १६ लाख रुपया तक हर वर्ष खर्च किया जाता रहा है। जो खर्च हो गया उसको पूरा करने के लिये दूसरे आर्थिक वर्ष में इसमें से रुपया लेकर उस फंड में जमा किया जायगा। ऐसा लगता है कि इस उत्तर प्रदेश की हालत को देखते हुये वित्तीय आयोग ने जो अपनी सिफारिश की है उसमें उसने यह कहा है कि ५० लाख रुपया इस फंड के लिये अलग रखना चाहिये। अब यह मालूम पड़ता है कि जो कठिनाई पहले थी बिल में उस कठिनाई को दूर करने के लिये यह अधिक धनराशि, ५० लाख रुपये से अधिक की रकम जमा करने की व्यवस्था इसमें की गई है। यह सही है कि हमारे प्रदेश

[श्री उमाशंकर शुक्ल]

में इधर कई वर्षों से नेचुरल केलेमिटीज का बड़ा चर्चा है। बाढ़ आती हैं, सूखा पड़ता है, आग लगती है और जहां तक मैं समझता हूं इसमें इन्हीं दैवी आपदाओं का भी जिक्र किया गया है। इस दैवी आपदा में बाढ़ भी आती है और अकाल भी आता है, आग लगना भी आता है। यह सब नेचुरल कैलेमिटीज में आते हैं। इसमें सहायता देने का प्राविधान भी रहता है। इस चीज को देखते हुये कि आजकल इतनी आपदायें आ रही हैं निश्चय ही यह फंड कम है। फिर भी पहले से यह अच्छा है और मंत्री जी का प्रस्ताव है कि ५० लाख रुपया इसमें प्रत्येक वर्ष जमा करें। इससे काफी राहत लोगों को मिलेगी। जहां तक मेरी जानकारी है बहुत से देशों में लोग सहायता लेना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, पसंद नहीं करते हैं। कितनी ही कठिनाई लोगों को हो वे सहायता लेना पसंद नहीं करते। लेकिन हमारा देश तो इतना गरीब है कि अगर हम दूसरे देशों की तरह शान की बात करें तो हमारा जीना दूभर हो जाय। इन हालात को देखते हुये जो प्राविधान बिल में किया गया है उससे जनता को राहत मिलेगी। यह सही है कि नेचुरल कैलेमिटीज से जो नुकसान होता है उसे आज तक कोई भी सरकार पूरा नहीं कर पायी है और न किसी भी देश में जो नुक्सान होता है उसकी क्षतिपूर्ति करने का प्राविजन है, लेकिन हमारे यहां देश में जब लोग उन कठिनाइयों में फंस जाते हैं तो उनको तत्काल राहत देने के लिये यह व्यवस्था होती है। जो व्यवस्था अब तक थी उसमें कुछ कमी महसूस हो रही थी, हमारे प्रदेश की आबादी भी बढ़ गयी थी, दैवी आपत्तियां भी बढ़ गयी थीं, और उनको देखते हुए जो ५० लाख का प्राविजन मंत्री जी ने किया है उससे जनता को राहत मिलेगी। अच्छा हो कि मंत्री जी इस पर पुनः विचार करें और अपनी परेशानी को देखते हुये यदि कुछ फंड और बढ़ा सकें तो अच्छा है। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि इसे सेलेक्ट कमेटी में क्यों भेजा जाय। यह तो ठीक है कि रकम कम है, इसे और बढ़ाया जाय, लेकिन ऐसे समय में, जब कैलेमिटीज आ रही हैं, इसे जितनी जल्दी पास कर दिया जाय उतना अच्छा है। इसलिये मैं नहीं चाहता कि इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और इस कारण मंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है वह ऐज इट इज पास होना चाहिये।

श्री शिवराम (जिला बिजनौर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० फेमीन रिलीफ फंड (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर जो विपक्ष की तरफ से संशोधन प्रस्तुत हुआ है उसका समर्थन करता हूं। गत वर्ष आपने इस सदन में बाढ़ से ग्रसित क्षेत्रों की एक सूची बांटी थी। इस वर्ष भी गंगा, गोमती, यमुना आदि में पानी बढ़ रहा है, बाढ़ आ रही है। बिजनौर में भी गंगा से १५ गांव एफेक्टेड हैं और उन गांवों की जमीन गंगा में बह गयी है और किसानों को वहां से हटना पड़ गया है। इसमें कोई शक नहीं कि हर जिले में इस प्रकार की सहायता के लिये एक कमेटी बनी हुई है और वह इस प्रकार की आपत्तियां आने पर सहायता कार्य करती हैं लेकिन बहुत बार गांव के गांव जल जाते हैं और वहां के रहने वालों को झोपड़ी के लिये फूस भी नहीं मिल पाता। धनी मानी लोग उनको फूस, लकड़ी आदि देते हैं और तब किसी प्रकार वे अपना काम चलाते हैं। अधिकारियों द्वारा उनको समय पर मदद नहीं मिल पाती। जंगल के किनारे आग लगने पर जंगल विभाग को प्रार्थनापत्र दिया जाता है, लेकिन मदद नहीं मिलती। तो जहां इस प्रकार के क्षेत्र हैं वहां पर सहायता के लिये सरकार को जरूर कुछ करना चाहिये और वहां के लोगों को बहुत जल्दी सहायता मिलनी चाहिये।

रामगंगा के किनारे के जो गांव जटपुरा महावतपुर हैं वहां के करीब १२५ परिवारों की झोपड़ियां नष्ट हो गयीं और क्षण भर में उन लोगों के वस्त्र, खाने पीने की वस्तुएं आदि जल गयीं। जटपुरे के एक सज्जन कलक्टर के पास इस विषय में गये लेकिन कलक्टर वहां देर में गये। इस प्रकार सरकार की तरफ से जो लोग वहां की स्थिति को देखने के लिये जाते हैं वे भी मौके के बाद पहुंचते हैं और जो सहायता दी जाती है वह भी बहुत कम होती है। वहां के

कुछ सभी लोगों ने उनकी सहायता हेतु ५-५ रुपये दिये जिससे उनकी झोपड़ियों में फूस आदि डाला जा सका है और कुछ और सहायता मिली है। लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रबन्ध नहीं हुआ।

सरकार की ओर से जो सहायता मिलती भी है वह समय से नहीं मिलती। एक तो वह पर्याप्त होती है और दूसरे समय से न मिलने के कारण उनको उतना फायदा नहीं पहुंच पाता जितना कि मिलना चाहिये। तराई के भाग में इस प्रकार के गांव हैं जहां पर्वत पर पानी बरसने अथवा पहाड़ आदि टूटने से उन्हें काफी नुकसान पहुंचता है और बहुत से मकान आदि नष्ट हो जाते हैं। कच्ची मिटटी की कच्ची दीवारों के उनके मकान होते हैं और वे जरा सा पानी आ जाने के कारण टूट जाते हैं और बच्चे खाने-पीने तक के लिये तरस जाते हैं। कहीं-कहीं तो पानी इतना भर जाता है कि वहां के लोगों को पार करना तक मुश्किल हो जाता है। इसलिये सरकार को उन लोगों के लिये कुछ प्रबन्ध अवश्य करना चाहिये।

पुलों की दिक्कत भी हमारे सामने है। सरकार की ओर से पुलों के बनवाने की भी उचित व्यवस्था नहीं की जाती है। जो रामगंगा का पुल बना है उसके किनारे के गांव थोड़ा सा पानी बरसने से ही डूब जाते हैं। वहां पर पशुओं तक का रहना मुश्किल हो जाता है।

तो इस तरह की केवल दैविक आपदायें ही नहीं हैं बल्कि हमारे सूबे में १८ लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। पशुओं को चारा तक नहीं मिल पाता है। जो छोटी-छोटी नदियां हैं उनमें तो बाढ़ आती ही है। उससे जो परेशानी होती है वह हम सब जानते हैं, पशुओं का चारा तक नष्ट हो जाता है। ऐसी दशा में सरकार को उचित सहायता पहुंचाने का प्रबन्ध करना चाहिए। जहां जहां भी इस प्रकार के क्षेत्र हैं जो पानी से प्रभावित होते रहते हैं वहां सरकार को सहायता देनी चाहिए और वहां के लोगों को इस तरह की परेशानियों से बचाने के लिए कोई उचित व्यवस्था भी करनी चाहिए।

किन्हीं किन्हीं जिलों में तो ऐसा देखा गया है कि लोग बचने के लिए उस स्थान पर चले जाते हैं जहां ईंट बनने का आंवा ऊंचा टीला सा बना पड़ा रहता है। वह स्थान एक ऊंचा स्थान सा बन जाता है और लोग पानी बरसने के कारण अपनी रक्षा के लिये वहां पर चले जाते हैं और इस तरह अपनी रक्षा करते हैं। लेकिन यह व्यवस्था हर जगह नहीं होती। इसलिए सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वे अपने जान-माल की रक्षा कर सकें। जो गांव नदियों के किनारे पड़ते हैं वहां के लिए तो सरकार को विशेष तौर से कुछ करना चाहिए क्योंकि वे हर साल बाढ़ से प्रभावित होते रहते हैं।

यह जो गंगा का पुल है इसके दोनों तरफ पुश्ते बनाये गये हैं और इनको दोनों तरफ ऊपर बढ़ा दिया गया है। उसके कारण कभी गंगा का रुख मुजफ्फरनगर की तरफ हो जाता है, कभी जिला बिजनौर की तरफ और उस इलाके में पानी ही पानी हो जाता है और कभी दूसरी तरफ उसका बहाव हो जाता है। उस क्षेत्र के लगभग १५ गांव प्रभावित हुए हैं और वे सभी नष्ट हो गये हैं। यदि इस पुल को सौ दो सौ फीट नीचे बढ़ा दिया जाय तो दोनों तरफ के क्षेत्र जो प्रभावित होते हैं वह बच सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार की दैवी आपदायें तो आती ही रहती हैं लेकिन मेरे जिले में इस प्रकार की आपदायें विशेष रूप से प्रस्तुत होती चली आ रही हैं जिससे बेरोजगारी और रिहायशी मकानों की समस्या बढ़ती चली जा रही है। उनको रहने के लिए जमीन तक नहीं मिल रही है। कई जगहों से ऐसी सूचनायें प्राप्त हुई हैं जहां पर हरिजनों और गरीब मजदूरों को घास तक नहीं खोदने दिया जाता है। माता-बहिनों को टट्टी-पेशाब के लिये भी बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। अगर चरवाहे पशुओं को लेकर चराने जाते हैं तो उनको यहां तक मारा गया है कि बेहोश तक हो गये हैं। रेवतीपुर और गाजीपुर से ऐसी घटनाएं प्राप्त हुई हैं। जहां पंचायतों के चुनाव हुए वहां हरिजनों को बाहर निकलने तक नहीं देते। ऐसी दशा में सरकार उनके कष्ट का निवारण करे, यह भी एक आपदा है। मेरठ तथा बिजनौर के एक गांव की घटना है कि वहां भी बाहर नहीं निकलने देते। तो वह लोग भी मुसीबत में हैं, उनके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। जहां पर पुल नहीं हैं और नावें नहीं

[श्री शिवराम]

हैं वहां पर सरकार नावों की व्यवस्था करे और पुल बनवाये। यह ५० लाख रुपये की रकम जो मांगी जा रही है मैं समझता हूं कम है, इसको कम से कम दो चार करोड़ तो होना ही चाहिये तभी सूबे की समस्या हल हो सकेगी। पूर्वी और पश्चिमी इलाके में अक्सर दैवी आपदायें उपस्थित हो जाती हैं जोकि सारे इलाके को तहस-नहस कर देती हैं, कच्चे-पक्के मकान, पशुधन और फसल को क्षति पहुंचती है। इन कारणों से मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हरदेवसिंह (जिला सहारनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो समय दिया उसके लिये मैं आप का आभारी हूं। आज बाढ़ पीड़ितों और अग्नि कांड वगैरह के लिए जो विधेयक लाया गया है वह एक बहुत ही अच्छा विधेयक है। इस सम्बन्ध में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। हमारा जिला सहारनपुर पहाड़ से मिला हुआ है। इस जिले में अक्सर अग्निकांड हुआ करते हैं। इसी साल बहुत से अग्निकांड हुए हैं और पिछले साल हमारे यहां के बहुत से ग्राम बाढ़ पीड़ित हुए, नदियों से गांव घिर गये जिनके नाम मैं लेना चाहता हूं। ग्राम जाटलवाला गांगो नदी से बिलकुल घिर गया है। इसी प्रकार से झुवरहेड़ी ग्राम है। दोनों ग्रामों के लिये बांध की योजना चली लेकिन आजतक वह बांध नहीं बन पाया.....

श्री मोतीलाल अवस्थी—मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। फेमिन रिलीफ फंड के सम्बन्ध में वक्ता महोदय स्थानीय दिक्कतों का हवाला देते हुये जिस प्रकार से भाषण कर रहे हैं उसकी इजाजत यदि आप दे रहे हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारे पक्ष के लोग भी यदि अपने-अपने जिले की दिक्कतों को कहना चाहेंगे तो आप इजाजत दे दीजियेगा .....

श्री उपाध्यक्ष—आप लोग तो बोल चुके हैं, आपको वह बात सूझी नहीं लेकिन उनको सूझ गई। (हंसी)—अभी तो वह थोड़ी-सी भूमिका ही बांध रहे थे।

श्री हरदेवसिंह—भुलानी ग्राम बिलकुल घिर गया। संसारपुर, बुड्ढाखेड़ा, रेंडी ये ग्राम नदी से बिलकुल घिर गये। चमन माजरा पानी से घिर कर बिलकुल बरबाद हो गया। इस चमन माजरे को सरकारी सहायता मिलनी चाहिए। सरकार ने इस ग्राम को दूसरी जगह बसा दिया। हम सरकार के बहुत आभारी हैं कि बाढ़ के जमाने में इन गांवों को सरकारी सहायता मिली लेकिन इनमें सिर्फ़ दो-दो और चार-चार हजार रुपये खर्च हुए जबकि २०, २० और २५, २५ हजार रुपये इनमें लगाने चाहिये थे।

दूसरी बात बाढ़ पीड़ितों की है। चमन माजरा, इन्दरपुर, सैनपुर ऐसे-ऐसे ११ ग्राम हैं जो पानी से बरबाद हुए। श्रीमन्, आप को याद होगा कि पूरब के हमारे भाइयों को, जब पूरब के जिलों में बाढ़ आती है तो उनको बोलने का मौका दिया जाता है और उनको सहायता भी मिलती है, वहां सरकार ने पूरा इन्तजाम उनका किया है, वहां बांध बांधे हैं, नहरें निकाली हैं लेकिन पश्चिमी जिलों में, गंगा यमुना दो नदियां बड़ी हैं जिनके जरिये बहुत सा पानी आता है। मैं अर्ज करूंगा कि हमारे जिले सहारनपुर में गंगा यमुना की बाढ़ बहुत नुकसान होता है। कुछ नदियां ऐसी हैं जैसे हिंडन, कांग्रा और कई सारी नदियां हैं जिनसे हमारा बहुत नुकसान होता है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि हमारे जिले के लिये भी वह सहायता देने की कृपा करें।

हमारी सरकार ने, जब से यह कांग्रेस की सरकार आयी है तब से उसने जो जो काम जनता के हित में किये हैं उनकी जितनी तारीफ़ की जाय थोड़ी है। सरकार ने बड़े-बड़े काम किये हैं। हमारे ही जिले सहारनपुर में सरकार ने जनता के लिए बड़े बड़े काम किये हैं। हम लोग जो ४, ४ मील की दूरी से पानी लाते थे, क्योंकि चार-चार गांवों के अन्दर एक कुंआ होता था, हम लोग पहाड़ों से पानी ला कर गुजर करते थे लेकिन हमारी सरकार ने ढाई लाख रुपये देकर कुएं बनवाये। हम सरकार के आभारी हैं कि हमारी पानी पीने की दिक्कत दूर हो गयी। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो यह अग्निकांड से या बाढ़ से पीड़ित इलाके हैं इनको सहायता करने की कृपा करें। मैं इतना कह कर बैठ जाता हूं।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—श्रीमान् जी, अभी जो प्रस्ताव सदन में उपस्थित है, उसके संबन्ध में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। तीन प्रकार के ताप होते हैं—दैहिक, दैविक और भौतिक। दैविक ताप के लिये तो सरकार ने रिलीफ फंड मुकर्रर कर दिया है कि अगर कहीं पर बहिया आ जाय, सूखा पड़ जाय तो उससे लोगों की मदद की जाय लेकिन जो भौतिक ताप सरकार की तरफ से जनता के ऊपर चल रहा है, कहीं तो पुलिस वाले लूट रहे हैं, कहीं कंट्रोल वाले नाक में दम किये हुये हैं, कहीं प्लानिंग वाले आफत ढाये हुए हैं, इस सम्बन्ध में सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसलिए यह सरकार बिलकुल नाकाबिल है, यह निहायत सही बात है।

मैं अपने जिले की बात बतलाऊं कि मेरे जिले में इस वर्ष दो ढाई सौ गांव जल गये और जल जाने के बाद जब बड़ी ही आवाज उठाई गयी तब डी० सी० ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में यह तय हुआ कि लोगों को जंगल से लकड़ी दी जाय। हमारे वन मन्त्री महोदय भी वहां पहुंचे। जैसा कि चाणक्य ने कहा है कि जो बहुत प्रलापी हो उसे ही वन मंत्री बना देना चाहिये, हमारे शास्त्री जी भी वैसे ही हैं, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। जब वन मन्त्री महोदय के पास दरख्वास्तें पर दरख्वास्तें दी गईं तब उन्होंने बड़ी मेहरबानी कर के २५ नये पैसे में एक साख का कोरो देने की बात तय कर दी लेकिन एक भी कोरो किसी को नहीं मिला। वह भी लकड़ी कहां मिलेगी कि भीरा के जंगल में, जब कि वे रहने वाले लखीमपुर के हैं। भला बतलाइये कि कौन किसान ऐसा है जो ३५–४० मील कच्चे रास्ते पर अपने बैलों को लेकर लकड़ी लाने के लिए जायगा, क्योंकि बैल रास्ते में ही समाप्त हो जायेंगे। फिर बतलाइये, कहां तहसील मुहम्मदी और कहां रहटा का जंगल, जो ११०–११५ मील दूर है, वहां कौन लकड़ी लेने के लिए जायगा? अतः लकड़ी किसी को नहीं मिली। सरकार को चाहिये कि वह यह खिलवाड़ बन्द कर दे क्योंकि यह सरकार निकम्मी है और लाभप्रद कोई काम नहीं कर रही है। उसके नौकर खाऊ कमाऊ हैं। जो कुछ भी सहायता बहिया, सूखा के लिये किसानों को मिलती है वह पटवारी के लिखने पर मिलती है और पटवारी उसी का लिखता है जो उसे रिश्वत देता है। पटवारी गिरदावर को रिश्वत देता है और गिरदावर तहसीलदार को रिश्वत देता है और तहसीलदार डी० एम० को देता है। इसी तरह से थानेदार कप्तान को रिश्वत देता है और कप्तान आई० जी० को रिश्वत देता है। आप सहायता के लिये ५० लाख या १०० लाख जितना भी रुपया रख दें लेकिन वह सब व्यर्थ है, फिर भी हम सोचते हैं कि हजारों में दो चार किसानों को भी कुछ मदद मिल जायेगी, जिनको वास्तविक रूप से जरूरत है। लेकिन उनको सहायता मिलने में बहुत सी कठिनाइयां हैं और होती रहेंगी।

बैलों की तकावी के लिये दरख्वास्त पर दरख्वास्त देते जाइये लेकिन सरकार कहती है कि रुपया नहीं आया, और जब रुपया आता है तब वहां के लोग जब एक चौथाई डकार लेते हैं तब कहीं जा कर रुपया मिलता है। फिर क्या है, बोलो भारत माता की जय। तो जैसा कि मैंने कहा—दैविक ताप के लिये तो आपने कुछ रुपया रखा है लेकिन भौतिक ताप को रोकने के लिये आप के पास कोई उपाय नहीं है, इसमें कोई झूठी बात नहीं है।

हमारे जिले में भी लाखों शरणार्थी आये हुए हैं। उधर तो तिब्बत से आते हैं, नैपाल से आते हैं, उधर पूरब से गोरखपुर वाले आते हैं जो अपनी छोटी-छोटी झोपड़ी बना कर उनमें रहते हैं। अगर कहीं उनमें आग लग जाती है तो साल-दो साल की कमाई उनकी दो मिनट के अन्दर ही समाप्त हो जाती है तथा उनके कपड़े आदि भी सब समाप्त हो जाते हैं। उनकी मदद की बात जब सरकार से कही जाती है तो वह डी० एम० से मिलने के लिए कहती है, डी० एम० प्लानिंग डिपार्टमेंट वालों के पास जाने को कहते हैं और प्लानिंग वाले ग्राम सेवक या ग्राम सेक्रेटरी के पास जाने को कहते हैं। जब तक ग्राम सेवक या ग्राम सेक्रेटरी रिपोर्ट नहीं देगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है, इसमें ६ महीने लग जाते हैं। करीब एक हजार दरख्वास्तें हमने सरकार आलिया की खिदमत में भेजी हैं कि किन-किन जगहों पर पानी के नल लगाने की जरूरत है

[श्री बंशीधर शुक्ल]

लेकिन आज तक कहीं भी कोई नल नहीं लग सका है। हमारे यहां चार पांच सौ बड़े-बड़े मौजे ऐसे हैं जहां पीने के लिये पानी का कोई इन्तजाम नहीं है, कहीं ताल आदि से वे पानी का इन्तजाम करते हैं। इस प्रकार की तो यह अंधी सरकार है जिससे देश का काम नहीं चल सकता है। अतः उसको शीघ्र हट जाना चाहिए और मैं कहता हूं कि इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिये और कहना चाहिये कि हमारे बश की बात नहीं है। इस प्रकार का सरकारी नौकरों पर कोई कंट्रोल नहीं है, वह उनको सावधान नहीं कर सकती है। जो सहायता मिलती है वह सरकारी नौकरों को ही मिलती है या उनको रिश्वत देने से मिलती है, जो आदमी चापलूसी कर लेते हैं उन्हीं को सहायता मिलती है और जिसको वास्तविक सहायता मिलनी चाहिये उस को नहीं मिलती। मैं सरकार से कहूंगा कि यह जो धनराशि उस ने रखी है वह बहुत कम है, यह हमारी और सभी विरोधियों की राय में कम है। सरकारी पार्टी भले ही कहे कि वह ज्यादा है लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि ज्यादा किसे कहा जाता है, वह तो सरकार की तारीफ ही करना जानते हैं। इसलिए इस रकम को बढ़ा कर वास्तविक सहायता उन्हीं को दी जाय जिनको कि देना चाहिये। सरकार अपने सदस्यों के द्वारा वास्तविकता का पता लगा सकती है। चुनाव का समय आ रहा है, बहुत से सदस्य कहेंगे कि ऐसे आदमियों को सहायता दिलाई जाय जिससे चुनाव में मदद मिले, लेकिन फिर भी वास्तविकता का पता उन्हीं से ठीक चलेगा, सरकारी नौकरों द्वारा उस वास्तविकता का पता नहीं लगाया जा सकता। इसलिए यह रकम बढ़ाई जाय और जिनको वास्तव में मदद की जरूरत है केवल उन्हीं को इससे मदद दी जाय। यह जो रेल की लाइन होती है उसके किनारे इंजन की आग से किनारे के गांव के तमाम खलियान खेत और ईख जल जाया करती है लेकिन उसका कोई उपाय सरकार के घर में नहीं है। नदी के किनारे पर जमीन इस काबिल नहीं होती कि दीवार बनाई जाय, जो बनती है वह बहिया में गिर जाती है। लोगों की ३-३ साल से टीन की दरख्वास्तें पड़ी हैं लेकिन उनको टीन नहीं मिलती, लोग बीस-बीस बार टक्कर मार कर चले आते हैं लेकिन सप्लाई आफिसर के यहां से केवल अपने दलालों को ही परमिट मिलते हैं जो ब्लैक में बेचते हैं। इसके बारे में डी० सी० से कहा लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अब तो ईंट पर भी कंट्रोल कर दिया गया है। मैं चाहता हूं कि बाढ़ के इलाके में लोगों को लकड़ी, टीन, सीमेंट और ईंट वगैरह मुफ्त में दी जाय और इस धनराशि को बढ़ा कर २ करोड़ कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—अब श्री भजन लाल का भाषण होगा, लेकिन वह ७ मिनट में समाप्त कर दें क्योंकि समय कम है, अभी अवस्थी जी और मंत्री जी को बोलना है, ४ बजे यह समाप्त होना है।

***श्री भजनलाल** (जिला इटावा)—श्रीमन्, माननीय मोतीलाल जी ने जो संशोधन पेश किया है कि यह विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, मैं उसका समर्थन करता हूं। इसकी आवश्यकता इसलिए है कि यह ५० लाख रुपये का जो फंड सरकार ने नियत किया है, वह आज की परिस्थिति को देखते हुए बहुत कम है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब ३ वर्ष से लगातार सारे देश में और इस प्रदेश में भयंकर बाढ़ें आईं और उनसे जो क्षति पहुंची है यदि सरकार ने उसका अन्दाजा लगाया होता तो वह इतनी कम रकम न रखती। पिछले साल ही भयंकर बाढ़ से यह लखनऊ जिला बरबाद हुआ और कई जिले इस सूबे के प्रभावित हुए। इटावे को ८ लाख रुपया सहायता और तकावी के रूप में दिया गया, लेकिन फिर भी वह नहीं के बराबर था। सेंगर और सरसों नदी के कारण हर साल इतनी बाढ़ आती है जो लोगों की बरदाश्त के बाहर हो जाती है। आज हमारे उधर के एक पूर्व वक्ता ने कहा कि क्या कोई देश ऐसा भी है जो सहायता मांगना शर्म की बात समझता है? मैं कहूंगा कि हमारा देश और यह प्रदेश ऐसा है जहां पर १४ करोड़ हाथ बेकार बैठे हैं, जिनकी रोजी का कोई जरिया नहीं है, फुटपाथ पर नंगे पड़े हुये लोग सर्दी में ठिठुरते हैं और नदियों के किनारे सोते और पड़े रहते हैं। इस मुल्क

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिए अगर यह कहा जाय कि शर्म की बात है तो मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि पहले अपने देश और प्रदेश को बाहर के मुल्कों के बराबर आर्थिक स्तर पर ले आवें तब आप की वह बात अनुकूल होगी। आज जो यह फंड में रुपया दिया गया है वह इसलिए नहीं के बराबर है कि मैं देख रहा हूं लगातार ३ वर्ष से भयंकर बाढ़ से उत्तर प्रदेश तबाही के रास्ते पर पहुंच चुका है। पिछले साल, मेरा अन्दाजा है, दो करोड़ से ज्यादा सहायता दी गयी है। लेकिन जो सहायता दी गई है वह नहीं के बराबर है। १ रुपये, २ रुपये और पांच-पांच रुपये के अनुदान दिये गये हैं जोकि एक परिवार के लिये २–४ दिन के लिये भी नाकाफी हैं। तो बाढ़ और अग्नि के प्रकोप को देखते हुये यह धन बहुत कम है। अग्नि से भी बड़ी तबाही हो रही है। सोनासी गांव और जगतपुर गांव औरैया तहसील में तीन-चार वर्ष पूर्व जलकर स्वाहा हो गये। सरकार की तरफ से बड़ा ढोल बजाया गया कि सहायता देंगे। लेकिन एक कुआं भी नहीं बना ताकि पानी निकाल कर आग बुझा सकें।

भगवान न करे कि सूखे का प्रकोप हो। लेकिन मुझे आज पता चला है कि उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों में बारिश हुई है परन्तु बांदा जिले में नहीं हुई है। अगर सूखे का प्रकोप हो जाय और उसे अकाल क्षत्र घोषित कर दिया जाय तो क्या होगा? इन तमाम बातों को देखते हुए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि यह जो ५०–५५ लाख रुपया है वह नहीं के बराबर है। इसे कम से कम २ करोड़ होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अवस्थी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष––माननीय राजनारायण जी, मोतीलाल जी ने स्वीकार कर लिया है कि वे आप को ५ मिनट दे देंगे, आप ५ मिनट बोल लीजिये।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)––श्रीमन्, मैं निश्चित रूप से, जो प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम करने के लिये प्रयोजन किये जायं उनका स्वागत करता हूं, और अपने प्रदेश में जब-जब आपदाएं आई हैं, तब तब उनका सामना करने के लिये हर समय हमने कोशिश की है और हर संभव सुझाव सोशलिस्ट पार्टी ने हर अवसर पर दिया है। हम यह देख रहे हैं कि बार-बार हम लोगों के सुझाव देने के बावजूद भी, सरकार इतनी अवधि व्यतीत करने के बाद जो विधेयक यहां लाई है वह विधेयक कुछ इस प्रकार से बंधा हुआ है और ऐसा उलझा हुआ है जिससे हमें ऐसा लगता है कि उन आपदाओं का निराकरण तो हो नहीं पायेगा बल्कि उसकी जगह पर कुछ ऐसी सीमा बंध जायगी कि अक्सर सरकार एक बहाना लेती रहेगी कि हमको तो एक कमेटी ने या प्लानिंग कमीशन ने या किसी एडवाइजरी कमेटी ने एक रिपोर्ट दी कि ५० लाख, ३० लाख या २० लाख रुपया रख दिया जाय, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह ५० लाख की रकम हर साल किसी खाते में छोड़कर यह सरकार अपने कर्त्तव्य की पूर्ति न समझ ले। आपदायें बढ़ती जाती हैं और श्रीमान् आपको समाचार के द्वारा मालूम हुआ होगा कि जहां पहले बाढ़ नहीं आती थी अब वहां भी आ रही है। आप देखें, पूना बह गया। एक अजीब और आश्चर्यजनक स्थिति है। उस समय हम हैदराबाद में थे। एकदम से जनता मुसीबत में पड़ गई। अब जो अनियोजित ढंग पर सरकार की योजनायें चल रही हैं उनको भी जरा क्रमबद्ध रूप में सरकार को लाना पड़ेगा और तब सरकार को कोई ऐसी स्थिति पैदा करनी पड़ेगी कि अगर अधिक से अधिक द्रव्य भी देने की जरूरत पड़े तो वह दे।

५० लाख रुपया हर साल सरकार इस खाते में जमा करेगी, यह इस विधेयक में है। और जैसा रपट में है, हर सूबे के लिये जो वित्त आयोग ने अपना सुझाव दिया है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार अपने प्रदेश की ऐसी सारी स्थितियों की जानकारी करके इस ५० लाख रुपये को रखे है या केवल इस रपट को देख कर विधेयक के रूप में स्वरूप प्रदान कर दिया गया है? हमें इतना ही कहना है कि रुपया बढ़ना चाहिये। केवल ५० लाख रुपये एक खाते

[श्री राजनारायण]

में रख देने से ही आपदायें नहीं घटेंगी। हमारे प्रदेश की जनता बाढ़, सूखे से त्रस्त है। उसको एक दैवी आपदा ही कह करके हमको अपने में संतोष नहीं लाना है। हमें तो आज दैवी आपदा शब्द पर ही आपत्ति हो रही है। मान लिया जाय कहीं बांध टूट जाय या जैसे अभी राप्ती का पुल टुट गया १४ तारीख को ठीक १० बजे। उस समय न तो कोई बूड़ा थी, न बाढ़ थी, न हवा थी, न तूफान था। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार अपने कृत्यों और कुकर्मों के द्वारा जो आज जनता पर आपदा ला रही है उसके लिये भी कोई व्यवस्था होगी, कोई रोकथाम होगी? उसकी भी रोकथाम होनी चाहिये और इस रकम को बढ़ा करके अगर सरकार के द्वारा किये गये कुकर्मों पर मुसीबत आती है, जन जीवन दूभर होता है, कठिनाई बढ़ती है, तो इसके लिये भी कोई एक ऐसा खाता खोले जिससे जनता के जीवन की सुरक्षा कर पाये। अतः ५० लाख की सीमा अन्तिम सीमा नहीं होनी चाहिये। अतः ५० लाख और ९५ लाख मिलाकर १४५ लाख भी अन्तिम सीमा नहीं होनी चाहिये।

सोशलिस्ट पार्टी ने इसी सदन में सुझाव दिया था कि अगर बाढ़ या सूखा से फसल बरबाद हो गई तो चाहे, २, ३, ४, ५ करोड़ रुपया भी लगे तब भी उन लोगों के लिये मुफ्त रोटी की व्यवस्था होनी चाहिये जिन लोगों के घर में खाने के लिये अन्न नहीं है। तो कोई सीमा नहीं होनी चाहिये। हम चाहते थे सरकार इस रूप में आती कि ऐसे लोग जो दैवी आपदाओं के कारण या सरकार के किंकर्तव्य विमूढ़ता के फलस्वरूप अकाल काल में जा रहे हैं, उनके लिये मुफ्त रोटी की व्यवस्था हो। उस व्यवस्था में जो भी रकम लगे उसको सदन देगा और मैं चाहता हूं कि सरकार इस सुझाव को कहीं इस विधेयक के अन्दर समाविष्ट कर ले।

*श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, मैं थोड़ी ही बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा। जो उद्देश्य और कारण में बताया गया है कि वित्त आयोग ने अपने पैराग्राफ १८४ में इसकी सिफारिश की, उसको अगर देखा जाय, तो वह १९५७ की रिपोर्ट है, उसमें लिखा है :---

"The annual amounts, based roughly on the average annual expenditure over the last decade, which we have allowed for the individual States are"

यानी पिछले १० सालों में जो एक्सपेंडिचर हुये हैं उस पर अलाटमेंट है। सन् १९४७ से १९५७ का उन्होंने एक रफ एस्टीमेट किया है उसी के मुताबिक एलाटमेंट हुआ है। लेकिन आप देखें १९४७-५७ तक और उसके बाद १९६१ में हमारे प्रान्त में आपदायें बढ़ी ही हैं। तब की आपदाओं में और १९६१ की आपदाओं में अन्तर बढ़ा ही है, जब कि कमीशन ने जो एलाटमेंट किया है वह १९४७ की स्थिति को देखकर किया है। लेकिन यदि हम प्रान्तों का ही आपस में मुकाबला करें तो अपने उत्तर प्रदेश से करीब २२ करोड़ रुपया लगान का ही सरकार वसूल करती है और बिहार जिसको १०० लाख रुपया दिया गया है और वेस्ट बंगाल जिसको ८० लाख रुपया दिया गया है, इन दोनों ही प्रदेशों के लगान की वसूलयाबी २२ करोड़ से कहीं कम है, बल्कि आधी ही हो सकती है। इसलिये जब हम अपने प्रदेश में उन प्रदेशों के मुकाबले में दुगुना लगान किसानों से वसूल करते हैं तो हमें केवल ५० लाख रुपये ही दैवी आपदाओं पर खर्च करने को मिले जबकि बिहार में १०० लाख और आन्ध्र में ८० लाख मिले, यह अनुचित है। तो यह फाइनेन्स कमीशन का एस्टीमेशन पुराना है, आज हमारे प्रदेश में स्थितियाँ तब से भिन्न हैं। दूसरी बात यह है कि इस प्रदेश के किसानों से जो औसत आमदनी सरकार लेती है उसी अनुपात से सरकार को उसे सहायता देने के लिये भी तैयार रहना चाहिये।

---

*अध्यक्ष ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आखिर यह फेमिन रिलीफ फंड का मकसद क्या है ? इसमें यह है कि—

"The U. P. Famine Relief Fund was established for the purpose of utilization on occasion of serious famine and distress of a serious nature arising from drought, flood or other natural calamities."

तो ये नेचुरल कालामिटीज हैं जिनमें सूखा, बाढ़ और दूसरी दैवी आपदायें भी शामिल हैं। इन सब को मिला कर फेमिन रिलीफ माना जाता है। जैसा कि हमसे पहले बहुत से भाइयों ने कहा कि पिछले कई साल से बराबर नेचुरल कालामिटीज हमारे प्रदेश में आती रही हैं और पिछले साल शाहजहांपुर में इतनी जबरदस्त आग लगी कि उसमें सौ आदमियों से भी ज्यादा मृत्युएं हुईं। तो ऐसी हालत में ५० लाख की यह रकम जो बहुत पुराने नियमों से चली आ रही है बिलकुल नाकाफी है। इसलिये सरकार को चाहिये कि इस रकम को आगे बढ़ाने के लिये कदम उठाये और वह कदम तभी उठा सकती है जबकि प्रवर समिति में यह बिल जाय।

श्रीमन्, आज के विवाद में श्री नारायणदत्त तिवारी ने भी भाग लिया जो कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने एकाउन्टिंग सिस्टम के बारे में सरकार से आग्रह किया कि वह इस सिस्टम में किसी प्रकार से हेरफेर करे। मैं उनकी बात को वजन देता हूं। और मैं ही नहीं, बल्कि जो हाउस में प्रेस बैठता है वह भी वजन देता है। मैं यह देखता हूं कि इस वक्त प्रेस यहां नहीं है। वे आये भी थे तो नारायणदत्त जी से ही बात कर के चले गये। हम लोगों की बात को तो वे कोई वजन ही नहीं देते, सिर्फ यही लिख देते हैं कि "दे आलसो स्पोक"। बड़ी गनीमत है जो आपकी रूलिंग की वजह से वे हमारा नाम दे देते हैं, नहीं तो वे इतनी घृणा करते हैं कि हमारी शक्लें भी देखना नहीं चाहते। यह तो हमारे प्रेस की हालत है। उसको हम और क्या कहें कि यह कितनी विदेशी बन चुकी है....

श्री उपाध्यक्ष—आप विधेयक पर ही बोलिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं उसी पर आ रहा हूं। तो श्री नारायणदत्त जी की ही बात को वे वजन देना चाहते हैं। अगर बिग इंडिविजूअल्स को ही देखा जाय और हमारे वित्त मंत्री जी भी उन्हीं की बात को वजन देते हैं तो ठीक है, उन्हीं की बात मान लें, हम लोगों की बात तो आप मानते ही नहीं हैं।

श्री हरगोविन्दसिंह—श्रीमन्, मैं इस भवन का बड़ा आभारी हूं, इसलिये कि चाहे यह छोटा-सा विधेयक संतोषजनक न हो लेकिन फिर भी प्रायः सभी सदस्यों ने इसका स्वागत किया। जो वाद-विवाद हुआ उससे मेरे ऊपर यह असर पड़ा कि मैं यह कह सकूं कि इसमें बहुत-सी बातें जो कही गयीं वे असंगत तो थी ही, लेकिन अगर उसमें संदेह भी हो तो यह तो निश्चय ही है कि उसमें विषयान्तर बहुत हुआ। आखिर यह विधेयक है क्या ? क्या इस विधेयक का अर्थ यह है कि सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि इस फंड में ५० लाख रुपया सालाना देने के बाद यदि अधिक की आवश्यकता हुई तो वह नहीं देगी ? क्या पहले ऐसा ही हुआ था ? यह विधेयक १९३६ में पास हुआ था। उसमें केवल इस बात का इन्तजाम किया गया था कि ५५ लाख रुपये की एक धनराशि इस खाते में रख दी जाय और इस बात का प्रबन्ध नहीं था कि प्रत्येक वर्ष इस खाते में कुछ डाला जाय। किस प्रकार से इस फंड का प्रयोग होता था यह भी देखने की बात है। उस समय यों तो उस ऐक्ट के बमूजिब ५५ लाख रुपये जमा होने थे लेकिन जहां तक मैं उस समय के कागजात को देख सका उनसे मुझे ऐसा मालूम हुआ कि साढ़े तिरपन लाख रुपये से अधिक जमा नहीं हुये और इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह रुपया जिसका एक लाख ७० हजार रुपया सूद होता है, सालाना इससे कभी अधिक खर्च नहीं किये जायेंगे यानी एक लाख ७० हजार रुपया इस संबंध में इस कार्य के लिये खर्च होता रहा।

खैर, जैसा कि माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि वह ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और उसको हमारी परवाह नहीं थी कि हमें कितना दुख होता है। वह एक लाख ७० हजार रुपया खर्च करके

[श्री हरगोविन्दसिंह]

संतोष कर लेती थी। लेकिन जब यह सरकार आई तो इस नीति का यह अनुकरण नहीं कर सकती थी। लिहाजा बावजूद इसके कि कोई ऐक्ट नहीं था, कोई कानून नहीं था और जैसा कि नारायण दत्त जी ने कहा कि कभी-कभी ऐसी अवस्था आ जाती थी कि वह ५५ लाख रुपया इस धनराशि में होता था। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं और मैं समझता हूं कि हमारे विपक्षी भी इस बात को मानेंगे कि जब कभी दैवी विपत्ति आई तो जितना संभव हो सकता था वह किया गया। करोड़ों रुपये तक खर्च किये गये। अभी हाल में उन्होंने आंकड़े पढ़कर सुनाये थे जिसमें उन्होंने कहा था कि एक करोड़ से भी ज्यादा रुपया खर्च किया गया और अब भी मैं समझता हूं कि इसमें यह कहीं प्रतिबन्ध नहीं है कि यह ५० लाख रुपये की ही धनराशि जमा की जायगी और इसके अतिरिक्त कोई खर्चा नहीं किया जायगा। इसका मूल तो यह है कि जब हमारे ऊपर कोई दैवी विपत्ति आये तो उस समय के लिये एक धनराशि चाहे वह ५० लाख रुपये की ही क्यों न हो, चाहे एक करोड़ की हो, इतना रुपया तत्काल सहायता पहुंचाने के लिये उपलब्ध होता है, इसका मंशा तो यह है। लेकिन यह पढ़ लेना कि ५० लाख रुपया देने के बाद सरकार अपनी जिम्मेदारी से अपने को मुक्त समझेगी, मैं समझता हूं कि यह बिलकुल निर्मूल है। जिस समय फाइनेन्स कमीशन ने धनराशि मुकर्रर की थी तो उसने ५–७ वर्ष का एवरेज निकाला था। वह ५२ लाख रुपया आया था कि इतना रुपया प्रति वर्ष खर्च करना पड़ा है। इसलिये उन्होंने यह रखा कि यह अच्छा होगा कि आप हर साल ५० लाख रुपया इस मद में रख दीजिये, यह इसमें पड़ी रहे और जब आपको जरूरत हो, आपको उपलब्ध हो जाय। ऐसा न हो कि आपको अपने और कामों में कटौती करनी पड़े और आपके विकास कार्यों में कोई अड़चन पड़े। यह धनराशि आपको उपलब्ध होगी और उसको ले कर खर्च कर सकते हैं। मैं यह मानता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं, मुझे मानने में कोई शर्म भी नहीं, दुख जरूर है कि हमारे यहां आज कल कुछ वर्षों से आपत्तियों का तांता अधिक हो गया है। वह अधिक भीषणता से भी आती है। उस कारण हमारी समस्यायें बहुत बढ़ जाती हैं। अगर हम उसमें अधिक रख भी दें तो उससे उन आपत्तियों की भीषणता में कमी नहीं होती। देखना तो केवल यह है कि हम उसका मुकाबला करने के लिये तत्पर हैं या नहीं। इससे इस बात का सबूत तो हो ही जाता है कि सरकार इन आपत्तियों का तत्काल मुकाबला करने के लिये अपने को उद्यत रखती है और जो सहायता वह दे सकती है देती है।

५० लाख रुपया यह है। इस ऐक्ट में यह भी है कि सरकार उसमें जितना चाहे समय समय पर बढ़ा सकती है—"Such other sums as the local govt. may from time to time, contribute to the fund"। हमारे लिये कहीं यह प्रतिबन्ध नहीं है कि हम इससे ज्यादा उसमें नहीं रख सकते।

आप जानते हैं कि इस समय हमारे प्रांत में विकास का कार्य हो रहा है, उसमें अधिक धन की आवश्यकता होती है। यह हमारे लिये या इस भवन के लिये उचित नहीं होगा कि हम एक बड़ी भारी धनराशि इस कार्य के लिये बांध दें जो हमको उपलब्ध न हो। यह तो दूसरी बात है कि जब आपत्ति आ जाती है तो उसका प्रबन्ध करना ही पड़ता है। पिछले वर्षों में सरकार ने उसका प्रबन्ध किया। वह उतना उपयुक्त था या नहीं, उससे अधिक होना चाहिये था, इस पर दो रायें हो सकती हैं लेकिन यह कि सरकार ने अपने को उस ५५ लाख की धनराशि के अन्दर ही सीमित रखा, उससे आगे बढ़ कर सरकार ने सहायता नहीं की, ऐसी बात तो हुई नहीं। इसलिये इस बात पर क्यों इतना जोर है कि वह ५० लाख की धनराशि बढ़ायी जाय? उसको बढ़ाने से केवल एक ही लाभ हो सकता है कि आप अपने और विकास के कार्यों में कटौती करें और उसमें इतना रुपया ले जाकर बांध दें जो और कार्यों के लिये उपलब्ध नहीं होगा। ईश्वर और प्रकृति की कृपा भी हो सकती है कभी हम इन आपत्तियों से मुक्त भी हो जायं। तो अगर २ करोड़ रुपये हर साल एक ऐक्ट के जरिये रख दिये जायं और ईश्वर करे कोई आपत्ति न आये तो दो करोड़ रुपये हम किसी अन्य कार्य में नहीं लगा सकते। यह कहा गया कि आप लगा

सकते हैं। इस ऐक्ट में प्राविजन है। लेकिन उस प्राविजन को पढ़ा जाय, यह हमारे लिये सम्भव नहीं है। इसमें दिया हुआ है :—'May use the excess to meet expenditure on prospective irrigation work & other works for the prevention of famine.' आप जानते ही हैं कि एक फ्लड कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है। उसके पास काफी रुपये की धनराशि है जिससे वह इस बात का प्रबन्ध कर रहा है कि यह जो बाढ़ की वजह से समय-समय पर हमारे प्रान्त की क्षति हुआ करती है, उसको किसी तरह से रोका जाय। उसमें कार्य हो रहा है। यह दो करोड़ रुपया यदि हमें उपलब्ध भी हो तो हम इसी कार्य में लगा सकते हैं, जिसके लिये कि एक अलग व्यवस्था की गई है और जिसमें कार्य हो रहा है। इसलिये यह दलील कि वह २ करोड़ रुपया आपको उपलब्ध होगा, आप और कार्यों में उसे लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, और यह तो मैं समझता हूं कि हमारे लिये बड़ी गलत बात होगी कि हमारे पास जो रुपया है हम उसको एक जगह रख दें और यह कह दें कि हम इस रुपये को किसी काम में नहीं लगायेंगे। जब हमारे प्रान्त में यह दैवी आपत्तियां आयेंगी, तभी हम उसको इस्तेमाल करेंगे। यह कोई ठीक एकोनामी नहीं होगी और मैं समझता हूं कि कोई दूरदर्शिता भी नहीं होगी। इसलिये यदि भवन की यह मंशा है और यह धारणा है तो मैं उसका आदर करता हूं कि आपत्तियों के समय साधनों की कमी के कारण कहीं ऐसा न हो कि हम उन लोगों को तत्काल सहायता न पहुंचा सकें, जब कि भवन यह चाहता है कि उनको तत्काल सहायता पहुंचे। तो मैं आपसे यह कहता हूं कि इसका काफी प्रबंध हमेशा रहा है, और आइन्दा भी रहेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन मैं यह जरूर समझता हूं कि आपके इस विकास कार्य के लिये यह एक क्षतिग्रस्त बात होगी यदि आप अपनी एक बड़ी धनराशि को इसके लिये बांध दें कि आप इसी काम में उसको खर्च करेंगे। अभी तक जो उसमें एक ऐब था जैसा मैंने कहा—उसमें कोई यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर नहीं थी कि वह हर साल उसमें कुछ धनराशि जमा किया करे। नारायणदत्त जी ने स्वयं स्वीकार किया कि एक समय ऐसा भी था जब कि उसमें धन तो नहीं था बल्कि उसमें २३ हजार की कमी भी थी। तो एक ऐसी अवस्था भी थी। अभी तक जो ऐक्ट था उसमें यह कोई जिम्मेदारी नहीं थी लेकिन अब जो ऐक्ट आप बनाने जा रहे हैं और जो इस भवन के सामने प्रस्तुत है, उसमें यह है कि सरकार ५० लाख रुपया अवश्य प्रति वर्ष इसमें जमा करती रहेगी, मैं समझता हूं कि दूरदर्शिता इसी में होगी, अक्लमन्दी भी इसी में होगी कि हम उसमें इतनी कम धनराशि रखें कि जिसमें हमारे और कामों को क्षति न पहुंचे।

जब कोई आपत्ति आयेगी तो जैसा मैंने कहा कि न इस ऐक्ट में है और न सरकार ने कभी किया है, न वह करना चाहती है और न भविष्य में कभी करेगी कि आपत्ति के समय सरकार यह कहेगी कि ५० लाख रुपये से अधिक इसमें खर्च नहीं हो सका। वह तो इस बात पर मुनहसिर होगा कि कितनी क्षति हुई है, कितने लोग उससे ग्रसित हैं, इससे उसका निर्णय होगा और हमेशा होता रहा है और फिर ऐसे ही होगा।

मैं यह समझता हूं कि यह कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको सोचने के लिये एक प्रवर समिति के पास इसका जाना आवश्यक हो। जितनी बातें हैं साफ हैं। आपसे कोई बात छिपायी नहीं गयी है। छिपाने का कोई प्रयोजन भी नहीं है। लेकिन सिर्फ इसलिये यही सोचकर कि समय-समय पर कुछ थोड़े दिनों से यह एक सालाना सी बात हो गई है कि यहां कुछ आपत्तियां आती रहती हैं, इसलिये जहां एक पैसा भी उसमें नहीं जाता था, केवल ५५ लाख रुपया था वहां ५० लाख सालाना हम उसमें और जमा करेंगे। मैं समझता हूं कि यह आज की स्थिति में जो आज के पहले की हमारी स्थिति थी उससे कहीं आगे हम बढ़ रहे हैं। उसमें कोई असंतोष की बात नहीं होनी चाहिये। हां, यह हो सकता है कि हमारे यहां एक ही आदमी सुकर्मी पैदा हुआ है और वह शायद राजनारायण सिंह जी हैं, और तो शायद सब कुकर्मी है। इसलिये हमारे कुकर्मों से ही यह होता है। लेकिन मैं तो यह समझता हूं कि उसका केवल एक ही निराकरण है कि ईश्वर आपको जल्दी सद्बुद्धि दे दे।

[श्री हरगोविन्दसिंह]

इन शब्दों के साथ में इस बात का विरोध करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सम्मुख भेजा जाय। मैं यह समझता हूं कि यह एक आगे का कदम है और इस भवन का समर्थन इसको हर सूरत में प्राप्त होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चय करता है कि यू० पी० फैमिन रिलीफ फंड (संशोधन) विधेयक, १९६१ को एक प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन १ माह में प्रस्तुत करे। समिति को विधेयक की परिधि भी विस्तृत करने की शक्ति हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश फेमिन रिलीफ फंड (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—मेरे पास चार संशोधन आये हैं। उनमें एक में कहा गया है कि ५० लाख से २ करोड़ कर दिया जाय और एक में कहा गया है कि ५० लाख से ५५ लाख कर दिया जाय। संविधान की धारा १९९ तथा २०७ के अनुसार इन संशोधनों के लिये आवश्यक था कि राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। मैंने अपने सचिवालय को आदेश दिया कि उनकी स्वीकृति प्राप्त की जाय। माननीय राज्यपाल यहां पर नहीं हैं और ४ तारीख को बाहर से आयेंगे। यह भी कहा गया कि उनसे टेलीफोन पर सम्पर्क स्थापित किया जाय लेकिन वह सफर में थे, वह भी सम्भव नहीं हो सका। ऐसी परिस्थिति में मैं इन संशोधनों की इजाजत नहीं दूंगा क्योंकि यह विधेयक ४ बजे तक पास करना है।

श्री गेंदासिंह—आपकी व्यवस्था तो ठीक है। लेकिन एक मिनट यदि आप मुझे सुन लें तो मैं भी कुछ कह दूं। सी सदन का एक उदाहरण है। इसी सदन में पंचायत राज ऐक्ट में संशोधन हो रहा था और उस संशोधन बिल में यह संशोधन करने का प्रस्ताव था कि ग्राम पंचायतों को मालगुजारी की रकम में से कुछ अंश दिया जाय १५ या २० फीसदी, तो उसके लिये ठीक यही आपत्ति आई। श्रीमन्, आप प्रोसीडिंग देखेंगे तो मालूम होगा कि उस जमाने में गवर्नर महोदय नैनीताल में रह रहे थे तो उनकी स्वीकृति के लिये वह अंश मुल्तवी कर दिया गया था और गवर्नर साहब की स्वीकृति माननीय स्पीकर साहब ने हमारी तकलीफ दूर करने के लिये स्वतः ली और फिर उस संशोधन के ऊपर विचार हुआ। मैं अब यह कहना चाहता हूं कि ५० लाख रुपये की जगह हम २ करोड़ करना चाहते हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—आपके विचार माननीय मंत्री जी ने सुन लिये हैं। अगर वे इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर भी इसका वही नतीजा होगा।

श्री गेंदासिंह—मैं तो इतनी बात चाहता हूं। अगर सरकार हमारी बात मानेगी नहीं तो काम कैसे चलेगा। हमने मंत्री जी के विचारों को सुना और हमारी बात का उन्होंने स्वागत किया और कहा कि सरकार ऐसा कर देगी। उनके भाषण की प्रतिलिपि हम गवर्नर साहब के सामने रखेंगे और उस प्रतिलिपि के साथ आप निश्चित समझिये कि उनकी मंजूरी आयेगी कि यह प्रस्ताव रखा जाय। अगर आप इसको नामंजूर करते हैं तो दिक्कत पैदा हो जायगी और ५० लाख ही अपनी जगह पर रह जायेगा। अगर उसके स्थान पर २ करोड़ हो जायेगा तो उन दुखी लोगों को चार पैसा मिल जायेगा और उनकी मदद हो जायेगी। इसलिये मैं कहता हूं कि इसको मुल्तवी किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—एक तो यह निश्चय है कि इसको चार बजे तक पास होना है। अगर आप माननीय मंत्री जी से बात कर लें और आपस में कोई समझौता हो जाय तो मैं उतने समय के लिये मुल्तवी कर दूं। अगर मंत्री जी को स्वीकार हो तो वह बतला दें।

श्री हरगोविन्दसिंह—मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि इतनी धनराशि बढ़ाई जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—चूंकि आपके संशोधन पर वित्त मंत्री जी ने अपनी राय स्पष्ट कर दी है कि २ करोड़ नहीं होना चाहिये और जब वित्त मंत्री ही इसके पक्ष में नहीं हैं तो बाद में भी इसका वही नतीजा होने वाला है जो अब है ।

श्री गैंदासिंह—जब गवर्नर साहब की स्वीकृति के साथ प्रस्ताव आयेगा तो मंत्री जी की राय बदल जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष—ऐसी दशा में मैं इन संशोधनों की इजाजत नहीं देता हूं । अब माननीय प्रतापसिंह जी का संशोधन खंड ४ में जब आयेगा तो देखा जायगा ।

खण्ड २ तथा ३

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९३६ की धारा ३ का संशोधन

२—यू० पी० फेमिन रिलीफ फंड ऐक्ट, १९३६ (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा ३ में :—

(१) खंड ( ) के पश्चात् नये खंड (ii-ए) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"(ii-*a*) a sum of fifty lakhs of rupees to be assigned to the Fund every year from the Consolidated Fund of the State." और

(२) खंड (iii) में शब्द "under sub-section (2) of section 7 or otherwise" निकाल दिये जायं ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९३६ की धारा ७ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ७ की उपधारा (२) तथा (३) निकाल दी जायं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हरगोविन्दसिंह—श्रीमन्, इस के खंड २ में ब्रैकेट में खंड (i) छूट गया है, इसे ठीक कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—आप लिख कर भेज दें । वह ठीक करने का तो हमारा अधिकार है । वह हो जायगा ।

खंड ४

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९३६ में नई धारा ७-ए का बढ़ाया जाना

४—मूल अधिनियम की धारा ७ के पश्चात् नई धारा ७-ए के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :

"7-A. The amount assigned to the Fund every year under clauses (ii-*a*) and (iii) of section 3 shall be an expenditure charged on the Consolidated Fund of the State."

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ की दूसरी पंक्ति के शब्द "and (iii)" डिलीट कर दिये जायं ।

मेरे यह संशोधन रखने का मतलब यह है कि जो ५० लाख रुपया इसमें रखा गया है वह चार्ज एकाउन्ट माना जायगा । अगर सरकार इसमें और रुपया लेना चाहती है इस के बाद भी तो वह ले सकती है । हमको उसमें कोई एतराज नहीं है, वह ले सकते हैं, लेकिन मेरे संशोधन रखने का मतलब यह है कि जब वे और रुपया लें तो सदन के सामने आयें ताकि

उस समय हमें अपने सुझाव उस पर देने का अवसर मिल सके। इसमें कोई लम्बे चौड़े भाषण की जरूरत नहीं है। यह बड़ा मासूम सा संशोधन है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे मान लेंगे।

श्री हरगोविन्दसिंह—चूंकि सुझाव देने के और भी बहुत से अवसर सदन में सदस्यगण को हैं इस कारण मैं इस संशोधन को नहीं मान सकता। उससे बाद में अड़चनें पैदा हो सकती हैं। हमें बाद में और ज्यादा रुपये की आवश्यकता हो सकती है और हम इस तरह से आसानी से रुपया ले सकते हैं। आपको अगर सुझाव देना हो तो एडजर्नमेंट मोशन आदि लाकर आप सुझाव दे सकते हैं इसलिये मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ की दूसरी पंक्ति के शब्द "and (iii)" निकाल दिये जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक के अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना, खंड १

यू० पी० फेमिन रिलीफ फण्ड (संशोधन) विधेयक, १९६१

कतिपय प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० फेमिन रिलीफ फन्ड ऐक्ट, १९३६ को संशोधित करने के लिये

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९३६

विधेयक

एतत्पश्चात् उल्लिखित प्रयोजनों के लिये यू० पी० फेमिन रिलीफ फंड ऐक्ट, १९३६ को संशोधित करना इष्टकर है;

अतएव भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—यह अधिनियम यू० पी० फेमिन रिलीफ फंड (संशोधन) अधिनियम, १९६१ संक्षिप्त शीर्षनाम कहलायगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना, शीर्षक तथा खण्ड १ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हरगोविन्दसिंह—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यू० पी० फेमिन रिलीफ फंड (संशोधन) विधेयक, १९६१ पारित किया जाय।

श्री उग्रसेन—उपाध्यक्ष महोदय, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम लोगों ने लाखों सुझाव दिये किन्तु माननीय मंत्री जी इस प्रदेश के निवासियों की आपत्ति, विपदा और तकलीफों को देख कर भी इस कोष में वृद्धि करने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं इस सिलसिले में एक संस्कृत का श्लोक निवेदन करना चाहूंगा जो इस प्रकार है :

सर्वस्यकारणं कालः. राजा कालस्य कारणः।

काल सब का कारण होता है, मगर राजा काल का कारण होता है। साथ ही यह भी बतलाऊं श्रीमन्, कि दवी आपत्तियां शास्त्रीय मत से क्या होती हैं और किन्हें दैवी आपदा कहा जाता है। यह नहीं कि चूहों ने बांध काट दिया और बांध बह गया वह दैवी आपदा हो गयी या राप्ती का पुल टूट गया वह दैवी आपदा हो गयी भले ही उस पर एक छटांक माल भी पार न हो पाया हो.....

श्री उपाध्यक्ष—राजनारायण जी का असर पड़ता जा रहा मालूम होता है।

श्री उग्रसेन—तो दैवी आपदायें हैं: वर्षा, अवर्षा, चूहों का लगना, टिड्डी का आना, अपने देश पर चाहे दूसरा राजा चढ़ाई करे या अपना राजा दूसरे देश पर चढ़ाई करे, यह ६ आपदायें हैं। चीन ने हमारी हजारों एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया, यह भी दैविक आपत्ति है। जितनी भी आपदायें हैं, माननीय मंत्री जी के अनुसार, वे सभी दैविक आपदायें हैं। फिर माननीय मंत्री जी कहते हैं कि राजनारायण जी को सुबुद्धि आ जाय, किन्तु मैं तो यह समझता हूं कि जब तक यहां पर और दिल्ली की गद्दी पर कांग्रेस की सरकार रहेगी तब तक यह आपदायें आती ही रहेंगी। "अकः सवर्णे दीर्घः", यह सब आपदायें कांग्रेस राज्य के ही कारण हैं। पहले माननीय अली जहीर साहब थे, अब उनकी जगह हरगोविन्दसिंह जी हैं, मगर उनमें फर्क क्या है? वे सब एक ही हैं। आप दैविक आपदाओं पर छोड़ देते हैं, मगर यह सब आपकी ही आपदायें हैं। तमाम लोग भूख से मर गये, मगर यह सरकार मानती ही नहीं कि हमारे यहां भुखमरी है और कोई भूख से मरा। आपके राज्य में तो कफन बिना ही लोग मरते हैं। सम्पूर्णानन्द की सरकार ने तो तृतीय योजना में पूर्वी जनपद में बाढ़ कटाव निरोधक ३ करोड़ ८५ लाख की योजनायें प्रस्तावित की थीं, किन्तु गुप्ता जी और राममूर्ति जी की सरकार ने उनको भी समाप्त कर दिया। आज माताटीला बांध को लीजिये, ललितपुर बांध को लीजिये, वे टूट रहे हैं, उनके कटाव को रोका नहीं जा रहा है। तो यह तो राजनीति है इस सरकार की। मैं तो प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रदेश को इन आपदाओं से छुटकारा दिलाना चाहते हो तो कांग्रेस को गद्दी से उतारो।

*श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, दो मिनट में कुछ कहना तो मुश्किल है, लेकिन मैं एक दो बात अवश्य कहना चाहता हूं। यह बड़ा ही नानसीरियस तरीका है जो माननीय वित्त मंत्री जी ने इस संबंध में यहां रखा है। उसमें गम्भीरता कहीं नहीं आई, जो आनी चाहिये थी। उन्होंने कहा कि हम ५० लाख से ज्यादा जितना चाहें खर्च कर सकते हैं, उसके लिये उनको कौन रोक सकता है। मगर मैं एक बात जानना चाहता हूं और यह कि आखिर बंगाल ने क्यों ७५ लाख रुपया रखा, उसने यह गलती क्यों की? बिहार ने क्यों १०० लाख रुपया रखा और यह गलती क्यों की? आन्ध्र ने क्यों ५० लाख रुपया रखा? क्या उनके पास रुपये की कमी थी? वे क्या ऐसा नहीं कर सकते थे कि जब जरूरत पड़े तब वे जितना चाहें उतना खर्च कर सकें? इसमें तो जो बात है वह सीधी सी बात रखी जा रही थी। आपके बजट में जो रुपया होता है उसी के अनुसार आपके जिला अधिकारी उसको बांटते हैं। आप अगर सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट लाते हैं तो प्रश्न सामने आ जाता है कि रुपया आवे कहां से? यह ठीक है कि सरकार धन की व्यवस्था कर सकती है, लेकिन यह भी तो सोचने की बात है कि जब ४ करोड़ ८५ लाख की आबादी थी सन् १९३१ में, उस समय भी, अंग्रेजों के जमाने में, उन्होंने अपने स्टैन्डर्ड से ५० या ५५ लाख रुपया रखा था, और आज आप क्या रख रहे हैं? उस समय के मुकाबले में अब ७-८ करोड़ आबादी हो रही है फिर भी आप ५० लाख रुपये की ही व्यवस्था करना चाहते हैं। सारी दुनिया के खर्चे बढ़ गये, ५०० से १५०० तनख्वाहें हो गईं, हम लोग जो सदस्य हैं ७५ रुपये के बजाय २०० रुपये ले रहे हैं, सन् ३६ में ७५ रुपया ही लेते थे लेकिन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

उस मुसीबत के मारे हुये किसान और मजदूर को हम वहीं रखना चाहते हैं। इतना कहकर मैं समझता हूं कि सरकार पर सही सलाह प्रिवेल करे और वह हमारी बात को माने।

श्री हरगोविन्दसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख है कि माननीय गेंदासिंह जी ने मेरे ऊपर यह आक्षेप किया कि मैंने उनके सुझावों को नानसीरियस ढंग से टाल दिया, ऐसी बात नहीं है। यूं तो एक दूसरे साहब भी बोल गये और मुझे एक मसल याद आई "जैसे घर का नर्दहा सब भला-बुरा बह जाय", वह भला बुरा सब कुछ बहा ले जाता है उसी तरह से भवन में भी हो सकता है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम इसमें दो करोड़ रुपया भी रख दें और उसको खर्च न करें तो वह कौन-सी शक्ति है जो उस रुपये को हमसे अवश्य खर्च करा देगी। सवाल तो मूलतः यही है कि आपदाओं को देखते हुये अधिक से अधिक, जितना सम्भव हो सकता है, उतना खर्चा करने के लिये हम तैयार हैं या नहीं। बजट में जब एक रुपये की धनराशि रखी जाती है तो उसका अर्थ यह तो नहीं होता कि एक रुपया ही खर्च होगा, वह तो सिर्फ एक टोकेन चीज होती है। जब हम ५० लाख रुपया रखते हैं तो थोड़ी देर के लिये मान लेते हैं, अनुमान कर लेते हैं कि हमारा ५०–६० लाख का एवरेज आता है हर साल लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि यह ५० लाख की संचित धनराशि जो होगी उससे अधिक हम खर्च नहीं करेंगे।

ऐसी स्थिति में माननीय गेंदासिंह जी जो नक्शा खींच रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ गई, दरिद्रता बढ़ गई, वह ठीक है। लेकिन उन्होंने ही कहा कि हमारे प्रान्त में आमदनी उस अनुपात में नहीं बढ़ी है तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि हमको विकास के लिये रुपया चाहिये, हमें जिस गति से विकास कार्य करना चाहिये वह हम धनाभाव के कारण नहीं कर रहे हैं। उस अवस्था में तो मैं समझता हूं कि ठीक बात यही होगी कि हम ज्यादा धन ऐसा रखें जो फैलाव और बहाव में लग सके न कि रुपये को सन्दूक में बन्द कर दें जिसको हम बाद में निकाल न सकें दूसरे कार्यों के लिये। तो जैसा मैंने कहा, यही कारण था जिसको ध्यान में रखते हुये फाइनेन्स कमीशन ने ५० लाख रुपये की धनराशि निश्चित की थी। उन्होंने कारणों में भी यही लिखा है कि इसीलिये हम इतनी रकम रख रहे हैं ताकि विकास कार्य बन्द न हों, उनमें कोई अड़चन न पड़े। इसलिये मैं समझता हूं कि हमारे ऊपर यह आक्षेप बिलकुल निराधार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश फेमिन रिलीफ फंड (संशोधन) विधेयक, १९६१ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ३ बजकर ५९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१ अगस्त, १९६१।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११० पर)

नोट

(१) समस्त कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण नीलोखेरी (पंजाब), जिला स्तर पर अलीगढ़ तथा समस्त विकास क्षेत्र स्तरों के मुख्यावास पर दिया जा चुका है।

(२) २०० ग्रामों के कृषकों की उत्पादन योजनायें बनाई जा चुकी हैं।

(३) इन उत्पादन योजनाओं के आधार पर लगभग १२ लाख रुपया अल्पकालीन ऋण तथा सामग्री के रूप में वितरित किया जा चुका है।

(४) कृषकों की सुविधा के लिये ९६ बीज भंडार और स्थापित कर दिये गये हैं तथा कृषि सामग्री जैसे खाद, यंत्र, बीज इत्यादि नवीन व पुराने बीज भंडारों पर तत्काल प्रयोग के लिये उपलब्ध कर दी गयी है।

(५) कृषि संबंधी वैज्ञानिक प्रदर्शन रबी में किये गये थे और खरीफ में होने वाले प्रदर्शन के लिये निर्देश दे दिये गये हैं।

(६) कृषि यंत्रालय की स्थापना के लिये तखमीने बनाये जा चुके हैं और ऐसा अनुमान है कि यह इस वर्ष पूरी हो जायगी।

(७) प्रारम्भिक स्थिति, सर्वेक्षण के अन्तर्गत रबी की प्रधान फसलों पर क्राप कटिंग के प्रयोग किये जा चुके हैं।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ११८ पर)

सूची 'क'

मृतक डाकू स्वामी दीन के पास से बरामद हुए सामान का विवरण

१—जूता चमड़े का एक जोड़

२—डोलनी सोने की

३—तावीज

४—चाभी गुच्छा

५—सदरी कत्थई

६—कुर्ता सफेद

७—तहमद सिल्कन

८—कम्बल चौखानेदार

९—रूमाल आदि

विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११६ पर)

सूची 'ख'

गिरफ्तारी तथा की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण

दिनांक १८-१-६१ को लालाराम निवासी ग्राम बरगांव खंगार, थाना गुरसराय के मकान में पड़ी डकैती के मामले में निम्नलिखित व्यक्ति पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए :

१--बाबू--अपने मकान ग्राम पहरा, थाना जरिया, जिला हमीरपुर में गिरफ्तार हुआ ।

२--बंशी--अपने मकान ग्राम चमोट, थाना जरिया, जिला हमीरपुर में गिरफ्तार हुआ ।

३--प्रताप--अपने ग्राम पहरा, थाना जरिया, जिला हमीरपुर में गिरफ्तार हुआ ।

४--देवा--जिला हमीरपुर में श्री उदित नारायण वकील के मकान से गिरफ्तार हुआ ।

५--हरीया चमार--साकिन सरौला, जिला हमीरपुर सरौला में गिरफ्तार हुआ ।

इस संबंध में की गई कार्यवाही

चार अभियुक्तों का चालान किया जा चुका है । दो अभियुक्त का काफी सबूत न होने के कारण धारा १६९ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत छोड़ा गया । एक अभियुक्त की कार्रवाई शिनाख्त शेष है और एक अभियुक्त फरार है ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२२ पर)

जो नलकूप चल नहीं रहे हैं उनके बनने की तिथि तथा बन्द होने के कारणों की सूची ।

वर्ष	बनाये गये नलकूपों की संख्या
१९३५	८
१९३६	७
१९३७–३८	५
१९४०	१
१९४५	५
१९४६	१
१९४९–५०	१८
१९५०–५१	२
१९५१–५२	७
१९५२–५३	७
१९५३–५४	२
१९५४–५५	२
१९५५–५६	७
१९५६–५७	५
१९५७–५८	१२
१९५८–५९	६
१९५९–६०	२
१९६०–६१	३२
योग ..	१२९

इन नलकूपों के बन्द होने का कारण निम्नलिखित है:

नलकूपों की संख्या	नलकूप न चलने के कारण
४२	विद्युतीकरण न होने के कारण ।
६४	फेल हो जाने के कारण ।
१७	गंगा नदी के खादर क्षेत्र में नीचे स्थित (low lying areas) में बने हैं और इस कारण प्रायः बंद ही रहते हैं, यह नलकूप कालोनाइजेशन स्कीम (Colonizaton Scheme) के अन्तर्गत बनाये गये थे ।
१	यह नलकप शाहबाज कुली हवाई अड्डे के नजदीक स्थित है । इसके सम्बन्ध में हवाई अड्डे के अधिकारियों द्वारा कुछ आपत्ति की गई है जिसकी वजह से यह नलकूप अभी तक नहीं चालू हो सका है ।
३	पानी की मांग न होने के कारण बन्द है ।
१	डाइरेक्टर, जियोलाजिकल सव आफ इण्डिया के अनुसार इस नलकूप का पानी सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है ।
१	[illegible] गूलों पर काम पूरा न हो सकने के कारण यह नलकूप चालू नहीं हो सका है ।
योग १२९	

नत्थी 'ङ'

२५ अप्रैल, १९६१ को श्री कुंवर श्रीपालसिंह द्वारा पूछा गया मूल प्रश्न संख्या १४ तथा उसका उत्तर।

प्रश्न

१४—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भगवानपुर बांध का निर्माण करने हतु सिंचाई विभाग ने जो जंगल वन विभाग से ५३,००० रुपयों में खरीदा था उसे केवल २६,००० रु० में ही क्यों बेचा गया तथा किसके हाथ और कब बेचा गया ।

उत्तर

१४—वन विभाग की वह जमीन जिस पर कि बांध बनाया जाने वाला था मय पेड़ों के ५३,३८० रुपये मुआवजा देने पर सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित किया गया तथा उक्त भूमि के केवल पेड़ २६,००० रुपये में श्री उजागर सिंह ठेकेदार को २ जनवरी, १९६१ को बेचा गया। उस समय पेड़ों के लिये २६,००० रुपये से ज्यादा देने के लिये कोई तैयार नहीं था ?

राममूर्ति,
सिंचाई मंत्री।

परिशिष्ट 'च'

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६१

उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९

कुछ प्रयोजनों के निमित्त उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ को संशोधित करने का

विधेयक

एतद्द्वारा भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, १९६१ कहलायेगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९ की धारा १०७ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १०७ की उपधारा (४) में शब्द तथा कामा "व्यक्ति" और शब्द "तथा" के बीच में शब्द "मुख्य नगर लेखा परीक्षक" रख दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९ की धारा १२९ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा १२९ की उपधारा (५) में शब्द "उन मामलों को छोड़कर जिनमें हस्तांतरण, शैक्षिक या दानोत्तर प्रयोजनों के लिये किया जाय" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"उन मामलों को छोड़कर जिनमें शैक्षिक या दानोत्तर प्रयोजनों के लिये हस्तांतरण किया जाय या जिनमें यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ या कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, १९४५ या इस अधिनियम के अध्याय १४ के अधीन अर्जित सम्पत्ति का हस्तांतरण किया जाय,"

उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९ की धारा १३९ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा १३९ की उपधारा (३) में शब्द "महापालिका" तथा "ऐसी विशेष" के बीच में शब्द "एक विकास निधि की स्थापना करेगी और" रख दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९ की धारा ४८४ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ४८४ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द तथा अंक "प्रांविंशियल स्माल काजेज कोर्टस ऐक्ट, १८७७" के स्थान पर शब्द तथा अंक "कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७०" रख दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९ की धारा ५८० का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा ५८० की उपधारा (१) में शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "चार वर्ष" रख दिये जायं।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, १९५९ के इस छोटे संशोधन विधेयक को मुख्यतया इस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जा रहा है कि राज्य सरकार उन कतिपय कठिनाइयों को दूर करने की आज्ञाओं की अवधि बढ़ा सके जिनकी अवधि ३० सितम्बर, १९६१ को समाप्त होने वाली है। उक्त अधिनियम के उपबन्धों के प्रचलित होने के बाद ऐसी अनेक आज्ञायें जारी की गई थीं और उनमें से कुछ जो अस्थायी प्रकार की थीं, व्यपगत (Laps) हो चुकी हैं। केवल कुछ ऐसी आज्ञायें रह गयी हैं जिनका कुछ और समय तक प्रचलित रखना आवश्यक है।

इस अवसर का उपयोग कुछ अन्य संशोधन करने के लिये भी किया गया है। जो महापालिकाओं के सुचारु रूप से कार्य करने के लिये आवश्यक हैं।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

चतुर्भुज शर्मा,
स्वशासन मंत्री।

अधिनियम की उन विभिन्न धाराओं का विवरण, जिनमें संशोधन करने का प्रस्ताव है

पदों पर नियुक्ति

१०७—(१) उप नगराधिकारी, सहायक नगराधिकारी, नगर अभियंता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी और मुख्य नगर लेखा परीक्षक के पदों पर नियुक्ति राज्य के लोक सेवा आयोग (State Public Service Commission) के परामर्श से नगर-प्रमुख द्वारा, विहित रीति से की जायगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति, जहां तक हो सके सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के उन अधिकारियों में से जिनको कि राज्य सरकार प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर भेजना स्वीकार करे, की जायेगी तथा ऐसी दशा में राज्य के लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनावश्यक होगा।

(२) २०० रुपया मासिक से अन्यून प्रारम्भिक वेतन वाले अन्य पदों पर नियुक्ति राज्य के लोक सेवा आयोग के परामर्श से विहित रीति के अनुसार की जायेगी। महापालिका के ऐसे पदाधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति का अधिकार—

(क) उन पदाधिकारियों एवं सेवकों के संबंध में, जो मुख्य नगर लेखा परीक्षक के तुरन्त अधीनस्थ हों, मुख्य नगर लेखा परीक्षक को; तथा

(ख) अन्य समस्त पदाधिकारियों एवं सेवकों के संबंध में मुख्य नगराधिकारी को ;

होगा।

(३) उपधारा (१), (२) तथा (५) में उल्लिखित नियुक्तियों को छोड़कर अन्य सब नियुक्तियां उपधारा (४) के अधीन संगठित चुनाव करने वाली समिति की सिफारिश के अनुसार की जायेंगी, और ऐसी नियुक्तियों का अधिकार—

(क) उन पदाधिकारियों एवं सेवकों के संबंध में जो मुख्य नगर लेखा परीक्षक के तुरन्त अधीनस्थ हो मुख्य नगर लेखा परीक्षक को; तथा

(ख) अन्य समस्त पदाधिकारियों एवं सेवकों के संबंध में मुख्य नगराधिकारी को ;

होगा।

(४) उपधारा (३) में उल्लिखित समिति (Selection Committee) में मुख्य नगराधिकारी या उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति, तथा उस विभाग का अध्यक्ष जिसके लिये नियुक्ति करनी हो, होंगे। मुख्य नगराधिकारी तथा उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा एतदर्थ नामोदिष्ट किया गया सदस्य, चुनाव करने वाली समिति का सभापति होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगर अधिकारी या मुख्य नगर लेखा परीक्षक को तुरन्त अधीनस्थ पदाधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति के संबंध में जो ऊपर उल्लिखित समिति बनाई जायगी उसमें मुख्य नगर अधिकारी या मुख्य नगर लेखा परीक्षक, जैसी भी दशा हो, सभापति के रूप में होंगे तथा महापालिका के दो और पदाधिकारी जिनको कार्यकारिणी समिति नामोदिष्ट करेगी सदस्यों के रूप में होंगे।

(५) महापालिका के इंजीनियरिंग, जलकल (water works), लोक स्वास्थ्य तथा अन्य विभागों में ऐसे पदों पर, जिनका प्रारम्भिक वेतन पचास रुपये से अधिक न हो, नियुक्तियां, महापालिका द्वारा एतदर्थ बनायी गयी किन्हीं उप-विधियों के अधीन रहते हुये, धारा ११२ में उल्लिखित सम्बद्ध विभागाध्यक्षों द्वारा की जायेंगी।

(६) नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी तथा राज्य के लोक सेवा आयोग के बीच मत भेद होने की दशा में मुख्य नगराधिकारी सम्बद्ध मामले को राज्य सरकार को भेज देगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

सम्पत्ति के निस्तारण संबंधी उपबन्ध।

१२९—उस सम्पत्ति के निस्तारण के लिये जो कि महापालिका की हो, निम्नलिखित उपबन्ध प्रभावी होंगे, अर्थात्—

(१) महापालिका की सम्पत्ति का प्रत्येक निस्तारण महापालिका की ओर से मुख्य नगराधिकारी द्वारा किया जायगा।

(२) मुख्य नगराधिकारी स्वविवेकानुसार महापालिका की किसी ऐसी चल सम्पत्ति को बेंच कर, किराये पर देकर या अन्य रूप से व्यय न कर सकता है जिसका मूल्य प्रत्येक व्ययन में ५०० रुपये से अथवा उस मूल्य से अधिक न हो जिसे महापालिका राज्य सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर निर्धारित करे, या महापालिका की अचल सम्पत्ति का पट्टा, जिसमें मछली मारने या फल इकट्ठा करने या लेने तथा इसी प्रकार का कोई और अधिकार सम्मिलित हो, किसी ऐसी अवधि के लिये दे सकता है जो किसी एक समय में १२ महीने से अधिक न हो;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि वह मासिक लगान (monthly tenancy) का संविदा न हो या उसका वार्षिक लगान ३,००० रु० से अधिक न होता हो, मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति को अचल सम्पत्ति के प्रत्येक पट्टे की सूचना उसके दिये जाने के १५ दिन के अन्दर देगा।

(३) मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से महापालिका को किसी ऐसी अचल-सम्पत्ति को बेच सकता है, किराये पर दे सकता है, या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण कर सकता है जिसका मूल्य ५,००० रु० से अधिक न हो, और इसी प्रकार की स्वीकृति महापालिका की किसी अचल संपत्ति को जिसके अन्तर्गत कोई ऐसा अधिकार भी है, जिसके बारे में पहले कहा जा चुका है, किसी ऐसी अवधि के लिये जो एक साल से अधिक हो पट्टे पर दे सकता है, या महापालिका की किसी भी ऐसी अचल सम्पत्ति को बेंच सकता है, या स्थायी रूप से पट्टे पर दे सकता है जिसका मूल्य या नजराना (premium) ५०,००० रुपये से अधिक न हो या जिसका वार्षिक किराया ३,००० रुपये से अधिक न हो।

(४) मुख्य नगराधिकारी महापालिका की किसी चल या अचल सम्पत्ति को महापालिका की स्वीकृति से पट्टे पर दे सकता है, बेंच सकता है, किराये पर उठा सकता है या अन्य प्रकार से उसका हस्तांतरण कर सकता है।

(५) उन मामलों को छोड़कर जिनमें हस्तांतरण शैक्षिक या दानोत्तर प्रयोजनों के लिये किया जाय वह प्रतिफल (consideration) जिसके लिये महापालिका की कोई अधिकार या अचल सम्पत्ति बेची जाय,

पट्टे पर दी जाय या अन्य प्रकार से हस्तांतरित की जाय, ऐसे नजराने (premium), किराये या अन्य प्रतिफल के बाजार मूल्य से कम न होगा।

(६) उपधारा (३) अथवा उपधारा (४) के अधीन कार्यकारिणी समिति को अथवा महापालिका की स्वीकृति सामान्य रूप से (generally) मामलों के किसी वर्ग (class) के लिये या किसी विशेष मामले के लिये विशिष्ट रूप से (specially) दी जा सकती है।

(७) इस धारा के पूर्वोक्त उपबन्ध तथा नियमों के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन या इसके प्रयोजनों के लिये किये गये महापालिका की सम्पत्ति के प्रत्येक निस्तारण पर लागू होंगे।

महापालिका निधि तथा अन्य निधियों का संगठन।

१३९—(१) प्रत्येक महापालिका के लिये एक निधि, जिसे आगे महापालिका निधि कहा जायगा, की स्थापना की जायगी और इस अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन, इस निधि में वे सभी धनराशियां जमा की जायंगी जो इस अधिनियम अथवा अन्य किसी विधि अथवा संविदा के अधीन महापालिका द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त हो। इन धनराशियों में निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं—

(क) महापालिका की सम्पत्ति से प्राप्त होने वाला धन;

(ख) महापालिका की सम्पत्ति के किराये;

(ग) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन लगाये गये समस्त करों अथवा शुल्कों (fees) और जुर्मानों (न्यायालय द्वारा लगाये गये जुर्मानों से भिन्न) से प्राप्त धन;

(घ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रतिकर के रूप में अथवा अपराधों के अभिसंधित (compounding) करने से प्राप्त समस्त धनराशियां;

(ङ) महापालिका के धन के किसी विनिहितकरण (investment) से, अथवा इस धन के सिलसिले में किये गये किसी संव्यवहार (transaction) से, प्राप्त समस्त व्याज और लाभ;

(च) महापालिका द्वारा अथवा उसकी ओर से सरकार अथवा सार्वजनिक संस्थाओं, निजी संस्थाओं (private bodies) अथवा अन्य व्यक्तियों से अनुदान, दान (gift) अथवा जमा की हुई धनराशि के रूप में समस्त प्राप्त धन, उन शरतों के अधीन रहते हुये, यदि कोई हों, जो ऐसे अनुदान, दान अथवा जमा की हुई राशि पर लगाई जाय।

(२) महापालिका निधि में जमा की जाने वाली समस्त धनराशियां मुख्य-नगराधिकारी द्वारा प्राप्त की जायेंगी। मुख्य नगराधिकारी इन धनराशियों को तत्काल स्टेट बैंक आफ इंडिया अथवा अन्य ऐसे अनुसूचित बैंक या बैंकों, जिन्हें महापालिका राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से निर्दिष्ट करे, एक खाते में जिसे ".....की महापालिका निधि का खाता" कहा जाय, जमा कर देगा:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति द्वारा जारी किये गये किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुये इतना नकद रुपया रोक सकता है जितना चालू भुगतानों के लिये आवश्यक हो।

(३) महापालिका ऐसी विशेष निधियों को, जो विहित की जायं अथवा ऐसे अन्य निधियों को भी, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक हों, स्थापना कर सकती है। ऐसी निधियों का संगठन तथा निस्तारण विहित रीति से किया जायगा।

न्यायाधीश (Judge) के समक्ष कार्यवाहियों का शुल्क

४८४—(१) राज्य सरकार समय-समय पर सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निम्नलिखित के निमित्त देय शुल्क, यदि कोई हो, विहित कर सकती है—

(क) इस अधिनियम के अधीन न्यायाधीश (Judge) के समक्ष प्रस्तुत किसी प्रार्थना-पत्र, अपील अथवा अभिदेश पर; तथा

(ख) इस अधिनियम के अधीन न्यायाधीश (Judge) की किस जांच अथवा कार्यवाही में कोई आह्वान (Summons) अथवा अन्य आदेशिका (Process) जारी होने से पूर्व:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खंड (क) के अधीन विहित शुल्क यदि कोई हो, उन दशाओं में जब कि दावे अथवा वाद विषय (Subject matter) का मूल्य रुपयों में आंका जा सकता हो, प्राविंशियल स्माल काजेज कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ के उपबन्धों के अधीन ऐसे मामलों में तत्समय लगाये गये (levied) शुल्क से अधिक न होगा जिसमें दावे अथवा वाद-विषय का मूल्य समान धनराशि का हो।

(२) राज्य सरकार समय-समय उक्त प्रकार की विज्ञप्ति द्वारा यह निर्धारित कर सकती है कि उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन विहित शुल्क किस व्यक्ति द्वारा देय होगा।

(३) न्यायाधीश (Judge) द्वारा कोई भी प्रार्थना-पत्र अपील अथवा अभिदेश तब तक नहीं लिया जायगा जब तक कि तदर्थ उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन विहित शुल्क, यदि कोई हो, न दे दिया गया हो।

कठिनाइयां दूर करने के अधिकार

४८०—(१) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को या इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधायन को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अवसरानुकूल आज्ञा देकर यह निर्देश कर सकती है कि यह अधिनियम उस अवधि में जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय किन्तु जो इस धारा के प्रवर्तित होने के दिनांक से दो वर्ष व्यतीत होने के आगे तक न हो ऐसे अनुकूलनों सहित चाहे वह परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हो, प्रभावी होगा जो आवश्यक तथा इष्टकर समझे जायं।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गई कोई आज्ञा यथाशक्य शीघ्र विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायगी।

नत्थी 'छ'

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) विधेयक, १९६०

आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये गाजियाबाद क्षेत्र में स्थानीय निकायों के निमित्त प्रशासक की नियुक्ति की व्यवस्था करने का।

विधेयक

गाजियाबाद क्षेत्र में नगर महापालिका की स्थापना सुकर बनाने के उद्देश्य से वहां नागरिक कार्यों के निमित्त प्रशासक की तुरन्त नियुक्ति करने के लिये और अन्य कतिपय आनुषंगिक विषयों के निमित्त व्यवस्था करना आवश्यक है;

अतएव भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ;

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) अधिनियम, १९६१ कहलायेगा।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९१९

(२) इसका प्रसार गाजियाबाद तहसील के भीतर और बाहर ऐसे क्षेत्रों में होगा, जो यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ की धारा ३ के अधीन स्थापित इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद की सीमाओं के भीतर सम्मिलित हैं, या जो सम्मिलित हों और उस क्षेत्र में भी होगा जो यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ३ के अधीन विज्ञापित गाजियाबाद की म्युनिसिपैलिटीज के भीतर हो।

परिभाषायें

२—विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में—

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६

(१) "बोर्ड" या "नगरपालिका बोर्ड (Municipal Board)" का तात्पर्य यू०पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ३ के अधीन स्थापित गाजियाबाद के म्युनिसिपल बोर्ड से है और इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति या वे व्यक्ति भी हैं जो बोर्ड के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये उक्त ऐक्ट की धारा ३१ के खंड (बी) के अधीन नियुक्त किये गये हों ;

यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९१९

(२) "गाजियाबाद क्षेत्र (Ghaziabad region)" का तात्पर्य गाजियाबाद तहसील के भीतर और बाहर ऐसे क्षेत्रों से है जो यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ की धारा ३ के अधीन स्थापित इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद की सीमाओं में सम्मिलित हैं, या जो सम्मिलित हों और उस क्षेत्र से भी है जो यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ३ के अधीन विज्ञापित गाजियाबाद की म्युनिसिपैलिटीज के भीतर हो।

(३) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य यथास्थिति, नगरपालिका बोर्ड, गाजियाबाद या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद से है, और

यू०पी० ऐक्ट संख्या ८, १९१९

(४) "ट्रस्ट" का तात्पर्य यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ की धारा के अधीन स्थापित इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद से है।

३ (१) यू०पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ या यू०पी० टाउन इम्प्रूवमेन्ट ऐक्ट, १९१९ में किसी विपरीत बात के होते हुये भी, राज्य सरकार इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं भी प्रयोजनों के लिये गजट में आज्ञा प्रकाशित करके गाजियाबाद क्षेत्र के किसी भी या समस्त स्थानीय निकायों के लिये प्रशासक (Administrator) नियुक्त कर सकती है; और

प्रशासक की नियुक्ति
यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६
यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९१९

(क) यह घोषणा कर सकती है कि उस दिनांक में जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट किया जाय, स्थानीय निकाय, यथास्थिति [उसके अध्यक्ष (President), सभापति (Chairman) अथवा उसकी समिति (Committee) के समस्त अधिकार, कर्त्तव्य और कृत्य, चाहे वे उक्त अधिनियमितियों में से किसी के, या किसी अन्य विधि के, अधीन हों, उक्त प्रशासक में निहित हो जायेंगे और, जब तक कि उक्त आज्ञा अतिक्रांत या निरस्त न कर दी जाय, उनका प्रयोग, पालन तथा निर्वहन प्रशासक द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन किया जायगा, और वह यथावसर, बोर्ड, ट्रस्ट, अध्यक्ष, सभापति या समिति समझा जायगा; और

(ख) ऐसे प्रासंगिक तथा आनुषंगिक उपबन्ध बना सकती है, जिनके अन्तर्गत उक्त ऐक्टों के किन्हीं भी उपबन्धों को निलम्बित करने के उपबन्ध भी हैं, जो इस प्रयोजन के लिये आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो;

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार दोनों ही स्थानीय निकायों के लिये एक ही व्यक्ति को प्रशासक नियुक्त कर सकती है।

(२) उपधारा (१) के अधीन आज्ञा प्रकाशित हो जाने पर, यथा संघटित बोर्ड या ट्रस्ट तथा उसकी कोई भी समिति कार्य नहीं करेगी, और बोर्ड या ट्रस्ट अथवा उसकी समितियों के समस्त सदस्य, जिनके अन्तर्गत, यथास्थिति, उसका सभापति या अध्यक्ष भी है, उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन निर्दिष्ट दिनांक से अपने पद पर रिक्त कर देंगे।

(३) विशेषतया तथा उपधारा (१) के खंड (ख) में दिये हुये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार उसी या अनुवर्ती आज्ञा द्वारा यह व्यवस्था कर सकती है कि—

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये उपर्युक्त ऐक्टों में, गाजियाबाद क्षेत्र में उनकी प्रवृत्ति के संबंध में परन्तु उनके सार पर कोई प्रभाव डाले बिना, ऐसे अनुकूलन, परिष्कार तथा परिवर्तन कर सकती है जो मामले की परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हों, और तदुपरान्त उपर्युक्त ऐक्ट इस प्रकार किये गये अनुकूलनों, परिष्कारों तथा परिवर्तनों के अधीन रहते हुये उस क्षेत्र में उस समय तक प्रभावी होंगे जब तक उक्त क्षेत्र में नगर महापालिका की स्थापना न हो जाय।

(ख) सम्बद्ध स्थानीय निधि में से प्रशासक के वेतन तथा भत्तों का भुगतान किया जायगा, और

(ग) यदि एक ही व्यक्ति दोनों स्थानीय निकायों के लिये प्रशासक नियुक्त किया गया हो, तो ऐसे किसी स्थानीय निकाय के अधीन, निर्दिष्ट किये जाने वाले पदों की पूर्ति नहीं की जायगी अथवा उनकी पूर्ति दोनों स्थानीय निकायों के लिये संयुक्त आधार पर की जायगी, और इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों के वेतन तथा भत्तों का सम्बद्ध स्थानीय निधि में से भुगतान किया जायगा।

(४) यू०पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ तथा यू०पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, उपधारा (१) के खंड (ख) या उपधारा (३) के अधीन दी गई आज्ञा प्रभावी होगी।

यू०पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६

यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९१९

उद्देश्य और कारण

२३ नवम्बर, १९५९ को गाजियाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के अवक्रांत (Supersession) किये जाने के बाद से गाजियाबाद नगर तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों के नागरिक कार्यों की देख-रेख प्रशासक द्वारा की जा रही है। गाजियाबाद क्षेत्र दिल्ली की महानगरी के बहुत नजदीक है जहां बड़ी तेजी से आर्थिक विकास हो रहा है और जिसका नतीजा यह हुआ है कि उस क्षेत्र को अनियोजित तथा अनियंत्रित ढंग से नगर का रूप (urbanization) दिया जा रहा है इसलिये लोक हित में यह आवश्यक हो गया कि गाजियाबाद क्षेत्र का इस ढंग से नियोजित विकास किया जाय जिससे सर्वसाधारण के हितों की पूर्णतया रक्षा हो सके। तदनुसार यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ की धारा ३ के अधीन गाजियाबाद में २० जुलाई, १९६० को एक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट स्थापित किया गया था।

२—यह आशा की जाती है कि अगले पांच वर्षों से दस वर्षों में गाजियाबाद नगरी का पर्याप्त विस्तार हो जायगा और उसका इतना औद्योगीकरण हो जायगा कि वहां नगर महापालिका की स्थापना करना न्यायोचित होगा। इसलिये गाजियाबाद में म्युनिसिपल बोर्ड तथा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के उचित समन्वय तथा उनके सुचारु रूप से कार्य संचालन के लिये एक उपयुक्त व्यवस्था (machinery) स्थापित करने तथा भविष्य में वहां नगर महापालिका की स्थापना सुकर बनाने के लिये, यह आवश्यक है कि दोनों स्थानीय निकायों के लिये एक ही प्रशासक नियुक्त किया जाय।

३—म्युनिसिपल बोर्ड में प्रशासक की नियुक्ति यू०पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ३१ के अनुसार होती है। किन्तु यू०पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के प्रशासक की नियुक्ति के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिये उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) विधेयक, १९६१ सदन के समक्ष पुरःस्थापित किया जा रहा है। एक ही (common) प्रशासक की नियुक्ति के साथ साथ इस विधेयक में म्युनिसिपल बोर्ड तथा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के लिये संयुक्त आधार पर अन्य वरिष्ठ अधिकारियों (Senior Officers) की नियुक्ति और यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ तथा यू०पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ में आवश्यक परिष्कार (modification) करने की भी व्यवस्था की गयी है।

चतुर्भुज शर्मा,
स्वायत्त शासन मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१४५ एल० ए०—१९६१—८४५।